खण्ड-190, अंक-6
सोमवार, 14 माघ, शक संवत् 1879
(3 फरवरी, 1958 ई0)

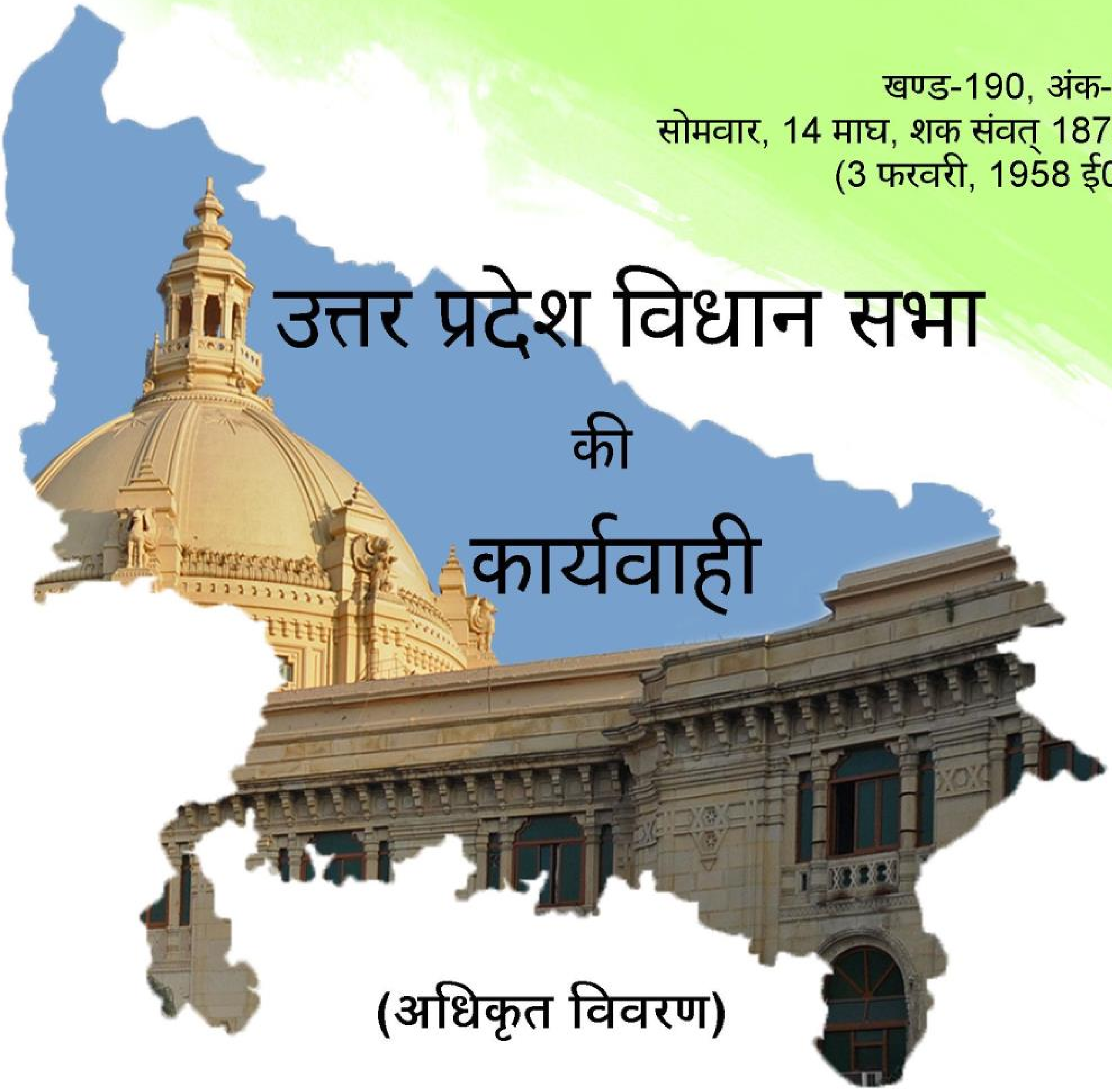

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
चन्द्रजीतयादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बर राम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद,सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम , श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद, वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां,श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस", श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल, अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री

रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायणशर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला, खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नये वर्ष में नया सत्र आरम्भ न करने पर वैधानिक आपत्ति

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मैं आप का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज इस सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदनों का संयुक्त अधिवेशन यानी लेजिस्लेचर का अधिवेशन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १७६ के अनुसार होना चाहिये था और उसे माननीय राज्यपाल महोदय को सम्बोधित करना चाहिये था। उस दिन कोई प्रश्नोत्तर भी नहीं होता, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें कि मैं इस वैधानिक प्रश्न को उठा सकूं।

श्री अध्यक्ष—आपने प्रश्न उठा ही दिया, अब इसके कारण बतलायें कि क्या हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप का ध्यान संविधान की धारा १७६ की ओर दिलाना चाहता हूं। चूंकि हिन्दी की कोई आथंटिक कापी उपलब्ध नहीं है इसलिये मैं अंग्रेजी में ही इसे आपकी आज्ञा से पढ़ता हूं—

"At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

इसमें स्पष्ट दिया है कि गवर्नर दोनों सदनों के लेजिस्लेचर को, जिसमें विधान परिषद् और विधान सभा दोनों शामिल हैं, वर्ष में एक बार, जब कि सेशन की शुरूआत हो। तो सरकार की नीति को स्पष्ट करेगा और लेजिस्लेचर को सम्बोधित करेगा। इसमें ये शब्द इस्तेमाल किये गये हैं "At the commencement of the first session of each year"। अब यह प्रश्न उठता है कि सेशन जो इस समय चल रहा है, इस सेशन में राज्यपाल महोदय को अपना सम्बोधन देना चाहिये था या नहीं। मेरे विचार से जो शब्द इसमें इस्तेमाल किये गये हैं "At the commencement of the first session of each year" जनरल क्लाजेज ऐक्ट ४—क—सब-क्लाज ५० जो प्राविंशियल गवर्नमेंट का है और जनरल क्लाजेज ऐक्ट ३ का सब-क्लाज ५९ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें ईयर की परिभाषा दी गई है। जो इस प्रकार है कि "ईयर मीन्स ए कैलेन्डर ईयर"। ऐसी परिभाषा जनरल क्लाजेज ऐक्ट की है कि ब्रिटिश कैलेन्डर के अनुसार एक जनवरी से नया साल शुरू होगा। अब उसके अनुसार इस सेशन की पहली सिटिंग आज हो रही है और इस लिये आज माननीय राज्यपाल का सम्बोधन पहले होना चाहिये और 'काजेज आफ समन्स' हमें मालूम होने चाहिये।

दूसरे उसमें यह है कि वह सेशन जो होगा वह केवल असेम्बली या कौंसिल का नहीं होगा बल्कि लेजिस्लेचर का होगा और लेजिस्लेचर की परिभाषा अभी तक कोई नहीं दी गई है और न उसके कोई कानून या नियम ही हैं। लेजिस्लेटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियम तो हैं लेकिन लेजिस्लेचर के नियम कोई नहीं हैं। लेजिस्लेचर का सेशन वही माना जायगा जब कि लेजिस्लेचर पहली बार बैठे और उसको गवर्नर ऐड्रेस करे। मैं सदन का ध्यान संविधान के आर्टिकिल १६८ (१) की ओर दिलाऊंगा, उसमें लिखा है कि :—

"For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and (*a*) in the States of Bihar, Bombay, Madras, Punjab, the United Provinces and West Bengal, two Houses;
(*b*) in other States, one House."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लेजिस्लेचर जिसके सेशन की बात कही गई है, वह दोनों सदनों का होगा जिसको माननीय राज्यपाल संबोधित करेंगे। तो संविधान की मंशा यह है कि हर वर्ष के आरम्भ में गवर्नर का सम्बोधन होना चाहिये....

श्री अध्यक्ष—यह संविधान में कहां है कि वर्ष के आरम्भ में सम्बोधन राज्यपाल महोदय का होना चाहिये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह इस कांस्टीट्यूशन में है कि हर साल के आरम्भ में गवर्नर एड्रेस करेगा, जब भी सेशन होगा....

श्री अध्यक्ष—जब कमेन्समेंट आफ दि सेशन होगा, तब गवर्नर ऐड्रेस करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब लेजिस्लेचर के सम्बन्ध में हमारे यहां कोई नियम नहीं है तो हमें इस सम्बन्ध में संविधान की ओर देखना होगा, कांस्टीट्यूशन में 'ईयर' शब्द इस्तेमाल किया गया है, केलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर अलग है।....

श्री अध्यक्ष—यह बताइये कि यह सेशन, जिसको आप नया सेशन कहते हैं, यह कैसे नया सेशन है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह इस वर्ष का नया सेशन है और आज इस साल के सेशन की पहली सिटिंग है इसलिये इस के आरम्भ में गवर्नर महोदय का सम्बोधन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—होना चाहिये, यह दूसरी बात है लेकिन यह जो आज की सिटिंग है यह तो पुराने सेशन की ही 'एडजर्न्ड सिटिंग' है। पिछली बार बैठक 'साइन डाई एडजर्न' हुई थी और उसके बाद एक विज्ञप्ति निकली थी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत सत्र की आगामी बैठक, श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार, सोमवार, ३ फरवरी, १९५८ को दिन के ११ बजे सभामंडप, लखनऊ में पुनः आरम्भ होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—परन्तु श्रीमन्, यह आज्ञा एप्लाई नहीं करती जब तक कि गवर्नर का एड्रेस न हो...

श्री अध्यक्ष—आप को यह बताना पड़ेगा कि किस तरह से इस सेशन का बुलाना अवैधानिक है, जब तक आप यह नहीं सिद्ध करते तब तक मैं कार्यवाही को स्थगित नहीं कर सकता। इसका आप खयाल रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इस नुक्ते, इस प्वाइंट की ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा कि मैं लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेचर के सेशन में फर्क कर रहा हूं। यह लेजिस्लेचर का सेशन नहीं है। अब कांस्टीट्यूशन कहता है कि साल के आरम्भ में लेजिस्लेचर का सेशन होगा और उस को गवर्नर ऐड्रेस करेगा। साल आरम्भ हो चुका है और उसका एक बाडी आज मीट कर रहा है, इसलिये संविधान का वह भाग कार्यान्वित होना चाहिये जिसमें 'शेल' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस के बाद मैं आप का ध्यान यू० पी० लेजिस्लेटिव कौंसिल के रूल्स की ओर दिलाऊंगा। इसमें *रूल ५२ की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है—

"The Chairman, in consultation with the Leader of the House, shall allot time for the discussion of the matters referred to in the Governor's address at the commencement of a session of the Lgieslature of the State under Clause (1) of Article 176 of the Constitution and subject to the provisions of rule 9 such discussion shall have precedence over other business."

*विधान परिषद् की प्रक्रिया नियमावली के १९५२ के संस्करण से उद्धृत।

काउंसिल के नियमों में "at the commencement of a session of the Legislature" शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, "काउन्सिल" शब्द का नहीं, "लेजिस्लेजर" शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मैं नहीं जानता कि गलती किसकी है। मैं समझता हूं कि सरकार की गलती है, क्योंकि गवर्नर महोदय को उसने ठीक सलाह नहीं दी। मैं तो बल्कि यह समझता हूं कि इस प्रकार के मामलों में, सरकार को सलाह न दे कर आप को और चेयरमैन काउन्सिल को सलाह देनी चाहिये कि कब समन हो, कब प्रोरोग हो। इस सम्बन्ध में सरकार संवैधानिक रूप से कोई महत्व नहीं रखती। दूसरे मुल्कों की पार्लियामेन्टों और असेम्बलियों में देखें, हर जगह बजट सेशन होता है, साल की शुरूआत होती है तो इनएबिटेबली चाहे किंग हो या राष्ट्रपति या गवर्नर हो, सब भाषण देते हैं और साल की जो नयी नीतियां हैं उनको स्पष्ट करते हैं। लेकिन अगर बजट सेशन में हम इस बात को जानने से रह गये कि राज्यपाल महोदय नये वर्ष की नीतियां क्या बतलाते हैं तो यह संविधान के प्रतिकूल होगा कि हमें जुलाई या अक्तूबर में नये साल की नीतियों का पता चले, जब कि साल के केवल चार पांच महीने रह जायं। यह संविधान की भावना के प्रतिकूल होगा। मैं इसकी जिम्मेदारी राज्यपाल महोदय पर नहीं लाद सकता। लेकिन जिस प्रकार यह गम्भीर भूल हुई है उसके लिये मैं आप से अपील करूंगा कि आप संविधान की मर्यादा का खयाल कर के इस सम्बन्ध में उचित आदेश देने की कृपा करें और इस विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाय और फिर से लेजिस्लेचर का सेसन समन किया जाय।

मान लीजिये कि यह सेशन ९ दिसम्बर, १९५७ से प्रारम्भ हुआ है। तो राज्यपाल महोदय को ९ दिसम्बर, १९५७ को ही ऐड्रेस करना चाहिए था और हमें यह मालूम होना चाहिए था कि नये साल की क्या नीतियां होंगी। "at the commencement of a session of the Legislature of a State" का अगर दूसरा अर्थ लगाया जाय तो ९ दिसम्बर को ही भाषण होना चाहिए था। उस इंटरप्रिटेशन को लेते हुए भी मुझे आशा है कि आप उचित आदेश देने की कृपा करेंगे।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने अपनी आपत्ति उठाते हुए मेरे काम को बहुत हलका कर दिया क्योंकि उन्होंने कई ऐसी चीजें पढ़ दीं जिनको मुझे सदन में पढ़ना पड़ता।

हमने इस सवाल पर हर पहलू से गौर किया है और हमें यह दृढ़ विश्वास है कि हमारी तरफ से या श्री राज्यपाल की तरफ से कोई गलती नहीं हुई। अगर कोई भूल हुई है तो माननीय नारायणदत्त से हुई है, उन चीजों की मीमांसा करने में जिनको उन्होंने यहां उपस्थित किया। यह बिलकुल सही है कि ईयर की डेफिनीशन जनरल क्लाजेज ऐक्ट में है, उसको हम मानते हैं और वह अंग्रेजी कलेंडर ईयर होता है, लेकिन कांस्टीट्यूशन की जिस धारा को उन्होंने पढ़ा उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि साल के शुरू में जब कभी सदन बैठे तो उसी वक्त राज्यपाल का सम्बोधन हो। कलेंडर ईयर में जो पहला सेशन हो, उस पहले सेशन में राज्यपाल का सम्बोधन होना चाहिए और इस वक्त साल का एक महीना और तीन दिन हुए हैं। कई महीने पड़े हुए हैं। अगर कलेंडर ईयर के अन्दर नया सेशन हो और नये सेशन में राज्यपाल का सम्बोधन न हो तब किसी को आपत्ति करने का मौका हो सकता है अन्यथा नहीं। नया सेशन कब होगा यह आर्टिकिल १७४ में बतलाया हुआ है, उसके अनुसार राज्यपाल को अधिकार है इसका निर्णय करने का कि कब सदन को प्रोरोग करेंगे। यह उनके अधिकार की बात है। जब वह एक सदन को प्रोरोग करेंगे तभी नया सेशन हो सकता है अन्यथा नहीं। अभी इसके लिये काफी मौका है, कोई शिकायत की जगह नहीं है। यह भी शिकायत की बात नहीं हो सकती कि हमारी क्या पालिसी होगी उसका सदन को अन्दाज नहीं होगा। थोड़े ही दिनों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

में बजट पेश होगा और उसमें जो गवर्नमेंट की पालिसीज हुआ करती हैं, होने वाली हैं, उनका पूरा-पूरा दिग्दर्शन होता है तथा ब्योरे के साथ सदन को उन पर विचार करने का पूरा मौका रहता है ।

सच बात तो यह है कि मैं चाहता हूं माननीय सदस्य पिछले साल और उसके पहले मौकों पर, जब कभी राज्यपाल के सम्बोधन हुए हैं, उन पर जो भाषण हुए हैं यहां पर, उनको देखें । एक बार माननीय राज्यपाल की स्पीच होती है, उसके १०, १५ दिन के अन्दर बजट पेश होता है । चूंकि दोनों में १५, २० दिन का ही फर्क रहता है, इसलिये एक में वही बात कहनी पड़ती है जो पहले कह चुकी होती है, यानी एक ही बात को दो दफा दोहरा दिया जाता है, ऐसी शिकायत उन भाषणों में मिलेगी, पुरानी हिस्ट्री दी रहती है, नई बात नहीं होती । तो हमने तो यह समझा कि नया सेशन अगर कुछ दिन बाद हो तो यह दोहराने वाली बात भी नहीं होगी । निश्चय ही गवर्नमेंट एक जीवित संस्था है, नई-नई बातें उसके अन्दर होती रहती हैं, निश्चय ही नई-नई पालिसीज की बातें आवेंगी और मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को उन बातों पर कहने का पूरी तरह से मौका मिलेगा ।

एक डिस्टिंक्शन माननीय नारायणदत्त जी ने लेजिस्लेचर और असेम्बली में किया है । जाहिर बात है जिस प्रदेश में काउन्सिल होती है वहां लेजिस्लेचरके माने काउन्सिल और असेम्बली दोनों के होते हैं, । तो अगर किसी तरह से लजिस्लचर का पहला सशन हो और उसमें राज्यपाल का सम्बोधन न हो तब तो शिकायत की बात हो सकती है । तो एक सदन प्रोरोग किया जाय, उसके बाद राज्यपाल की तरफ से लोगों को सूचना जाय कि फलां तारीख को बैठक होगी उसमें शरीक हों और फिर राज्यपाल का सम्बोधन न हो, तब तो शिकायत की बात हो सकती है । जब कोई सदन प्रोरोग नहीं होता, नय निमंत्रण के अनुसार लोग यहां पर जमा नहीं होते तब तक किसी को इस बात की शिकायत नहीं हो सकती है कि राज्यपाल का सम्बोधन नहीं हुआ । इस वक्त तो पिछले सेशन ही की बैठक है और जाहिर बात है कि काउन्सिल की भी जब कभी बैठक होगी तो वहां के सदस्य भी पिछले सत्र की ऐजोर्न्ड बैठक के लिये ही आवेंगे । लेजिस्लेचर और काउन्सिल में जो फर्क है, तो यह लेजिस्लेचर की बैठक तो है ही नहीं, न तो काउन्सिल के सदस्य लजिस्लेचर की बैठक के लिये ही आवेंगे और न असेम्बली के । तो किसी को इस बात का खयाल ही नहीं करना चाहिये कि इस मौके पर राज्यपाल का सम्बोधन होगा । माननीय तिवारी जी ने जो ९ दिसम्बर की बात कहीं कि क्या होना चाहिये था, मैं पुराने इतिहास में नहीं जाता ।

श्री अध्यक्ष--मैं यह चाहता हूं कि आप यह भी स्पष्ट कर दें कि विधान सभा प्रोरोग क्यों नहीं की गई ? उसकी क्या वजह थी और नये वर्ष में प्रथम सेशन बुलाने का क्यों इरादा छोड़ दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नर की तरफ से ? इसके बारे में भी जो सूचना हो वह भी अगर दे दें तो अच्छा हो ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कांस्टीट्यूशन के अन्दर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बजट सशन जब हो उस मौके पर गवर्नर का सम्बोधन जरूरी ही हो । यह तो पिछले तीन, चार साल में होता रहा है, लकिन संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है । तो जब नहीं लिखा है उसको करने के लिये गवर्नर बाध्य नहीं हैं और इसीलिये हमने सलाह नहीं दी कि वह सदन को प्रोरोग करें और क्यों हमने सलाह नहीं दी उसका कारण भी मैंने बतलाया कि हम समझते हैं कि गवर्नर का सम्बोधन ज्यादा उपयोगी सदन के लिए इस वक्त नहीं हो सकता है जबकि कुछ दिन पीछे बजट सेशन हो चुका हो और इंडस्ट्री इत्यादि सिलसिले में या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सम्बन्ध में कई ऐसी बातें हैं जिनको कि शायद हमको करना होगा, सदन के सामने रखना होगा उन चीजों को और उन पर डिस्कशन करने का मौका कुछ दिन बाद होगा । इसलिए भी हमने उचित समझा कि गवर्नर को यह सलाह न दें कि इस वक्त वह प्रोरोग करें ।

(श्री गोविन्द सिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। बात यह है कि इसमें ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---इसी विषय पर थोड़ा सा प्रकाश और डालना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---जो नहीं, प्रकाश काफी पड़ चुका है। प्वाइंट आफ आर्डर के ऊपर डिसकशन नहीं होता। मैंने सिर्फ थोड़ा सा मौका दे दिया कि माननीय सदस्य अपना प्वाइंट आफ आर्डर स्पष्ट कर सकें।

जहां तक यह प्वाइंट आफ आर्डर माननीय नारायणदत्त जी ने उपस्थित किया, उन्होंने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि संशोधन के अनुसार राज्यपाल का सम्बोधन वर्ष के प्रारम्भ में जरूर होना ही चाहिए। वैसे प्रोरोगेशन का जो अधिकार है वह हम लोगों के यहां संविधान में दिया हुआ है। इंगलैंड की प्रथा के अनुसार मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में आप देखेंगे---

"The Prorogation is a Prerogative act of the Crown. Parliament, it has been seen, can only commence its deliberations at the time appointed by the King; neither can it continue them any longer then he pleases".

वहां भी हर एक सदन को अपनी-अपनी बैठक को मुल्तवी करने का तो पूर्ण अधिकार है परन्तु यह प्रोरोगेटिव क्राउन का है कि वह पार्लियामेंट को प्रोरोग कर सकता है। पार्लियामेंट का काम चल रहा हो तो भी बीच में ही बादशाह काम रोक सकता है पार्लियामेंट को प्रोरोग करके। पार्लियामेंट बुलाना चाहती है सदन को एक महीने भर बाद और वह पन्द्रह ही रोज बाद बुला लें प्रोरोगेशन के बाद। तो यह प्रोरोगेटिव विशेषाधिकार इस तरह की चीज होती है और इसका परिणाम भी यह है कि जो-जो काम सदन के सामने हो रहे हों, वे सब ठप कर दिये जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन को वैसे साधारण रीति से तो अपने अधिकारों को ज्यादा सुरक्षित इसमें समझना चाहिए कि जब चाहे तब वह सदन को स्थगित करें और जब चाहें तब बुलायें और यह विशेष अधिकार की गवर्नर के हस्तक्षेप की बात अगर संविधान में रखी है तो उसको व्यापक बनाने की हमें आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि इससे एक प्रोरोगेटिव की शक्ति को बढ़ा देने के बराबर बात होगी। तो जहां तक उसको व्यापक बनाने का सवाल है, प्रथा के अनुसार तो मैं समझता हूं मुझे कोई औचित्य उसमें मालूम नहीं होता।

एक प्रथा इंगलैंड में इस तरह की चली आयी कि पहला सेशन होना ही चाहिए और उसको बादशाह को ऐड्रेस करना ही चाहिए। हर एक सेशन को वहां किंग ऐड्रेस करता है। हमारे यहां भी पहले हर एक सेशन को गवर्नर ऐड्रेस करते थे सन् १९५१ के पहले, लेकिन संविधान में संशोधन करके अब यह हो गया है कि जब पहला सेशन किसी साल में हो उसी को वह एड्रेस करेंगे।

अब पहला सेशन किसे हम कहेंगे यह प्रश्न उत्पन्न होता है। यह तो गवर्नर के खुद डिस्क्रीशन के ऊपर है कि वह कब सदन को प्रोरोग करते हैं। जब तक गवर्नर किसी सशन में सदन को प्रोरोग नहीं करते हैं तब तक वही सेशन चलता रहेगा। इंगलैंड में तो एक सेशन साल-साल भर चलता रहता है। हमारे यहां तो एक साल में शायद बीच-बीच में दो-दो, तीन-तीन दफा सदन को गवर्नर प्रोरोग कर देते हैं। इन कारणों से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन को प्रोरोग करने का जो अधिकार है वह केवल गवर्नर को है और यदि उन्होंने सदन को वर्ष के अन्त में प्रोरोग नहीं किया तो विधान सभा अपना काम नहीं कर सकती या उसको अधिकार नहीं है कभी भी बैठक बुला कर काम करने का यह बात उसके परिणाम में नहीं निकलती। सदन को पूर्ण अधिकार है कि स्थगित बैठक कभी भी करे। 'साइने डाई ऐजर्न' जब हम सदन को करते हैं तो बुलाने का तरीका यही है कि जब सदन के लिये काम हो तो अध्यक्ष बैठक बुला लेता

[श्री अध्यक्ष]

है और अध्यक्ष के बुलाने का मतलब यही है कि असेम्बली अपने अधिकार का उपयोग करती है। उसमें कोई बाधा संविधान की मुझे दिखाई नहीं देती, न किसी तरह की अड़चन ही है।

और भी बातें माननीय नारायणदत्त जी ने लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेम्बली में फर्क की कहीं। लेजिस्लेचर की संयुक्त बैठक की कोई बात संविधान में नहीं है जहां तक कि हमारे लेजिस्लेचर से सम्बन्ध है। दो हाउसेज हमारे यहां अवश्य हैं। लेकिन कोई संविधान में ज्वाइंट सेशन का होना नहीं दिया है। उसमें सिर्फ लिखा है दोनों हाउसेज के मेम्बर्स एक साथ जमा होंगे, उनको गवर्नर ऐड्रेस करेंगे, लेकिन उस समारोह या बैठक की क्या हस्ती होगी यह संविधान में नहीं लिखा है। वह लेजिस्लेचर की ज्वायंट सिटिंग है या नहीं इस बारे में कोई स्पष्टीकरण संविधान में नहीं है, यद्यपि ज्वाइंट सिटिंग का जो तरीका है वह लोक सभा के संबंध में संविधान में दिया है, लेकिन प्रादेशिक विधान मंडलों की कोई ज्वायंट सिटिंग का जिक्र नहीं है। ऐसी अवस्था में जहां तक संविधान में दिया हुआ है उसके अनुसार जब कि पहले गवर्नर ने सेशन को प्रोरोग नहीं किया, तो यह नया सेशन नहीं है। पुराने सेशन की यह नई बैठक कही जा सकती है। इसलिये माननीय सदस्यों को बुलाया गया स्थगित बैठक के बाद और वैधानिक दृष्टि से यह वही पुराना सेशन चल रहा है। उसी की एक यह एडजर्न्ड सिटिंग है और इसमें सदन की कार्यवाही चल सकती है।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मेरठ जिला जेल में मोदीनगर के सत्याग्रहियों पर कथित बल प्रयोग

**१—श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिला कारागार में मोदीनगर के सत्याग्रहियों पर मकर संक्रान्ति के दिन १४ जनवरी को लाठी चार्ज किस परिस्थिति तथा किस कारण से हुआ ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—१४ जनवरी, सन् १९५८ को मेरठ जिला कारागार में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ।

**२—श्री रामायणराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त लाठी, चार्ज के कारण कितने बन्दी घायल हुये तथा उनके चोटों का ब्योरा क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

**३—श्री रामायणराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोदीनगर के सत्याग्रह में कितने लोग गिरफ्तार हैं तथा उन्हें किन-किन जेलों में किन-किन श्रेणियों में रखा गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मोदीनगर के सत्याग्रह में इस समय १७६ व्यक्ति गिरफ्तार हैं। इनमें से ७० विचाराधीन बन्दी तथा ५६ सजायाफ्ता (Convicted) बन्दी जिला जेल मेरठ में हैं। अन्य ५० सजायाफ्ता बन्दी आगरा जिला कारागार में हैं। इस समय तीन बन्दी उच्च श्रेणी में हैं।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री जी को इन सत्याग्रहियों के साथ बलप्रयोग की सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई बलप्रयोग नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि १२ तारीख उनके तबादले की मुकर्रर थी। मेरठ जिले में कुल ७६२ आदमियों की जगह है। ३३० सत्याग्रहियों के आ जाने से वहां १,२०१ की आबादी हो गई। इस पर कुछ सत्याग्रहियों के लिये तबादले का आर्डर किया गया और १२ तारीख मुकर्रर की गयी, लेकिन उन सत्याग्रहियों ने जाने से इन्कार किया और उस तारीख को उनका तबादला नहीं हो सका। फिर १४ तारीख मुकर्रर हुई और वे सत्याग्रही बुलाये गये। उनको तबादला का आर्डर बतलाया गया। कुछ लोग जो अन्दर गये उन्होंने आने से इन्कार किया और वे सब के सब दोनों फाटकों के बीच फैल गये और नारे लगाने लगे। जब उन्होंने तबादले के लिये जाने से इन्कार किया तो उसमें से ४ को पकड़ के मोटर में बैठा दिया गया। उसके बाद बाकी लोग खुदबखुद बैठ गये। किसी खास बल का प्रयोग नहीं हुआ।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस लाठी चार्ज का विस्तृत विवरण इंडियन एक्सप्रेस जैसे दिल्ली के प्रमुख पत्र में भी छपा है ?

श्री अध्यक्ष—अखबार में कोई चीज छपी है तो उसके सम्बन्ध में आप यहां मन्त्री जी से नहीं पूछ सकते।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है इस जेल में ही सांवलिया नामक सत्याग्रही की मृत्यु हो गयी और छज्जू वीर जो सत्याग्रही था वह भी मर गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस समय जो चोटें उन्हें लगीं और जेल अस्पताल में मुआइना हुआ उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—न उनको चोटें लगीं, न कोई मुआइना ही हुआ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिनका हाथ पकड़ कर गाड़ी में बिठलाया गया तो उनको गाड़ी में ले जाने के लिए खींचना पड़ा या वे हाथ पकड़ते ही आराम से गाड़ी में जाकर बैठ गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी कोई तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस तफसील को मंगा कर सदन की मेज कर रखेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझसे अगर कोई तफसील मांगी जायगी जो जरूर रखूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनका तबादला अवैधानिक रूप से किया गया, इस वजह से सत्याग्रहियों ने एतराज किया ?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—धारा २३८ जेल मैनुअल के हिसाब से जिनके मुकदमा सुनने के, अपील के २९ दिन गुजर गये हों, उनका तबादला किया जा सकता है। मैं स्वयं जेल में गया था और मुझको मालूम हुआ कि ....

श्री अध्यक्ष—वह नहीं। आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—तबादला गलत तरीके से किया गया था, इसलिए सत्याग्रहियों ने एतराज किया था या और कोई कारण था ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे कोई ऐसी इत्तला तो नहीं है कि कोई वैधानिक सवाल वहां उठाया गया हो।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ४ बन्दियों को पकड़ कर मोटर में रख लिया गया, वे कौन थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास उनके नाम नहीं हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कैदियों ने जाने से इन्कार कर दिया तो कौन सी ऐसी युक्ति इस्तेमाल की गयी जिससे जबकि वे फाटक में फैल गये थे तो, सहज में जाने के लिए राजी हो गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—उनको समझाया भी गया था और ४ आदमियों को मोटर तक ले भी जाया गया ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सुरक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों का तबादला किया गया था उनकी मियाद दस बारह या पन्द्रह दिन से ज्यादा नहीं थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन ४ सत्याग्रहियों को मोटर तक ले जाने में कितने आदमियों का इस्तेमाल करना पड़ा ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी कोई तफसील नहीं है ।

फैजाबाद जिले से रेण्ट ऐण्ड एविक्शन कण्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार को अपील

**४—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि फैजाबाद के यू० पी० टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट के कितने ऐसे मामले सेक्रेटरी, फूड एण्ड सिविल सप्लाईज, उत्तर प्रदेश सचिवालय के पास पिछले एक साल से विचाराधीन हैं, जिनमें रेण्ट कंट्रोल अफसर, फैजाबाद और कमिश्नर ने मकान मालिकों को किरायेदारों से मकान खाली कराने के लिये जाब्ते की कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है परन्तु किरायेदारों ने गवर्नमेंट से अपील की है ?

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रण्ट ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा ७—एफ के अन्तर्गत फैजाबाद जिले की केवल एक ऐसी अपील राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह भी बतलाना चाहता हूं कि उस पर भी विचार हो चुका है और निर्णय हो चुका है ।

**५—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

तारांकित प्रश्न

देहरादून जिले में कथित डाक पाथर सिंचाई योजना

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देहरादून जिले में डाक पाथर सिंचाई योजना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा हुआ और आज वह किस दशा में है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—ऐसी कोई सिंचाई योजना नहीं है ।

*२—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस योजना पर कितना धन व्यय होगा और यह योजना कब तक पूर्ण होगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न ही नहीं उठता।

झांसी जिले में नहर विभाग के ट्रैक्टरों व बुलडोजरों से भूमि सुधार के काम

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत व इस वर्ष नहर विभाग के ट्रैक्टरों व बुलडोजरों आदि द्वारा झांसी जिले में अन्य किन-किन सरकारी विभागों, निजी संस्थाओं व व्यक्तिगत लोगों की जमीनों को जोता व लेविल किया गया तथा उनके पत्थर उखाड़े गये?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—नहर विभाग के ट्रैक्टरों व बुलडोजरों ने झांसी जिले में जिन जनहित संस्थाओं एवं व्यक्तिगत लोगों के लिये जो कार्य किया वह निम्नलिखित है:—

क—बुन्देलखंड कालेज के क्रीड़ा-स्थल को सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में समतल किया।

ख—पं० जयराम शर्मा के व्यक्तिगत खेत की भूमि को १९५७ में समतल किया।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त विभागों, संस्थाओं व व्यक्तियों के नाम के साथ-साथ उनकी आराजियों की नाप-तौल तथा यह भी बताने की कृपा करेगी कि कहां-कहां कितने-कितने दिन उक्त मशीनें चली?

श्री राममूर्ति—उक्त संस्था व व्यक्ति का नाम, उनकी आराजियों की नाप-तौल तथा वहां पर मशीनों के चलाने का कुल समय इस प्रकार है:—

संस्था व व्यक्ति का नाम	आराजियों की नाप	कार्य का समय
१—बुन्देलखंड कालेज	२.१६ एकड़	५ घंटे
२—पं० जयराम शर्मा	१.१ एकड़	२ घंटे

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस किस काम के कितने कितने चार्जेज हुये और कितना कितना रुपया वसूल हो चुका है?

श्री राममूर्ति—उक्त संस्था व व्यक्ति के चार्जेज तथा वसूलयाबी का ब्योरा इस प्रकार है:—

संस्था व व्यक्ति का नाम	चार्जेज रुपयों में	वसूली रुपयों में
१—बुन्देलखंड कालेज	३०० रु०	३०० रु०
२—पं० जयराम शर्मा	१२० रु०	१२० रु०

पुखरायां, जिला कानपुर में खुलने वाला दियासलाई निर्माण केन्द्र

*६—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि पुखरायां जिला कानपुर में जो दियासलाई बनाने का कारखाना खोला जा रहा था उसमें कितनी प्रगति हुई है और इस कारखाने से कब तक दियासलाई बनकर बिक्री के लिये बाजार में आ जायगी?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---पुखरायां, जिला कानपुर में दियासलाई निर्माण केंद्र स्थापित करने के लिये आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है तथा आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली गई है। आशा है उक्त केंद्र में दियासलाई बनना शीघ्र आरम्भ हो जायगा और तब वे बिक्री के लिये बाजार में आ जावेंगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दियासलाई का कारखाना आल इंडिया खादी बोर्ड के संरक्षण में या स्वतंत्र रूप से चलेगा?

श्री रऊफ जाफरी---इसके मुताल्लिक आल इंडिया खादी बोर्ड से कुछ सैंटर्स दिये गये थे जो ब्लाक्स में नहीं होंगे, उनमें से एक यह है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कारखाने के खोलने में कितनी पूंजी की लागत का अनुमान है और प्रतिवर्ष कितनी दियासलाइयां बन कर निकलेंगी?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

कानपुर का डी० बी० एस० इंजीनियरिंग स्कूल

*७---श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर में कोई इंजीनियरिंग स्कूल खुला है? यदि हां, तो सरकार ने उसे कितनी सहायता देने का निश्चय किया है?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---जहां तक सरकार को विदित है कानपुर में पिछले वर्ष डी०बी०एस० इंजीनियरिंग स्कूल डी०ए० वी० कालेज ट्रस्ट तथा मैनेजमेंट सोसाइटी, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत खुला है किन्तु सरकार द्वारा इस स्कूल को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती।

*८---श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष उस इंजीनियरिंग स्कूल में कितने नये विद्यार्थी लिये गये हैं और उनके ठहरने आदि की क्या व्यवस्था की गई है?

श्री धर्मसिंह---उपरोक्त स्कूल में इस वर्ष २८४ विद्यार्थी भरती किये गये हैं। १४० विद्यार्थियों के लिये छात्रावास में रहने का प्रबन्ध है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में जो इंजीनियरिंग स्कूल खुला है इसकी मान्यता किस आधार पर दी गयी है?

श्री धर्मसिंह---अभी मान्यता नहीं दी गयी है और यह प्रश्न विचाराधीन है।

बहराइच जिले में राप्ती नदी पर जलकुण्डी बांध योजना

*९---श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच की सरहद पर राप्ती नदी पर जो जलकुंडी बनने वाली थी उसमें अब तक कितनी सफलता मिल सकी है?

श्री राममूर्ति---जलकुंडी बांध की स्थिति दिसम्बर १९५५ ई० में तय की गई थी। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इसकी एक कच्ची योजना बनाकर केंद्रीय सरकार की सेवा में प्रेषित की जा चुकी है। इसकी आगे की खोज अब भी चल रही है। इस अवस्था पर सफलता के विषय पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

*१०---श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जलकुंडी कब तक बन जायगी?

श्री राममूर्ति---जलकुंडी बांध योजना की खोज अब भी प्रगति में है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह योजना कब तक बन जायेगी।

श्री बलदेवसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कच्ची योजना १९५५ में केंद्रीय सरकार को भेजी गयी थी, उसके बाद क्या उस संबंध में कुछ लिखा-पढ़ी हुई है और क्या बाधायें हैं ? सरकार को यदि कुछ जानकारी हो तो वह बताने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---अभी तो प्रेलिमिनरी सर्वे हुआ था और डिटेल्ड सर्वे हो रहा है, और चूंकि काम पूरा नहीं हो पाया है इसलिये अभी फायनली कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री बलदेव सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि नैपाल सरकार इसके बनाने में बाधा डाल रही है क्योंकि जमीन नैपाल राज्य में है ?

श्री राममूर्ति---ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैपाल सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रादेशिक सरकार ने या केन्द्र ने कुछ किया है ?

श्री राममूर्ति---अभी तो सर्वे हो रहा है । जब यह खत्म हो जाय तो इस सिलसिले में कोई बात की जाय।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में गांवों को ऊंचा करने का काम

*११---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में कितने और कौन-कौन ग्राम १९५६-५७ में बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचे किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति---सगड़ी तहसील में १०२ ग्राम १९५६-५७ में ऊंचे किये गये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६८-४६९ पर)

*१२---श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम जोलहापुर, तहसील सगड़ी के हरिजनों की ओर से एक दरख्वास्त ग्राम को ऊंचा करने के निमित्त जिलाधीश, आजमगढ़ के यहां सन् १९५७ के शुरू महीने में प्राप्त हुई थी ?

श्री राममूर्ति---इस विभाग में जोलहापुर ग्राम को ऊंचा करने का कोई प्रार्थनापत्र नहीं आया। जिलाधीश, आजमगढ़ से लिखी-पढ़ी की गई है, परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

*१३---श्री मुक्तिनाथराय---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ग्राम की पटाई में क्या प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति---इस ग्राम का नाम ऊंचा किये जाने वाले ग्रामों की सूची में शामिल नहीं है, अतः कार्य नहीं किया गया है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ग्राम ऊंचे किये गये हैं वे ग्राम सभाओं द्वारा किये गये हैं या अन्य ठेकेदारों द्वारा ?

श्री राममूर्ति---जहां ग्राम सभाओं के प्रधान इस बात का इन्तजाम कर लेते हैं कि वे काम सहूलियत के साथ करा सकें वहां अमूमन उन्हीं के जरिये ठेके दिये जाते हैं और जहां उसका इन्तजाम नहीं हो पाता है वहां सरकार के जरिये से काम किया जाता है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—ग्राम सभायें ठीक ढंग से काम करती हैं या अन्य ठेकेदार, इसका पता सरकार किस प्रकार लगाती है ?

श्री राममूर्ति—काम का पूरा हो जाना, काफी लेबर का मिल जाना, बस इस बात की दलील है और इसी से पता लग जाता है कि काम ठीक हो रहा है या नहीं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग ने राज्य स्तर पर पंचायत राज विभाग से कुछ इस संबंध में बातचीत की है कि गांव सभाओं को इस काम में वे प्रेरित करें और यह काम वे ही करें ?

श्री राममूर्ति—डेवलपमेंट कमिश्नर के नोटिस में यह बात लायी जा चुकी है और उनसे इस बात की दरख्वास्त डिपार्टमेंट के जरिये से की गयी थी कि जहां तक हो सके वे ग्राम सभाओं को तैयार करें और जिस जगह प्लानिंग अफ़सर इस बात के लिये तैयार हो जाते हैं वहां हम इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके ही जरिये से यह काम लिया जाय।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार ग्राम सभाओं को कोई इस प्रकार के आदेश देने के बारे में सोच रही है कि जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनको वे देखें कि ठीक ढंग से ऊंचे किये गये हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति—चूंकि गांवों को ऊंचा करने के लिये रुपया सिंचाई विभाग की तरफ से दिया जाता है इसलिये सिंचाई विभाग के जो कार्यकर्त्ता हैं वे जाकर मिट्टी को नापा करते हैं और जब उनको यह संतोष हो जाता है कि सही तरीके से मिट्टी पड़ गयी है तभी उसका फ़ाइनल पेमेंट होता है और उस गांव को ऊंचा समझा जाता है।

*१४-१६—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर डिवीजन में एम० बी० नम्बर ३४ पुस्तक का खो जाना

*१७—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि एम० बी० नम्बर ३४ में जो १९५७ में गाजीपुर डिवीजन में खोई है कुल कितने रकम का पेमेंट हुआ था और प्रत्येक कच्चे व पक्के कामों पर कितना-कितना रुपया व्यय हुआ था ?

श्री राममूर्ति—पूर्व बाढ़ मंडल गाजीपुर की खोई हुई एम० बी० नं० ३४ में २५,३२६ रु० के भुगतानों का विशेष विवरण निम्न प्रकार है :—

(अ) विविध ठेकेदारों को मिट्टी के कार्य का भुगतान २०,८५१ रु०।

(ब) पक्के तथा अन्य कामों का भुगतान ४,४७५ रु०।

*१८—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त एम० बी० किस सब-डिवीजन से खोई और क्या यह किताब किसी अनक्वालीफाइड ओवरसियर की थी ?

श्री राममूर्ति—एम० बी० नं० ३४, पूर्व बाढ़ मंडल गाजीपुर के प्रथम सब-डिवीजन से खोई थी, और यह एम०बी० एक क्वालीफाइड ओवरसियर के नाम दर्ज थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एम० बी० नम्बर ३४ के संबंध में कोई जांच भी की गयी थी कि वह कैसे खोयी ?

श्री राममूर्ति—ओवरसियर का एक नौकर अपनी साइकिल के पीछे किताब बांधे हुये चला जा रहा था और जांच से यह पता लगा कि उसकी गलती से वह किताब पीछे से गिरगयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो क्वालीफ़ाइड ओवरसियर हैं इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राममूर्ति—चूंकि भुगतान सही तरीके से हुआ था इसलिये क्वालीफाइड ओवरसियर की कोई गलती नहीं समझी गयी।

श्री गेंदासिंह—क्या यह शिकायत भी उन गांवों के संबंध में है और यह एम० बी० जो खो गयी उसमें इन्दराज है वह गांवों को ऊंचा करने के संबंध में है ?

श्री राममूर्ति—इस किस्म की कोई शिकायत मेरे पास नहीं है।

खादी योजना में काम करने वालों के टी० ए० बिलों का भुगतान न होने की शिकायत

*१९—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खादी योजना में काम करने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं का टी० ए० बिल कब से नहीं दिया गया है तथा हेड आफिस के पदाधिकारियों में से कितनों का बाकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के सन् १९५६–५७ के कुछ टी० ए० बिलों को छोड़ कर अन्य टी० ए० बिल क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों के नियमित रूप से भुगतान हो जाते हैं।

*२०—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उपर्युक्त कार्यकर्त्ताओं का वेतन दो-दो, तीन-तीन महीने तक नहीं मिलता ?—अगर हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

*२१–२३—**श्रीमती गेंदादेवी** (जिला बस्ती)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४–२५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १० फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गुड़ तथा खाण्डसारी उद्योग बढ़ाने का कार्य

*२६—**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्प्रति गुड़ और खाण्डसारी गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये उसकी ओर से प्रदेश में क्या-क्या कार्य हो रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—राज्य में गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :

१—गुड़ बनाने का प्रदर्शन करना तथा उसकी ट्रेनिंग देना।

२—उन्नतिशील कोल्हू, कढ़ाव तथा सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन तकावी पर व नकद वितरण करना।

३—कम ईंधन खर्च करने वाली तथा समय की बचत करने वाली उन्नतिशील भट्ठियों के निर्माण की शिक्षा देना।

४—रस की सफाई के सस्ते साधन बताना तथा रस की सफाई के लिये देवलाबीज का वितरण करना।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन उद्योगों पर कुल कितना व्यय हुआ और क्या उसके फलस्वरूप रस की और खाण्ड की रिकवरी में कुछ अन्तर हो सका ?

श्री रऊफ जाफरी--इस के लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन उद्योगों के फलस्वरूप क्या उन्नति इन धंधों की हो सकी ?

श्री रऊफ जाफरी--गुड़ बहुत अच्छा बनने लगा । करीब ६,००० गांवों में इसका काम हो रहा है और इस साल तो खासकर बहुत उन्नति हुई है क्योंकि सेल्स टैक्स नहीं है । खाण्ड-सारी का काम बड़े जोरों पर इस साल चल रहा है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नतिशील कोल्हू से शुगर का प्रोडक्शन कम है और इसलिए क्या उस कोल्हू को उन्नतिशील बनाने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है?

श्री रऊफ जाफरी--ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी ।

श्री गेंदासिंह--एक लाख गांव में से अभी कुल ६,००० गांवों में यह काम फैल पाया है इस बात को देखते हुए क्या सरकार इस बात की चेष्टा करेगी कि इसको और फैलाया जाय और इस उद्योग को और उन्नतिशील बनाया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये जितने भी उपाय हैं सोचे जा रहे हैं और इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ।

सेण्ट्रल सेल्स टैक्स से संबंधित साहित्य को हिन्दी में छापने की मांग

*२७--**श्री जगदीश शरण अग्रवाल**--क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी सेण्ट्रल सेल्स टैक्स के अन्तर्गत जिसका संचालन उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा हो रहा है जितने फार्म, किताबें और सार्टीफिकेट छपे हैं केवल अंग्रेजी ही में छपे हैं ?

श्री धर्मसिंह--जी हां । वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि सेण्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ और उसके अन्तर्गत भारत सरकार ने जो नियम बनाये हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार ने केवल अंग्रेजी भाषा में छापा है और इसी प्रकार उनके अन्तर्गत निर्धारित फार्म भी छापे गये हैं ।

*२८--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**--क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में कोई सरकारी या असरकारी किताब ऐसी नहीं है जिसमें एक जगह सेल्स टैक्स ऐक्ट तथा उसके नियमों में समय-समय पर हुये संशोधन एवं उसके अन्तर्गत जारी किये गये नोटीफिकेशन मिल सकें ?

श्री धर्मसिंह--ऐसी कोई सरकारी किताब नहीं है, परन्तु कुछ असरकारी किताबें जरूर हैं जिनमें आवश्यक सूचना एक जगह पर मिल सकती है ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्यभाषा हिन्दी है और अंग्रेजी के फार्मों से जनसाधारण को बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है, माननीय मंत्री जी इस बात की कृपा करें कि यह फार्म हिन्दी में छपें ?

श्री धर्मसिंह--भारत सरकार को लिखा गया है कि इसके लिये उचित कार्यवाही करे ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फार्म उत्तर प्रदेश की सरकार ने छपवाय हैं या भारत सरकार न ?

श्री धर्मसिंह---यू० पी० की सरकार ने जो अपने रूल्स आदि बना रखे हैं वे हिन्दी में हैं और जैसी भारत सरकार की हिदायतें हैं फार्म उन्हीं के अनुसार छपे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कोई ऐसा प्रबंध करेगी कि जो इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट के पब्लिकेशन्स हैं, या और जो कोई सरकार का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट हो वह, इस सेल्स टैक्स की कोई ऐसी एक पुस्तक छपवायेगा कि जिसमें ऐक्ट, नियम, नोटिफिकेशन आदि सब एक जगह छप जायें ?

श्री धर्मसिंह---अप्रैल, १९५८ के बाद इस पर विचार किया जायगा ।

कानपुर जिले के लिये नलकूप योजना

*२९---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूबवेल बनाने की योजना थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूबवेल बनाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में ४ नलकूप बनाये गये तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५८-६१ में १५ नलकूप बनाने की योजना है ।

*३०---श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उनमें से कितने बन चुके हैं और शेष जो समय के अन्दर नहीं बन पाए हैं उसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना के ४ नलकूप बन चुके हैं और चालू हैं ।

श्री रामायणराय---यह ट्यूबवेल कहां लगाये जायें, किस तरह की भूमि में लगाये जायें, इसका निश्चय सिंचाई इंजीनियर करते हैं या प्लानिंग कमेटी करती है ?

श्री राममूर्ति---प्लानिंग कमेटी से हम इस बात की सलाह लिया करते हैं कि कौन से इलाके में वह ट्यूबवेल लगवाना चाहती है लेकिन जमीन के अन्दर स्ट्रेटा कहां अच्छा मिलेगा यह निश्चय सिंचाई विभाग के इंजीनियर करते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तादाद आपने दी है उसमें कितने ट्यूबवेल डिजिल इंजिन से चल रहे हैं और कितने बिजली से चल रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास इसका ब्यौरा इस वक्त नहीं है लेकिन वे चारो चालू हैं।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो ट्यूबवेल प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बनने थे, वह पूरे क्यों नहीं बन पाए ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि चार ट्यूबवेल एलाट किये गये थे, वे चारो बन गये ।

गुड़-खाण्डसारी योजना को स्थायी करने के सम्बन्ध में जानकारी

*३१---श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार गुड़-खाण्डसारी योजना को स्थायी करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री रऊफ जाफरी---

(क) फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि जिनकी वजह से इस योजना को स्थायी करने का विचार त्यागा जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी---इस वक्त इस पर विचार नहीं हो रहा है, आइन्दा किया जा सकेगा।

श्री गेंदासिंह---इसको तोड़ने का विचार तो सरकार का नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करें कि यह योजना अस्थायी रूप से कब से चल रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---कई वर्षों से चल रही है।

कानपुर जिले के लिए नलकूप योजना

*३२---श्री मदन पाण्डेय---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में (अ) नलकूपों की संख्या, (ब) नये नलकूपों के खुदाने के लिये गत ३ वर्षों में दी गई सरकारी सहायता तथा (स) नये नलकूपों के खुदवाने के लिये सहायता के संबन्ध में गत ३ वर्षों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है ?

श्री राममूर्ति---

(अ) १२ नलकूप।

(ब) गत तीन वर्षों में नये नलकूपों को खुदाने के लिये ४०,००० रु० तकावी ऋण तथा ५,८२८ रु० ११ आना ३ पाई छूट के रूप में सहायता दी गई।

(स) गत ३ वर्षों में नये नलकूप खुदाने के लिये सहायतार्थ सात प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

श्री मोतीलाल अवस्थी---(अ) में जो १२ नलकूप हैं इनकी सूची मेज पर मंत्री जी रखेंगे कि ये कहां-कहां हैं ?

श्री राममूर्ति---स्थान तो मैं सही तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन कानपुर में १२ हैं जिनमें ४ राष्ट्रीय २ सहकारी और ६ निजी हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---ये नलकूप कैसे चलाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है लेकिन यदि बिजली से नहीं चल रहे होंगे तो डीजल इंजिन से चल रहे होंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जो ७ प्रार्थना-पत्र आये हैं वे किन-किन सज्जनों के हैं ?

श्री राममूर्ति---देशामऊ सहकारी समिति, माल सहकारी समिति, माधोराम कठियार निजी नलकूप और वर्मा व्यापार निजी नलकूप, उन्नयान बस्ती कल्यानपुर, कानपुर गोशाला समिति, भांति, सरकारी फौजी डेरी फार्म और श्री जंगबहादुर सिंह।

भोगनीपुर डिवीजन में पतरौलों का चुनाव

*३३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, अक्तूबर, १९५७ में शाख भोगनीपुर डिवीजन में कितने पतरौलों का चुनाव हुआ तथा उनमें क्रमशः (१) पिछड़ी हुई और (२) परिगणित जातियों के व्यक्ति कितने हैं ?

श्री राममूर्ति---सितम्बर, १९५७ में कोई भी पतरौलों का चुनाव भोगनीपुर डिवीजन में नहीं हुआ। माह अक्तूबर में १ डिवीजनल प्रारम्भिक चुनाव हुआ, अंतिम चुनाव दिसम्बर,

१९५७ में हुआ जिसमें कुल ९ पतरौल अभ्यर्थी चुने गये। जिसम से १ परिगणित जाति का और दो पिछड़े वर्ग के लोग थे।

बांदा जिले के करवी-मऊ क्षेत्र को बिजली देने की मांग

*३४--**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)--क्या वित्त मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले के करवी-मऊ क्षेत्र में बिजली किस बांध से दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह--ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*३५--**श्री जगपतिसिंह**--क्या यह सही है कि पहले सरकार ने जिन जिलों को विद्युत सप्लाई होने की सूचना निकाली थी उसमें बांदा जिला भी शामिल था और अब १९५७ की सूचना में बांदा का नाम नक्शे में नहीं है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री जगपतिसिंह--क्या मंत्री जी 'नहीं' का मतलब बतावेंगे कि इससे उनका क्या तात्पर्य है ?

श्री धर्मसिंह--'नहीं' का मतलब नहीं है। नक्शे में है ही नहीं।

श्री जगपतिसिंह--रिहन्द बांध से और माताटीला बांध से कितने-कितने मील की परिधि में बिजली दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह--ये दोनों बांध अभी बन रहे हैं लेकिन बांदा जिले में बिजली पहुंचने का अभी कोई प्रश्न नहीं है।

*३६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १० फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

दोहरीघाट नहर पर व्यय तथा उससे सिंचाई की योजना

*३७--**श्री गौरीशंकरराय** (जिला बलिया)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट नहर तथा उसकी शाखाओं के लिये कुल कितनी जमीन ली गई है और यह जमीन कितने दिन से नहर विभाग के कब्जे में है ?

श्री राममूर्ति--दोहरीघाट नहर तथा उसकी शाखाओं के लिये अब तक कुल २,२८५ एकड़ भूमि ली गई है। यह भूमि नहर विभाग के अधिकार में अप्रैल, १९५५ से जुलाई, १९५७ तक क्रमशः आई है।

*३८--**श्री गौरीशंकरराय**--दोहरीघाट नहर पर अब तक कुल कितना रुपया सरकार ने व्यय किया है ?

श्री राममूर्ति--दोहरीघाट नहर पर नवम्बर, १९५७ के अन्त तक कुल १,०२,००,००० रु० व्यय हुआ है।

*३९--**श्री गौरीशंकरराय**--इस नहर में अब तक कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है ?

श्री राममूर्ति--इस नहर से सितम्बर, १९५७ तक कुल ४,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है।

श्री गौरीशंकरराय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट नहर के पम्पिंग सेट न आने के कारण २,२८५ एकड़ जमीन जो पिछले ४ साल से बेकार पड़ी है उससे कुल कितनी क्षति का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति--जब सिंचाई होने लग जायगी तो ये सब पूरी हो जायगी ।

श्री गौरीशंकरराय--अभी दोहरीघाट नहर के लिये पम्पिंग सेट नहीं आया है और उत्तर यह है कि इस नहर से सितम्बर, १९५७ तक कुल ४,५०० एकड़ जमीन की सिंचाई हुई तो किस यंत्र से सिंचाई हुई ?

श्री राममूर्ति--जब यह काम तैयार हुआ तो यह देखने के लिये कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है स्पेशल पम्प लगाकर पानी निकाला गया जिससे ४,५०० एकड़ की फ्री सिंचाई हुई ।

श्री गेंदासिंह--पम्पिंग सेट कब तक लग जायगा और कितनी जमीन सींची जायगी ?

श्री राममूर्ति--इस नहर की कैपेसिटी ६००क्यूजैक्स की है जिसमें से १२० क्यूजैक्स के पम्प का इन्तजाम हो गया है । बाकी के लिये फारन एक्सचेन्ज की कोशिश की जा रही है । कुल रुपया मिलने पर इस नहर का कमान्ड एरिया १,५०,००० एकड़ होगा ।

*४०-४१--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गए ।]

देवरिया जिले में करघा उद्योग को बढ़ाने की प्रार्थना

*४२--श्री उग्रसेन--क्या सरकार देवरिया में एक वृहद् करघा उद्योग सहकारिता के आधार पर चलाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं ।

वाराणसी जिले की धानापुर नहर से पानी मिलने की योजना

*४३--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी की धानापुर नहर इस वर्ष पूर्ण रूप से पानी देने लगेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं । धानापुर नहर को पानी जिरगों बांध से मिलेगा जिसे सन् १९५९ में भरने की आशा है ।

*४४--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त नहर पर प्रस्तावित पुल तथा पुलिया इस चालू वर्ष में बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--जी हां ।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत डी० एफ० ए० तथा हिसाब में देरी की शिकायत

*४५--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में हालरिथ एकाउंटिंग सिस्टम और रोनियों एकाउंटिंग सिस्टम में से किसमें अधिक सफलता मिली ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अपने-अपने स्थान पर दोनों एकाउंटिंग सिस्टम्स में सफलता मिली ।

*४६--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार के पास उक्त विद्युत् गृह के उपभोक्ताओं को हिसाब देर से मिलने और उसमें गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं। हिसाब देर से मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और उन पर उचित कार्यवाही कर दी गई थी।

*४७—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में एक ही स्केल के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार का डी० एफ० ए० मिलता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जहां तक औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, एक ही स्केल के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार का डी० एफ० ए० नहीं मिलता। अन्य कर्मचारियों को उनकी सेवा की शर्तों (सर्विस कन्ट्रेक्ट्स) के अनुसार डी० एफ० ए० दिया जाता है।

प्रतापगढ़ जिले में गुंडैना तालाब के बहाव को रोकने के सम्बन्ध में कथित शिकायत

*४८—**श्री हरकेश बहादुर** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मौजा रोह और नौरैड़ा तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ स्थित गुंडैना तालाब के पानी बहने से रोके जाने के कारण कोई शिकायत डिप्टी कमिश्नर, प्रतापगढ़ के पास जनता अथवा सदस्य, पार्लियामेंन्ट अथवा सदस्य, विधान सभा द्वारा हस्तगत हुई है ? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में कलेक्टर, जौनपुर से भी परामर्श हुआ है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में कोई शिकायत रोह और नवरेरा (नोरेड़ा) ग्राम के पानी बहने से रोके जाने के विषय में न तो जनता न पार्लियामेंन्ट अथवा असेम्बली के किसी मेम्बर से ही प्राप्त हुई है।

फतेहपुर जिले के उत्तरी असिंचित भाग को पानी देने की योजना

*४९—**श्री वासुदेव दीक्षित** (जिला फतेहपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के उत्तरी भाग के सिंचाई के लिये जो जिले का असिंचित खण्ड है, कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक वह लागू होगी ?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर जिले के उत्तरी भाग में जो खण्ड अब तक असिंचित है उसके लिये इलाहबाद ब्रांच द्वारा सिंचाई करने की योजना विचाराधीन है। इसका निर्माण-कार्य योजना के स्वीकृत हो जाने पर तथा धनराशि के उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जावेगा।

हरदोई जिले की संडीला ब्रांच नहर में पानी जारी करने के लिए तार देना

*५०—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक ८ अक्तूबर, १९५७ को ढिकुन्नी नहर की कोठी से (जिला हरदोई) कोई तार इस आशय का दिया गया था कि संडीला ब्रांच में पानी की सख्त आवश्यकता इसलिये थी कि उस क्षेत्र की धान की फसल सूख रही थी ?

श्री राममूर्ति—जी हां। अधिशासी अभियन्ता हरदोई को स्वयं माननीय सदस्य द्वारा भेजा गया तार दिनांक ७-१०-१९५७ का, बाबत संडीला ब्रांच जारी करने को प्राप्त हुआ था।

*५१—**श्री राजेन्द्रसिंह**—जिला हरदोई, तहसील संडीला में धान की खेती की सिंचाई से शासन को १९५५, १९५६ तथा १९५७ में क्रमशः क्या आय हुई है ?

श्री राममूर्ति—धान की फसल के सन् १९५५, १९५६ तथा १९५७ में सिंचाई की गई भूमि के आंकड़े और उसका मूल्यांकन नीचे दिया गया है :

वर्ष	धान का रकबा जो सींचा गया	मूल्यांकन
	एकड़	रु०
१९५५	२३७१	२६,८५३
१९५६	३२६९	३६,६९४
१९५७	२६४९	२९,६१०

सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगाने के लिये अनुमति की आवश्यकता

*५२—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सिंचाई के लिये किसानों को निजी नलकूपों के लगाने के लिये No objection certificate प्राप्त करना क्या आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राममूर्ति—किसानों को निजी नलकूप लगवाने के लिये अब भी No objection Certificate प्राप्त करना आवश्यक है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में ऊंचे किये जाने वाले गांव

*५३—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—फतेहपुर सीकरी (आगरा) के खुश्क क्षेत्र में क्या सरकार की योजना कुछ स्थानों पर बन्धियां बनाने की है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा और कितनी बन्धियां इस क्षेत्र में बनाये जाने की योजना है ? क्या उन स्थानों का सर्वे हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बंधियां बनाये जाने की कोई योजना नहीं है ।

*५४—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में ऊंचे किये जाने वाले २३ गांवों के नाम क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जिन २३ गांवों को ऊंचा करने का प्रस्ताव था उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४७० पर)

आगरा जिले में अरदाया नाले के निर्माण में विलम्ब

*५५—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अरदाया, परगना किरावली, जिला आगरा के बरसाती नाले का काम कब से हो रहा है ? इस कार्य में अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है और कितना रुपया खर्च और होने की सम्भावना है ? अब तक यह छोटा सा काम पूरा न हो सकने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति--अरदाया नाले का कार्य ५३-५४ में आरम्भ हुआ और ५४-५५ में पूरा हुआ था, इसकी लागत ८,४७६ रुपया थी। सन् १९५६ में वर्षा की अधिकता के कारण और अधिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए इस नाले का 'रिमार्डलिंग' का कार्य १९५६ में फिर आरम्भ किया गया है। इस 'रिमार्डलिंग' पर ५,८३५ रुपये खर्च होने की सम्भावना है और उसमें से ३,४३७ रुपया अब तक खर्च हो चुका है। साथ ही साथ नाले के दो फर्लांग के टुकड़े को जो ऊसर में हो कर जाता है, पक्का करने का भी विचार है। इसकी लागत ५,८७० रुपये है। पक्का करने से नाला जो वर्षा ऋतु में ऊसर की मिट्टी से पट जाता था नहीं पटेगा और ठीक प्रकार से काम करेगा।

यह सब कार्य आगामी वर्षा ऋतु से पहले पूरा हो जावेगा। नालों में कार्य करने के लिये केवल कुछ महीने मिल पाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में और उसके बाद नालों में पानी भरा रहता है इसलिये कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा समय अधिक लगता है।

राम गंगा योजना पर व्यय

*५६--**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राम गंगा योजना में अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है?

श्री राममूर्ति--रामगंगा योजना पर दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक २९·९२ लाख रुपया व्यय हो चुका है।

*५७--**श्री देवकी नन्दन विभव**--क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस पर कितना धन व्यय होगा? प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या धन की सहायता मांगी है?

श्री राममूर्ति--द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राम गंगा योजना के लिये ४·५ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना के लिये, केन्द्रीय सरकार से, वर्तमान ४·५ करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ा कर १२.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिये अनुरोध किया जा रहा है।

गोरखपुर जिले में गंडक योजनान्तर्गत नारायणी नदी से नहरें निकालने का विचार

*५८--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर जिले की नारायणी नहर से इस वर्ष कुछ नई शाखायें निकालने वाली है? यदि हां, तो उनका मार्ग क्या होगा?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। इस वर्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*५९--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार नैपाल राज्य में स्थित त्रिवेणी स्थान से नारायणी नदी से कोई नहर निकालने की योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक, तथा इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा?

श्री राममूर्ति--जी हां। गंडक नामक एक योजना जिसकी लागत २,३३० लाख रुपया होगी, बिहार सरकार द्वारा बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत नैपाल तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से १२ मील उत्तर की ओर एक बराज बनाया जायेगा, जिससे नहर निकाली जाने की योजना है।

इस कार्य के पूर्ण होने पर नहरें बराज के ऊपर नारायणी नदी से निकाली जायेंगी। इन नहरों से उत्तर प्रदेश को ७,००० क्यूजेक्स तथा बिहार को १८,००० क्यूजेक्स पानी मिलेगा। इस योजना पर होने वाले व्यय को बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पानी मिलने के अनुपात से बांटन का विचार है।

यह योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। और अभी तक इसकी जांच हो रही है। नैपाल सरकार द्वारा इसकी खोज करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है जिसके एक सदस्य इस प्रदेश के मुख्य अभियन्ता भी हैं।

इस योजना के लिये जाने और पूर्ण होने पर इस प्रदेश के गोरखपुर तथा देवरिया जिलों को लाभ पहुंचेगा। नहरों से क्रमशः ५ लाख एकड़ रबी तथा ढाई लाख एकड़ खरीफ की सिंचाई होना सम्भव होगा।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में बाढ़-पीड़ित गांवों में मिट्टी की पटाई की दर

*६०—**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के जिन बाढ़-पीड़ित गांवों में मिट्टी की पटाई की जाती है उनमें ठेकेदारों को किस शरह से मिट्टी का दाम सरकार की ओर से दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के जिन बाढ़-पीड़ित गांवों में मिट्टी की पटाई की जाती है उनमें काम करने वाले ठेकेदारों को १२ रु० प्रति हजार घन फुट की दर से चढ़ाव, चलाव तथा दरेसी के सहित मिट्टी का दाम दिया जाता है।

सिंचाई कालोनी, आजमगढ़ की भूमि का मुआवजा

*६१—**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई कालोनी, आजमगढ़ के लिये ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—अभी नहीं।

आजमगढ़ सिंचाई कालोनी के लिये ली गई भूमि का कुल मुआवजा ५,००० रुपये से अधिक है। अतः नियमानुसार इसका वितरण करने से पूर्व बोर्ड आफ रेवेन्यू की स्वीकृति आवश्यक है मुआवजे की सूची तथा अन्य आवश्यक पत्र बोर्ड को भेज दिये गये हैं और स्वीकृति मिलते ही वितरण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

मऊरानीपुर को माता टीला बांध से बिजली देने का विचार

*६२—**श्रीमती बेनी बाई** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मऊरानीपुर में माताटीला बांध के बिजली घर से बिजली दी जायेगी ? यदि हां, तो कब ? तक यदि नहीं, तो वहां अन्य किस साधन द्वारा बिजलीघर की स्थापना की जा सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, जब माताटीला बिजलीघर बन कर चालू हो जायगा।

सपरार बांध बनने से मऊरानीपुर की भूमि को कथित क्षति

*६३—**श्रीमती बेनीबाई**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की सपरार बांध बन जाने से सुखनई नदी द्वारा मऊरानीपुर की नदी किनारे की भूमि को कटने से बचाने के लिये वह क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—सपरार बांध बन जाने से मऊरानीपुर में नदी किनारे की भूमि को कोई क्षति नहीं पहुंची। अतः उसके बचाने का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले के चन्द्रा ग्राम वासियों को अंगरौहड़ा ग्राम में बसाना

*६४—श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चन्द्रा, तहसील कर्वी जिला बांदा के किसानों की जो जमीन ओहन बांध बनाने के सिलसिले में ले ली गई थी उसके बदले में उन्हें अब तक दूसरी जमीन क्यों नहीं दी गई ?

श्री राममूर्ति—तहसील कर्वी जिला बांदा के ग्राम चन्द्रा के किसानों को जिनकी जमीन ओहन बांध (बाल्मीकि जलाशय) में जलमग्न हो गई है अंगरौहड़ा ग्राम में बसाया जा रहा है।

जौनपुर जिले की मंडियाहूं तहसील के नलकूप

*६५—श्रीमती तारादेवी (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूँ तहसील, जिला जौनपुर में कितने ट्यूबवेल्स लगे हैं और उनमें से कितने बिजली से तथा कितने बिना बिजली से चलते हैं ?

श्री राममूर्ति—मड़ियाहूं तहसील जिला जौनपुर में ४१ नलकूप गए हैं। और उनमें से २४ नलकूप बिजली से तथा ९ नलकूप डीजल इंजिन द्वारा चलते हैं।

जौनपुर जिले के मंडियाहूं नगर को बिजली देने का आयोजन

*६६—श्रीमती तारा देवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कब तक बिजली लगने की योजना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मंडियाहू नगर जिला जौनपुर का विद्युतकरण मार्च, १९५८ के अन्त तक होने की आशा है।

*६७—श्रीमती तारा देवी—[हटा दिया गया।]

इटावा जिले में धान की फसल सूख जाने के कारण छूट देने का विचार

*६८—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इटावा जिले में काश्तकारों की तरफ से प्रार्थना करने पर भी जिले के नहर अधिकारियों ने इस वर्ष की धान की सूखी हुई फसल का पूरा निरीक्षण नहीं किया ?

श्री राममूर्ति—यह सही नहीं है कि इस वर्ष नहर अधिकारियों ने इटावा जिले में सूखी हुई धान की फसल का पूरा निरीक्षण नहीं किया। इस वर्ष अनावृष्टि के कारण कुछ धान के क्षेत्रों में क्षति हो गई। जिसका प्रत्येक बार पूर्णरूप से निरीक्षण किया गया और फलस्वरूप १८३३ एकड़ धान के क्षेत्र पर १८,४५७ रुपये की छूट दी जाने की कार्यवाही की जा रही है।

*६९—श्री मिहरबान सिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि काश्तकारों की सूखी फसल होने पर भी काश्तकारों के ऊपर सिंचाई कर का भार लदा हुआ है ?

श्री राममूर्ति—चूंकि फसल खरीफ की जमाबन्दियां १ दिसम्बर, १९५७ को सम्बन्धित तहसीलों में भेजी जा चुकी थी इससे उक्त छूट की पूर्ण कार्यवाही इन जमाबन्दियों में नहीं की जा सकी है जो अब की जा रही है।

वाराणसी जिले में मच्छताल, बरही कलां तथा बरही निवादा के तालों से पानी की निकासी का प्रबन्ध न होना

*७०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि परगना कोलझसला, जिला वाराणसी के मच्छताल से पानी निकालने की ठीक से व्यवस्था न होने से हजारों एकड़ हर साल धान की फसल किसानों की डूब कर सड़ जाती है ?

श्री राममूर्ति—परगना कोल झसला, जिला वाराणसी के मच्छताल से पानी निकालने के लिये तीन मील लम्बे नाले एवं जौनपुर रोड पर पुल के चौड़ा करने की योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर ली गई है जिसकी लागत लगभग १७ हजार रु० है। कार्य आरम्भ किया जाने वाला है।

*७१—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या बरही कलाँ व बरही नवादा, परगना पन्द्रह, जिला वाराणसी के ताल से पानी निकालने की ठीक से व्यवस्था न होने पर हजारों बीघा फसल धान और ईख के खेत डूबने से सड़ जाती है ?

श्री राममूर्ति—परगना पन्द्रह, जिला वाराणसी के बरही निवादा व बरही कलां के ताल से पानी निकालने के हेतु १४ हजार रु० की लागत द्वारा इस क्षेत्र में नालों की खुदाई एवं सुधार की योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। इस पर कार्य आरम्भ किया जाने वाला है।

फीरोजाबाद तहसील में सिंचाई के साधनों की कमी

*७२—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दस सालों में सिंचाई विभाग द्वारा फीरोजाबाद तहसील में सिंचाई के लिये कितने मील नहर बनाई गई है तथा कितने ट्यूबवेल लगाये गये हैं ? अगर यह कार्य नहीं किया गया है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—भाट बांच नहर में जो फीरोजाबाद तहसील को सींचती है पानी की न्यूनता होने व ऊपरी गंगा नहर में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध न होने के कारण गत दस वर्षों में फीरोजाबाद तहसील में किसी भी नहर का निर्माण नहीं हुआ है। न ही गत दस वर्षों में राजकीय नलकूपों का निर्माण सम्भव हो सका है।

फीरोजाबाद नगर में बनने वाला गैस प्लान्ट

*७३—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद नगर में बनन वाला गैस प्लान्ट कब तक चालू हो जायेगा और जनता को यह गैस किस प्रकार उपलब्ध होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) अगले वित्तीय वर्ष में।

(ख) एक बड़ा कमरा बनाने का आयोजन किया गया है जिसमें चूड़ी जोड़ने वालों के लिये गैस का प्रबन्ध होगा जहां वे स्वच्छ वातावरण में गैस की लौ पर चूड़ियां जोड़ेंगे।

बस्ती जिले के नलकूप

*७४—श्री रनबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिल में ३० नवम्बर, १९५७ तक कितने ट्यूबवेल बन कर तैयार हैं ? हरैया तहसील में कितन टयबवेल हैं ? ट्यूबवेल नं० २७ कितने एकड़ भूमि की सिंचाई कर रहा ह ?

श्री राममूर्ति--बस्ती जिले में ३० नवम्बर, १९५७ तक २२१ नलकूप बनकर तैयार हुए और चालित कर दिये गये। हरैया तहसील में ३० नलकूप हैं। नलकूप नं० २७ हरया ग्रुप से रबी की फसल में ३१-१२-५७ तक ४० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई।

इटावा जिले में चूड़ी तथा चूना उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रार्थना

*७५--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या चूड़ी उद्योग सराय शीश गरान, तहसील विधूना, जिला इटावा के बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह कब तक लागू होगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*७६--श्री भूप किशोर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या चूना-उद्योग इटावा के बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह कब तक लागू होगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

काशीपुर कोलोनाइजेशन क्षेत्र में नल कूपों के लगाने पर व्यय

*७७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काशीपुर कोलोनाइजेशन क्षेत्र में आज तक कितने ट्यूबवेल लगाये गये और उनमें कितने कामयाब हुए?

श्री राममूर्ति--काशीपुर कोलोनाइजेशन क्षेत्र में कुल २१ ट्यूबवेल लगाये गये। इनमें से १४ कामयाब हुए।

*७८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ट्यूबवेलों पर प्रति ट्यूबवेल निर्माणहेतु सरकार को क्या लागत लगानी पड़ी?

श्री राममूर्ति--इन ट्यूबवेलों के बनाने में निम्नलिखित व्यय हुआ :--

		रुपया
(१) बोरिंग करने में प्रति ट्यूबवेल का व्यय	.. ..	३०,५५०
(२) पक्के काम बनाने में प्रति ट्यूबवेल का व्यय	.. ..	५,८००
(३) बिजली की लाइन पहुंचाने में प्रति ट्यूबवेल का व्यय	..	१४,६००
कुल व्यय प्रति ट्यूबवेल	..	५०,९५०

कानपुर जिले में पुखरांया और घाटमपुर तहसीलों में सिंचाई साधनों का अभाव

*७९--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार कानपुर जिले के पुखरायां और घाटमपुर तहसीलों में निकट भविष्य में कोई एक्सपेरिमेन्टल ट्यूबवेल बनाने जा रही है?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

*८०--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार को मालूम है कि इन तहसीलों के यमुना से लग हुए क्षत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है?

श्री राममूर्ति—घाटमपुर तहसील में कैरोन खारजा के पार यमुना और नून नदी के बीच में स्थित क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था के लिये आवश्यक सर्वे (Survey) का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायगा।

*८१—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार इन क्षेत्रों में बन्दियों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

उद्योगपतियों को नवीन उद्योगों के लिये अनुदान

*८२—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन नगरों के कितने-कितने उद्योगपतियों को कौन-कौन से नये उद्योग स्थापित करने के लिये कब और कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस प्रदेश के विभिन्न नगरों के उद्योगपतियों को नये प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिये समय-समय पर दिये गये ऋण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७१–४७३ पर)

*८३—श्री गंगा प्रसाद—[११ फरवरी, १९५८ के प्रश्न ७२ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

९५ रुपये से कम वेतन पाने वालों के महंगाई भत्ते में ५ रुपये बढ़ाने का आदेश

*८४—श्री जगदीश शरण अग्रवाल—क्या सरकार ने प्रदेश के ९५ रु० से कम वेतन पाने वाले सरकारी एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मंहगाई को ५ रु० मासिक बढ़ाने की आज्ञा जारी कर दी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

*८५—श्री जगदीश शरण अग्रवाल—क्या सरकार स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वृद्धि के लिये उन्हें Re-imburse करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

पूर्वी जिलों के ट्रेण्ड अमीनों में बेकारी

*८६—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वीय जिलों में कितने ट्रेनिंग पाये हुए अमीन बेकार पड़े हुए हैं ?

श्री राममूर्ति—पूर्वीय जिलों में ७६ ऐसे ट्रेन्ड अमीन हैं जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इनमें से एक ट्रेन्ड अमीन अवकाश रिक्त स्थान पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा है और एक नलकूप चालक के पद पर कार्य कर रहा है।

*८७—श्री राजकुमार शर्मा—क्या यह सही है कि दो वर्ष से ज्यादा दिन के ट्रेन्ड अमीनों को जगह नहीं दी गई जब कि उनसे पीछे के ट्रेनिंग पाये जूनियर अमीनों को स्थान मिल गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

*८८—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि इसम ऐसे भी अमीन हैं जिनकी उमर नियमतः यदि इन्हें नौकरी नहीं मिली तो, ज्यादा हो जायगी और वह नौकरी नहीं पा सकेंगे ?

श्री राममूर्ति—जी हां, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो २५ वर्ष की आयु से पूर्व किसी रिक्त स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर चुके हों तो उन्हें अधीक्षण अभियन्ता की इच्छानुसार आयु सीमा नियम से मुक्ति दी जा सकती है ।

दोहरीघाट पम्प नहर में ली गयी जमीन का मुआवजा

*८९—श्री गौरीशंकर राय—क्या सत्य है कि दोहरीघाट नहर के लिये जिन किसानों की जमीन ली गई है उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? अगर ऐसा है, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—दोहरीघाट पम्प नहर के अन्तर्गत कृषकों की जो जमीनें ली गई हैं उनमें से कुछ का मुआवजा दिया जा चुका है तथा शेष भाग का मुआवजा देने की कार्यवाही हो रही है । "land acquisition" की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण यह मुआवजा और पहिले न दिया जा सका था ।

टांडा नहर की आजमगढ़ शाखा में ली गयी भूमि का मुआवजा न मिलना

*९०—श्री विश्रामराय—क्या सरकार यह कृपया यह बतायेगी कि टांडा नहर की आजमगढ़ शाखा के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि का मुआवजा किसानों को अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति—टांडा नहर के पम्पिंग प्लांट को खरीदने के लिये १० लाख रुपये की स्वीकृति है । परन्तु कब पम्पिंग प्लान्ट के लिये सम्भावित सही व्यय १३ लाख रुपये होता है । इसी अधिक व्यय के कारण कपसा डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण को स्थगित करना पड़ा ।

विधान सभा के सदस्य, कुंवर असगरअली खां तथा बाबा राघवदास के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आज से ३, ४ दिन पहले इस सदन के एक माननीय सदस्य की मृत्यु का समाचार हम लोगों ने पढ़ा । कुंवर असगरअली साहब, मुजफ्फरनगर जिले से इस सदन के सदस्य थे । इस सदन के प्रायः सभी सदस्यों का उनसे परिचय रहा होगा और सभी लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि उनके निधन से न केवल मुजफ्फरनगर का बल्कि हमारे प्रदेश की पुरानी संस्कृति और सभ्यता का एक निशान मिट गया । रईस खानदान के वह आदमी थे । उनके पिताजी भी इस सदन के सदस्य रह चुके थे और वह स्वयं, इसक पहले १९४६ से १९५१ तक, भी यहां के सदस्य रहे थे । कुछ थोड़ी सी तन्दुरुस्ती उनकी खराब जरूर थी लेकिन कोई ऐसी बहुत ज्यादा खराब भी नहीं थी । जिस दिन उनका देहान्त हुआ रात के ढाई बजे, उस दिन भी उनके यहां एक पार्टी थी । कोई १२ बजे तक लोग उनसे बात करते रहे । उसके बाद ढाई बजे के लगभग वे किसी काम से उठे । जूता पहनने की कोशिश कर रहे थे कि यकायक हृदय की गति रुक गई और उन्होंने शरीर छोड़ दिया । मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को अपने इन साथी के देहान्त से शोक होगा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी समवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसके कुछ ही दिन पहले हम लोगों को एक बहुत ही दुखद समाचार मिला, बाबा राघवदास जी के देहान्त का समाचार। वे लगभग ४ वर्ष तक इस सदन के सदस्य भी रह चुके थे, लेकिन इस सदन की सदस्यता से बढ़कर वह काम था जो कि आज वर्षों से वे इस प्रदेश में करते आये हैं। क्या इस तरफ और क्या उस तरफ के, मैं समझता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य ऐसे होंगे, जिनका उनसे निजी रूप से परिचय रहा होगा। मेरा उनका पहला परिचय सन् १९२१ ई० में बनारस डिस्ट्रिक्ट जेल में हुआ, जब वे गोरखपुर से बदल कर वहां लाये गये थे। उनका शरीर महाराष्ट्र का था, लेकिन उन्होंने बरहज में एक महात्मा के यहां दीक्षा ली और वही उनका मुख्य स्थान था। यद्यपि उनका बहुत सा समय राजनीतिक और दूसरे प्रकार के सार्वजनिक कामों में लगा, परन्तु सारी ज़िन्दगी वे एक उच्च साधु की तरह रहे और उनका तपस्यामय जीवन दूसरों के लिये एक बड़ा ही उच्च आदर्श उपस्थित करता था।

सन् १९२१ से लेकर जितने राजनीतिक आन्दोलन हुए, उनमें तो वे सम्मिलित हुए ही, इसके अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों में वे अपनी निशानी छोड़ गये हैं। शिक्षा में उनको बड़ी अभिरुचि थी। जिले में उन्होंने कई शिक्षा संस्थायें कायम कीं। बौद्ध यात्रियों की सुविधा की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होंने यह निश्चय किया कि उनकी सुख-सुविधा का प्रबन्ध किया जाय, ऐसी संस्था स्थापित की जाय जिसके द्वारा बौद्ध यात्रियों की सुविधा का प्रबन्ध हो और यहां के लोग पाली जैसी भाषा भी सीखें, जिसका कि बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म से विशेष सम्बन्ध है।

बेसिक एजूकेशन की बात जब महात्मा जी ने चलायी, तब से शुरू से ही बाबा राघवदास ने उस काम में दिलचस्पी ली और ऐसे रचनात्मक काम, किसी प्रकार के भी, जो प्रदेश में हुए, उनमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा था।

जहां तक खेती की बात है, मुझे याद है कि जब डिबलिंग का तरीका चलाया जाने लगा तो उन्होंने खास तौर पर इस काम में दिलचस्पी ली और लोगों को इस काम में लगाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। हाथ के उद्योग जितने हैं, न केवल खादी ही, बल्कि और भी जो हाथ के उद्योग हैं, जिनको कुटीर उद्योग कह सकते हैं, उनमें उनकी बड़ी अभिरुचि थी। वे देखते थे और उन्होंने देखा कि इस देश के और विशेष रूप से इस प्रदेश के गरीबों का उद्धार कुटीर उद्योग के प्रसार से ही हो सकता है और सक्रिय रूप से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया।

इधर जब से विनोबा जी का आन्दोलन चला है, तब से उन्होंने अपनी सारी शक्ति भू-दान तथा ग्रामदान जैसे कामों में लगाई। उनके उठ जाने से हमारे प्रदेश का और हमारे देश का जो नुकसान हुआ है उसका अन्दाजा करना मुश्किल है और हममें से कुछ लोगों के लिये तो यह एक पर्सनल लास जैसा है। हम में से जो लोग आज ६०–७० वर्ष के हैं, उनकी उम्र अब नये मित्र, नये दोस्त या नये साथी बनाने की नहीं रही। जब हम अपने पुराने सहकर्मियों को अपने सामने पके फलों की तरह गिरते देखते हैं तो हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार की उथल-पुथल उत्पन्न हो जाती है और कभी-कभी तो यह खयाल होने लगता है कि इतने दिन जीना भी शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि अब हमारे शरीरों से कोई अच्छे काम और हो सकेंगे, यह तो सन्देह की बात है। अब तो शायद पुराने मित्रों और साथियों को जाते देखना ही हमारे लिये बदा है, इससे तो न जीना अच्छा था, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं।

मुझे इस बात को यहीं समाप्त करना चाहिये था, लेकिन मैं आप की इजाजत से एक बात का और भी जिक्र करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से हमारे यहां शायद कोई भी चीज ऐसी न हो जो कि राजनीति की कीचड़ में न खींची जा सकती हो। बाबा राघवदास के देहान्त के बाद कुछ ऐसी बातें हुईं जिनको कि व्यर्थ में विवाद के अन्दर लाया गया। उनके देहान्त के बाद मेरे पास बरहज से एक टेलीफोन आया कि उनका देहान्त जबलपुर के पास सिवनी में हो गया है और उनके शरीर को यहां लाने का प्रबन्ध कर दिया जाय। इसके अलावा एक और फरमायश

हुई कि चूंकि बाबा राघवदास जी का सम्बन्ध सर्वोदय समाज से है, इसलिये उनके शरीर को बनारस सेवाग्राम में लाया जाय। मैंने इस पर कहा कि हम शरीर को मंगाने का प्रबन्ध तो कर देंगे, लेकिन जो यह दोनों संस्थाओं के बीच की बात है उसका हम फैसला करें या सरकारी अफसर फैसला करें, यह कोई शोभा की बात न होगी, इसलिये आप लोग आपस में ही इस बात को तय कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मामला इस तरह से तय नहीं हो सकता है। इस तरह की अड़चन की बात हुई लेकिन फिर भी हमने शरीर को मंगाने की कोशिश की। शरीर को मगांने का, सिवाय हवाई जहाज के और कोई तरीका नहीं हो सकता था लेकिन इत्तफाक से उस वक्त हमारे यहां कोई हवाई जहाज उपलब्ध नहीं था इसलिये हमने मध्यप्रदेश के गवर्नर डाक्टर काटजू को टेलीफोन किया कि अगर आपके यहां कोई हवाई जहाज उपलब्ध हो तो वह भिजवा दें। परन्तु उनके यहां भी हवाई जहाज तो था लेकिन पाइलट नहीं था। उसके बाद हमने जबलपुर के कलेक्टर को टेलीफोन किया कि वह शरीर को भिजवाने का प्रबन्ध कर दें। किसी तरह से उनका शरीर इलाहाबाद आ गया। फिर वही सवाल हुआ कि उनके शरीर को किसको दिया जाय। हमने इस सम्बन्ध में अपने कानूनी सलाहकार से राय भी ली कि अगर ऐसी मुसीबत पड़ी कि सरकार को फैसला करना पड़े तो क्या हो, तो हमें बताया गया कि अगर आपस में फैसला न हो तो बरहज वालों का ज्यादा साथ था इसलिये उनका हक ज्यादा है, उनके ही सम्प्रदाय के वह थे। लेकिन खैर किसी तरह से बाद में आपस में मामला तय हो गया और बात ज्यादा नहीं बढ़ी।

यह भी शिकायत हुई कि उनके शरीर को लाने का गवर्नमेंट की तरफ से ठीक प्रबन्ध नहीं किया गया और लापरवाही की गयी। लेकिन जिस गवर्नमेंट के इतने सदस्य बाबा राघवदास जी के निजी मित्र रहे हों, उस गवर्नमेंट की उनके सम्बन्ध में कोई लापरवाही हो सकती है, मैं समझता हूं अधिकांश लोगों को ऐसी आशंका भी नहीं हो सकती है। उनका कोई परिवार तो है नहीं कि जिसके पास आप हमारी समवेदना पहुंचावें, यही कह सकता हूं कि समवेदना हम सब लोगों के हृदय में है, मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने द्वारा उस समवेदना को व्यक्त करें ताकि समूचे देश को मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष—शायद भाई हैं उनके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—साधु होने के बाद परिवार कहना मुश्किल है। वैसे भाई भी हैं और कोई बहिन भी हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो उद्गार स्वर्गीय कुंवर असगर अली खां के प्रति और बाबा राघवदास जी के प्रति प्रकट किये हैं उनसे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। कुंवर असगरअली खां सर्वप्रथम १९४६ में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य हुये। उस समय से मुझे भी यह सौभाग्य हासिल हुआ कि उनके सम्पर्क में आऊं। एक मशहूर घराने में उनका जन्म हुआ था, जिस घराने ने महज मुजफ्फरनगर की नहीं बल्कि इस पूरे प्रदेश की सेवा की है। उनके पिता कुंवर इनायत अली खां एक मुद्दत तक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। स्वयं कुंवर असगर अली खां बहुत समय तक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर रहे, अपने जिले की सेवा की और उत्तर प्रदेश असेम्बली के सदस्य की हैसियत से, जो कुछ उनसे हो सकी, उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की। वह लोकप्रिय थे, बड़े मेहमानबाज थे। माननीय नेता सदन ने यह ठीक ही कहा कि वह पुरानी तहजीब के एक प्रतीक थे। उनका दस्तरख्वान बड़ा वसीह था। पिछले दिनों जब इस आदरणीय सदन की बैठक थी, यह कभी किसी को गुमान नहीं हो सकता था कि वह इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जायंगे।

बाबा राघवदास को, यह प्रदेश ही नहीं बल्कि सारा देश जानता था। जब कभी भी कोई आन्दोलन ऐसा उठाया प्रश्न सामने आया कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रदेश के रहने वालों

[श्री त्रिलोकीसिंह]

की भलाई हो, बाबा जी सदा उसमें आगे रहे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले तीस, पैंतीस सालों के अन्दर इस देश में उच्च स्थान उन्हीं को प्राप्त हुआ जिन्होंने राजनीतिक सेवा की है। सामाजिक क्षत्र में सेवा करने वालों को जो स्थान प्राप्त होना चाहिये था, वह नहीं हुआ।

बाबा जी उन समाजसेवियों में थे जिनकी दूसरी मिसाल इस प्रदेश में मिलना मुश्किल है। इस सदन के आदरणीय सदस्यों को याद होगा कि जब तालाब खुदवाने की योजना चली तो केवल बाबा जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारे प्रदेश का भ्रमण किया। इसी प्रकार जब भूदान की योजना चली तो बाबा जी ने पैदल, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इस प्रदेश का भ्रमण किया और इसी पद यात्रा में ही, मुझे मालूम हुआ कि उन्हें सर्दी लगी। सुबह तीन, साढ़े तीन बजे जाड़े के दिनों में वह स्नान करते थे। इसी से उन्हें ठंडक लगी और सरसाम हुआ जिसके कारण उनके शरीर का अन्त हो गया। ऐसे समाजसेवी कम होते हैं जो अपने पीछे इस प्रकार की ज्योति छोड़ जाते हैं कि जिससे दूसरों को उस रास्ते पर चलने में प्रोत्साहन मिले, बाबा जी उन समाजसेवियों में थे। मैं अपनी ओर से और इस सदन की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कुंवर असगर अली खां और बाबा राघवदास जी के निधन पर शोक प्रकट करता हूं और मान्यवर से यह निवेदन करता हूं कि जो हमारे विचार हैं वह कुंवर साहब के परिवार में, हालांकि उनके परिवार में अब जहां पर मुझे मालूम हुआ है, कोई नहीं है, लेकिन जो भी हों, उनको और बाबा जी के बारे में जो हमारे विचार हैं उन्हें व्यक्त करने की कृपा की जाय।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग अपने एक साथी कुंवर असगर अली और पूज्य बाबा जी के निधन पर अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रहे हैं। कुंवर असगर अली साहब मुजफ्फरनगर में काफी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक जमींदार क्लास के छोटे नमूना थे, जिन्होंने अपने काश्तकारों के साथ इतना सद्व्यवहार और प्रेम रखा कि जिससे वे काफी लोकप्रिय और जनप्रिय हो चुके थे। जिला बोर्ड में सेवा की और यहां भी थोड़े दिन जो सेवायें कीं, वे सबको मालूम हैं। वह सेवा करने की एक बड़ी अभिलाषा लेकर आये थे, मगर दुख की बात है कि वे हमारे बीच से थोड़े ही दिनों में उठ गये।

जहां तक बाबा जी का सम्बन्ध है, यह हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि, जो उसूल लेकर वह चले थे उससे, सारे संसार के लिये शोक की बात हो गयी। बाबा जी का सम्पर्क सन् १९३१ में हुआ था जब मैं प्रातः स्मरणीय राष्ट्रपिता की सेवा में लगा हुआ था। तब से मेरा उनका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहा। सन् १९४१ में एक साल भर उनके साथ जेल में भी रहा और बहुत सी बातें मैंने उनसे सीखीं। मेरा उनका सम्पर्क ऐसा हो गया कि उनकी कृपा हमारे जिले पर विशेष तौर से हो गयी। उन्होंने बहुत सी योजनाएं हमारे जिले में चलायीं और उनकी कृपा से गोंडा जिले में एक आश्रम खोला गया जो कि गांधी संस्थान के नाम से है, जो अपना कांस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है।

बाबा जी का विशेष ध्यान ग्राम उत्थान और कुटीर उद्योग की तरफ था और जब कभी उनके दर्शन होते थे तो एक नई प्रेरणा मिलती थी। उन्होंने भूदान और ग्राम दान में अपना जीवन अर्पित कर दिया था। हमारे जिले में उन्होंने यात्रा भी की जिसके फलस्वरूप हमारा जिला भूदान कार्य में काफी उन्नति कर गया और काफ़ी जमीन उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुई। हमारे प्रदेश पर, उनके न रहने से, जो बज्रपात हुआ है, वह असहनीय है। ये उन विभूतियों में से थे जिनकी पूर्ति होने की आशा नहीं है। मैं उन दोनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनसे जो सम्बन्धित हों, जो संस्थायें हों उनको हमारी समवेदना पहुंचाने का आप कष्ट करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, कुंवर असगर अली साहब के निधन से आज हम लोगों को बड़ा दुख है। एक सार्वजनिक सेवक होने के नाते उन्होंने

अपनी सेवायें दीं और इस सदन की भी सेवा की। इस नाते हमें दुख है कि वह और भी सेवा करते, लेकिन आज वह हम लोगों के बीच में नहीं हैं। फिर भी उन्होंने जो सेवा की है उन सबको देखते हुए उनकी क्षति काफी बड़ी क्षति है।

इसी प्रकार बाबा राघवदास जी की मृत्यु से इस प्रदेश का एक सबसे बड़ा समाजसेवी उठ गया। बाबा जी ने जिस लगन और निष्ठा के साथ सामाजिक सेवाओं में भाग लिया और उनको आजन्म निभाते रहे, वह नवजवानों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा और उनकी यह लगन नवजवानों के लिए अनुकरणीय रहेगी। आज बाबा जी हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी सेवायें, उनके विचार और उनके काम यह बराबर उनको हमारे बीच में जीवित सा रखेंगे और हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश की जो हानि हुई है, वह उनके विचारों के द्वारा बहुत कुछ हमको प्रेरित करती रहेगी।

एक बात श्रीमन्, यह भी है, उनके लिए अवसर यह नहीं था, लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, इस वजह से कहना पड़ रहा है कि उसके सम्बन्ध में बरहज क्षेत्र के जो एम० एल० ए० हैं हमारे साथी उग्रसेन जी, उनको जब जनता के उमड़ते हुए शोकोद्गार ने विवश कर दिया कि वह सरकार को इस बात के लिए कहें कि उनका शव बरहज अन्तिम क्रिया के लिए मंगाया जाय, तो उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के पास टेलीफोन से खबर भेजी और प्रार्थना की कि उनका शव मंगा लिया जाय, लेकिन खेद की बात है कि दोनों सरकारें इस कार्य को नहीं कर सकीं। मैं इसे राजनीतिक नहीं कहता, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक विषयों की चर्चा की बात कही। यहां बहुत साफ बात थी कि जनता की भावनाओं और उसके शोकोद्गार के प्रति जो हम लोगों का कर्त्तव्य था, यह बहुत खेद की बात है .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह उसके लिए अवसर नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जी, मैं यही कह रहा हूं। अफसोस है हमें। फिर १७ तारीख को जब बाबाजी का अन्तिम संस्कार त्रिवेणी पर हो रहा था तब भी कोई सरकारी अधिकारी वहां उपस्थित नहीं था। खैर, इन बातों को छोड़ता हूं। हम सबको इससे दुःख है और जो क्षति बाबा जी के न रहने से हुई है वह बहुत बड़ी क्षति है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से समवेदना बाबा जी के आश्रम और कुंवर साहब के संतप्त परिवार के प्रति आपके द्वारा भेजने की प्रार्थना करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--कुंवर असगर अली के निधन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, जो विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने को और जनसंघ को उनके साथ एसोशियेट करता हूं, और श्रीमन्, जो प्रान्त की सब से दुखद घटना बाबा राघवदास की मृत्यु की हुई, ऐसे आदमी की कि जिसने समष्टि के कल्याण के हेतु अपने वैयक्तिक जीवन की आशाओं और आकांक्षाओं को पीछे रखा, अपना सारा जीवन समाज के उत्थान के लिये आहुत कर दिया ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बड़ी दुखद होती है। इस अवसर पर मैं श्रीमन्, आदरणीय बाबा जी के लिए भी जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रकट किये हैं, उनसे अपने को और जनसंघ को पुनः एसोशियेट करता हूं और श्रीमन् से निवेदन है कि हम लोगों की यह समवेदना उचित स्थान पर भेजने की कृपा करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंवर असगर अली साहब के निधन के प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी पार्टी की ओर से शोक प्रकट करता हूं। कुंवर साहब हमारे प्रदेश के उन चन्द मुसलमानों में से थे जो फिरकापरस्ती और खानाजंगी के तूफानी दिनों में भी चट्टान की तरह से राष्ट्रवाद के आदर्श पर अडिग रहे। मैं उन तमाम इनेगिने मुसलमानों की ओर बड़ी श्रद्धा रखता हूं जो मुस्लिम लीग के उस फिरकापरस्ती

[श्री झारखंडेराय]

के जमाने में भी राष्ट्रवादी सिद्धान्तों पर अड़े रहे। कुंवर असगर अली साहब हमारे प्रदेश के इने-गिने व्यक्तियों में थे, विशेषकर पुराने सामन्तवादी परिवार के होते हुए उन्होंने जिन विचारों को अपने क्षेत्र में प्रतिपादित किया था उनके कारण वे जनता के सभी क्षेत्रों में प्रिय बन गये थे। इसका प्रमाण हम इसी चुनाव में देखते हैं। ९२ हजार वोटर्स में ७२ हजार वोटर्स हिन्दू थे, फिर भी वे बहुत बड़े बहुमत से जीते। यह इस बात का सबूत है कि उनके परिवार की और उनकी स्वयं की जो कुछ सेवायें उस क्षेत्र में रही हैं उनके कारण उस क्षेत्र की जनता ने हमेशा उनका आदर किया।

जहां तक बाबा जी का सम्बन्ध है बाबा जी के निधन से सचमुच हमारे प्रदेश की ही नहीं, हमारे देश की महान् हानि हुई है। मुझे दुख है कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की पहली पीढ़ी के लोग एक के बाद एक उठते जा रहे हैं, यह पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। बाबा जी व्यक्तिगत जीवन में भी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल कर जिस भांति निष्पक्ष भाव से, बिना किसी स्वार्थ के जन सेवा करते रहे हैं, वह हम सभी के लिये बहुत दिनों तक आदर्श की बात रहेगी और बाबा जी के निधन से हमारे प्रदेश में गांधीवादी एवं सर्वोदयी विचारों को जो हानि हुई है वह अपूर्णीय है।

मैं अधिक न कह कर आपके द्वारा आशा करूंगा कि अपनी और अपनी पार्टी की ओर से, जो भावनायें म व्यक्त कर रहा हूं, उन भावनाओं को कुंवर असगर अली के परिवार को और बाबा जी के बरहज-आश्रमवासियों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष—कुंवर असगर अली खां तथा बाबा राघवदास जी के निधन पर जो भावनायें नेता सदन ने और इस सदन के अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

जहां तक कुंवर असगर अली का प्रश्न है वे सज्जन और योग्य होने के साथ-साथ सौम्य व्यक्तियों में से थे। हम लोग यह जानते हैं कि वे सन् १९४६ से १९५१ तक यहां रहे और उनका सम्बन्ध सबके साथ प्रेम का ही बना रहा, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। अब भी उसी तरह से सद्व्यवहार करना उनके जीवन का लक्ष्य दिखाई देता था। वे सब से हिल-मिल कर रहने वालों में थे और राष्ट्रीय विचारों के थे। यही कारण है कि जनमत उनके साथ रहा है। ऐसे सज्जन पुरुष की अकस्मात मृत्यु से सभी को दुख होना स्वाभाविक है और जो भावनायें उनके प्रति व्यक्त की गयी हैं इस सदन में, उनको मैं उनके कुटुम्ब के पास भेज दूंगा।

बाबा राघवदास जी के विषय में तो भावनाओं को व्यक्त करना बड़ा कठिन है। उनके चले जाने से हमारे इस सूबे का ही नहीं, बल्कि हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यह सभी को विदित होगा। वैयक्तिक दृष्टि से हममें से बहुत से लोग होंगे जो यह समझते होंगे कि अपने एक बहुत बड़े निकट के कुटुम्बी को वे खो बैठे हैं। सबके साथ उनका कितना प्रेम का सम्बन्ध रहा है यह सबको विदित ही है। उनका पूरा जीवन एक आदर्श जीवन रहा है। अपने देश के लिये, गरीबों के लिये, समाज की दुर्दशा को देखते हुए समाज के सुधार के लिये, अर्थात् सब के लिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया था। उन्होंने वैयक्तिक कुटुम्ब और घर नहीं बनाया, पूरा देश ही उनका कुटुम्ब था, बल्कि मैं यह भी कह सकता हूं कि इससे भी व्यापक जो कहा जाता है कि "उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्", इस सिद्धान्त को अपने चरित्र में वे अमल में ले आये थे। दुनिया भर उनका कुटुम्ब था।

मेरा सम्पर्क उनसे वैसे तो सन् १९२१ से ही था, लेकिन सन् १९३२ में यहीं के लखनऊ जेल में हम लोग साथ रहे हैं और बाबा जी रोज सुबह और शाम जब प्रार्थना करते थे तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ जाता था, और भी बहुत से बैठते थे—शिवप्रसाद जी गुप्त और त्यागी जी भी जाते थे और उनकी प्रार्थना की बातें आज तक मुझे याद आती हैं और जब स्मरण आती हैं तो वह उनका चित्र सामने खड़ा हो जाता है। जब यहां पर पंचायत राज का कार्य मेरे

सुपुर्द था और मैं यहां पर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और बाद में मिनिस्टर हुआ, उस समय वे मेरे पास सुझाव भेजा करते थे। गांधी चबूतरे का सुझाव उनका ही था कि गांधी चबूतरे हर जगह कायम हों, उन पर बैठ कर लोग पंचायतों का फैसला करें और उनकी ही प्रेरणा से लोगों ने श्रमदान से यह कार्य शुरू किया। पंचायतघर भी बहुत से श्रमदान से बनाये गये। वे इस प्रकार समय-समय पर मुझे सुझाव देते थे कि किस तरह से काम किया जाय जिसमें गांव के लोग स्वयं उस काम को उठायेंगे। इसी तरह से कुटीर उद्योग के बारे में तथा जितने रचनात्मक काम होते थे उनमें वह अग्रसर रहे और जैसा कि नेता सदन ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में जिसमें उनकी विशेष रुचि थी उसमें तो प्रारम्भ से ही गांधी जी के जो बुनियादी तालीम के सम्बन्ध में विचार थे उनको कार्य रूप में लाने का प्रयत्न वह करते थे। गांधी जी के बाद आजकल के युग में विनोबा जी के साथ ग्रामदान और भूमिदान के कार्य में और पद यात्रा करने में पूरा जीवन उन्होंने दे दिया था और उसी में अकस्मात् ठंड लग कर उनकी मृत्यु हुई।

तो इस तरह से अन्त तक जनता का हित करते हुए, गरीबों का हित करते हुए जिसने जीवन व्यतीत किया और जीवन को जनता के समर्पण कर दिया उसके लिए किन शब्दों में हम अपना दुःख प्रकट कर सकते हैं? शब्द ही, मैं समझता हूं, कम पड़ते हैं, काफी नहीं हैं। खैर, हमें बहुत ही दुःख है, उस दुःख को हम उनके, वैसे तो सभी लोग कुटुम्बी हैं, लेकिन विशेषकर जिस क्षेत्र में खास तौर पर उनका निवास रहा है यानी बरहज में जहां पर उनका आश्रम रहा है, उनके आश्रम के लोगों के लिए तो मैं भेज ही दूंगा, साथ ही उनके और भी संसार के सम्बन्धी हैं यानी उनके भाई और बहिनों के पास भी मैं सदन के दुःख और सहानुभूति का सन्देश भेज दूंगा।

हम इन दो महान् व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि तथा उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट के लिए खड़े होते हैं।

(सब सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री जगन्नाथ दुबे द्वारा अनशन से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब कुछ काम रोको प्रस्ताव आज आये हैं, वह मैं पेश करना चाहता हूं।

एक तो श्री रामायणराय जी का है और इसी तरह का श्री मदन पांडेय का है और श्री चन्द्रजीत यादव का है। श्री रामायणराय जी का इस प्रकार का है कि:—

"प्रजा समाजवादी नेता श्री जगन्नाथ दुबे गत २६ जनवरी से रामकोला पंजाबी चीनी मिल गेट पर अनशन कर रहे थे। कल दिनांक २ फरवरी को जिला पुलिस उन्हें बलात् वहां से जिला अस्पताल यह कहती हुई ले गयी कि इन पर हमें दफा ३०९ आत्महत्या के प्रयास में मुकदमा चलाना है। जिला अस्पताल में श्री दुबे को बलपूर्वक अन्नजल ग्रहण करने को विवश किया जा रहा है, वे इस संघर्ष के कारण घायल तथा ज्वराक्रांत हो गये हैं। उनका प्राण संकट में है। पुलिस के इस दुर्व्यवहार से जनता क्षुब्ध हो उठी है। आज आधी रात से रामकोला में गन्ना किसानों की पूर्ण हड़ताल है। मजदूर भी क्षुब्ध हैं।

अतः इस सार्वजनिक महत्व के आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस संबंध में यह बात कहां तक निश्चित है कि ऐसी चीज हुई कि उनको पुलिस वाले उठा ले गये और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसके विषय में मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से जो संबधित है, वह कुछ बतला सकेंगे।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, इस कामरोको प्रस्ताव की सूचना अभी आज ही मुझे मिली है, फिर भी जितनी रिपोर्ट मैं प्राप्त कर सका हूं, आपकी आज्ञा से, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। यह सही है कि रामकोला पंजाबी शुगर मिल में पिछले कुछ दिनों से एक आन्दोलन चल रहा है और उसका कारण यह मालूम होता है कि वहां ११ मजदूर हटाये गये हैं मिल से, तो उनकी पुनर्नियुक्ति के लिये यह आन्दोलन शुरू हुआ और इसमें कई मांगें रखी गई। उनकी मांगों की यदि पूर्ति न हो तो यह घोषणा की गयी कि यह ११ मजदूर तथा और लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। तो २६ जनवरी से इसी सिलसिले में श्री जगन्नाथ दुबे ने भूख हड़ताल आरम्भ की और बराबर उनकी भूख हड़ताल चल रही थी।

२ तारीख को यानी २ फरवरी को उनकी हालत बहुत खराब हुई क्योंकि ८–१० रोज से वह अन्न-जल त्यागे हुये थे। उनकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उनको वहां से हटाया गया और अस्पताल में ले जाकर दाखिल किया गया। उनकी स्थिति अब भी अच्छी नहीं है, बहुत कमजोर हो गये हैं और बहुत से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और स्थानीय अधिकारियों ने भी उनसे अनुनय विनय की कि वह अपनी भूख हड़ताल को समाप्त करें, परन्तु उन्होंने अभी तक अपने अनशन को त्यागा नहीं है। यह कहना कि फोर्सिबली फीडिंग किया जा रहा है, यह बात सत्य नहीं है। उनको चोटें पहुंचाई गयीं, यह भी सत्य नहीं है। उनके प्राण बचाने की चेष्टा की जा रही है और जो खबर है उससे यह मालूम होता है कि उन्हें कुछ इजेक्शन्स वगैरह ग्लूकोश इत्यादि के जरूर दिये गये हैं जिससे उनके प्राणों की रक्षा हो सके, यह सूचना है।

श्री अध्यक्ष—माननीय रामायणराय जी आप किस तरह से बतलाते हैं कि यह विषय निश्चित है, जो आपने इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव में दिया है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—मान्यवर, इसी सम्बंध में मुझे निवेदन करना है कि मैं स्वयं दुबे जी से कल अस्पताल में मिलने गया था। वहां पुलिस अधिकारी उनको घेरे हुये थे और इस बात की चेष्टा की जा रही थी कि जबरदस्ती उनको खाना खिलाया जाय। जहां तक माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि अन्न, जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वे जल तो ग्रहण करते रहे हैं। वे अनशन कर रहे हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। उनका अनशन, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, चल रहा है और उनकी हालत बहुत अधिक चिन्ताजनक हो चुकी है। हड़ताल चल रही है यह भी सूचना जो मैंने अभी आपकी सेवा में दी है और उसके साथ में जो नोटिसें भेजी हैं उससे स्पष्ट हो जाता है।

जहां तक इस हड़ताल का संबंध है, श्रीमन्, यह हड़ताल ऐसी समस्या से संबंधित है जो उस जिले में बसने वाले २२ लाख आदमियों की जिन्दगी को आज संकट में डाले हुये है। उनकी एक मात्र फसल जो गन्ने की है उसके साथ उस मिल के मालिक खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—इसका तो इससे संबंध है नहीं। बात यह है कि आपने केवल उनके अनशन के बारे में और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वे घायल हुये, यही आपने प्रस्ताव में लिखा है। इसलिये आप इतने तक ही अपने भाषण को सीमित रखिये। आप तो मिल के संबंध में बात करने लगे। पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया यह कहां तक निश्चित है, यह प्रश्न है।

श्री रामायण राय—श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया कि मैं स्वयं कल उनसे अस्पताल में मिलने गया था। उन्होंने मुझे बतलाया कि इस तरह से मेरे साथ ज्यादती की जा रही है और मन्त्री जी ने स्वयं इस बात को कबूल किया है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा

खराब हो गयी है। वे ज्वर की अवस्था में थे। वहां की मेडिकल रिपोर्ट भी इस बात को बता सकती है। इसके अलावा उनको जबरदस्ती भोजन खिलाने की चेष्टा की जा रही है। मैंने देखा कि ग्लूकोज के पात्र पड़े हुये थे, कुछ और लिक्विड रखा हुआ था। कुछ लोग जबरदस्ती दबाने की चेष्टा कर रहे थे। दुबेजी बहुत दुबले, पतले और काफी पुराने कार्यकर्त्ता हैं, बहुत ही क्षीणकाय व्यक्ति हैं। उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है उससे हम लोगों को पूरी आशंका है कि दुबेजी बहुत जल्दी ही संभवतः हम लोगों को छोड़ कर चले जायेंगे, क्योंकि सरकार की रिपोर्ट जिन अधिकारियों की रिपोर्ट पर आधारित हैं वे अधिकारी स्वयं ही उनके साथ इस बात के लिये संबंधित हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, अगर इजाजत हो तो जहां तक निश्चित होने का प्रश्न है, मैं कुछ निवेदन करूं ?

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह—यह स्वीकार किया गया है कि ये सज्जन जो अनशन कर रहे थे उन्हें पुलिस वाले उठा कर अस्पताल में ले गये। प्रश्न यह है, और यह निश्चित बात है, कि किस अधिकार से पुलिस वाले उनको उठा कर अस्पताल में ले गये। दूसरी बात यह कि जो आदमी खुला हुआ अनशन कर रहा है, सूचना देकर, उसको किस अधिकार का प्रयोग करके ग्लूकोज के इंजेक्शन लगाये गये। ये दो ऐसी निश्चित बातें हैं जिनमें पुलिस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। और मैं यह निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक महत्व का यह प्रश्न है। इस देश में बहुत से लोगों ने अनशन किया, लेकिन कभी किसी को जबरदस्ती इन्जेक्शन लगाने वाली बात तो सुनने में आयी नहीं। आज यह बात पहले पहल सुनने में आयी है। जेल में भी जिन लोगों ने अनशन किये, महात्माजी ने भी अनशन किया था, लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि इन्जेक्शन लगा कर खाना पहुंचाया गया हो, ग्लूकोज के द्वारा तो फीडिंग होती है पेशेन्ट की। तो ये दो ऐसे प्रश्न हैं..

श्री अध्यक्ष—लेकिन इस प्रस्ताव में तो इस तरह से विषय रखा नहीं गया है।

श्री त्रिलोकीसिंह—लेकिन मैं तो आपके सामने पेश कर रहा हूं। भाषा की बिना पर किसी सार्वजनिक प्रश्न को गिलोटिन करना कोई उचित बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जो कामरोको प्रस्ताव का तरीका है उस हिसाब से वह प्रस्ताव आना चाहिये। आपकी कही बातों पर विचार करने के लिये वह प्रस्ताव नहीं है। वह कहते हैं कि अत्याचार किया गया और उसकी वजह से हालत खराब हो गयी। आपका कहना है कि चाहे हालत खराब हो कर आदमी मर जाय, लेकिन जो बचाने की कोशिश डाक्टर लोग करते हैं, या कर सकते हैं, वह नहीं करनी चाहिये। यह दोनों अलग-अलग दृष्टिकोण की बातें हैं और दोनों में भेद है। लेकिन जहां तक कामरोको प्रस्ताव का सवाल है उसमें कई चीजें लिखी गयी हैं। मैंने यह जानना चाहा था कि अत्याचार हुआ या नहीं ? अगर यह साबित हो जाता कि अत्याचार हुआ था तो यह प्रश्न विचारणीय हो जाता, किन्तु यह निश्चित नहीं हुआ इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

बलिया जिले में हत्याओं और डकैतियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—जहां तक दूसरे कामरोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है जो श्री गौरीशंकर राय जी का है, वह बलिया जिले में हत्याओं और डकैतियों के सम्बन्ध में है और बिलकुल अनिश्चित तथा गोलमोल सा है। मैं इसको पढ़ता भी नहीं और अवैध करार देता हूं।

नये वर्ष में नया सत्र आरम्भ न करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय झारखंडे राय जी का एक कामरोको प्रस्ताव है कि नये 'वर्ष के प्रारम्भ में विधान मंडल के माननीय सदस्यों ने .....' यह भी उसी के सम्बन्ध में है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले फैसला दिया था। वह कहते हैं कि राज्यपाल का संबोधन होना चाहिये था वह नहीं हुआ इस विषय पर विचार करने के लिये कामरोको प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिये। तो जहां तक वैधानिक प्रश्न का ताल्लुक था उसका मैंने फैसला कर दिया कि विधान के हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है कि वर्ष के अंत में सदन प्रोरोग कर दिया जाय और वर्ष के प्रारम्भ में नया सत्र प्रारम्भ होना ही चाहिये और उसमें महामान्य राज्यपाल संबोधन करें। इसी प्रकार का गोविन्दसिंह जी का भी कामरोको प्रस्ताव है।

जहां तक प्रथा का सवाल है, यह प्रथा कायम हो सकती है। मैं समझता हूं कि कई जगह मौजूद भी है। शायद लोक सभा में भी है। वर्ष के अन्त में सदन प्रोरोग हो जाता है और फिर वहां वर्षारम्भ में प्रेसीडेंट संबोधन करते हैं। यह प्रथा हम को कायम करना है या नहीं, इस विषय को, मैं समझता हूं कि आप मेरे पास लिख कर भेज दें सदस्यों की राय, तो मैं आगे के लिये सरकार से इस पर चर्चा कर लूंगा। कोई वैधानिक आपत्ति इस में हो नहीं सकती। यदि आइन्दा के लिये इस प्रकार की कोई प्रथा आप चाहते हों तो वह कायम हो सकती है, लेकिन जहां तक विधान का सम्बन्ध है, उसमें पूर्ण अधिकार गर्वनर को है कि कि चाहे वह सदन को प्रोरोग करे या न करे और किसी साल में ऐसी भी आवश्यकता हो सकती है, जैसी की इस साल हुई कि बजट में जो नीति निर्धारित करनी थी उस नीति का पहले से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, रुपये का अंदाजा नहीं लगा कि कितना केन्द्रीय सरकार देगी, कई चीजें हुई, तो बजट के बाद शायद उन्होंने औचित्य समझा कि सदन को गवर्नर प्रोरोग करें और फिर सरकार की आगामी वर्ष में उसकी क्या क्या नीति होगी और उसको अमल में किस तरह से लाया जायगा,कौन कौन से कानून बनाये जायेंगे, यह बाद में सरकार बतायेगी।

साधारण रीति के बजट से वक्त साधारण नीति खर्चे के सम्बन्ध में बतायी जाती है, लेकिन कौन से विधेयक सरकार सदन में लाना चाहती है और इस वर्ष में कौन से कानूनी काम वह करना चाहती है, जो कि वह इस विधान सभा के द्वारा कराना चाहती है,इत्यादि बातें बजट के समय सब कही नहीं जातीं। ये बातें राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के समय बताई जाती हैं। वह बताते हैं कि अगले वर्ष में हमारा यह प्रोग्राम रहेगा और यह हम लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं। ऐसा सम्बोधन में रहता है। इसलिये वर्ष के प्रारम्भ में ही सम्बोधन देने की प्रथा कायम की जा सकती है और जो विवाद राज्यपाल के सम्बोधन पर होता है उसको दृष्टि में रखते हुये सरकार अपने बजट में परिवर्तन करके परिवर्तित स्वरूप सदन में उपस्थित करती है। यह दोनों बातें एक डेढ़ महीने के अवकाश में की जा सकती हैं। लेकिन यह सब आदरणीय सदन की मर्जी की बात है। मैं इतना ही चाहता था कि इस विषय में जो दलों के नेता हैं वह अपने-अपने विचार लिखकर मेरे पास भेज दें कि वह इस विषय में क्या चाहते हैं। फिर मैं नेता सदन से भी इस विषय में बातें कर लूंगा। अगर यह बातचीत होगी तो इस विषय में आगे के लिये निश्चित प्रथा तय हो जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—हाउस में यह चीज क्यों नहीं हो सकती ?

श्री अध्यक्ष—आप मेरे निर्णय को क्वैश्चन नहीं कर सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रथा तो यहां पर पहल से चल रही है। यह नयी प्रथा नहीं कायम की जा रही है

जब से विधान चालू है प्रोरोग इस तरह से होता रहा है और राज्यपाल महोदय हमें सम्बोधित करते रहे हैं। कौन विधान लाया जायगा वह सब बताते रहे हैं। उस प्रथा का अब उल्लंघन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—कोई चीज कई वर्षों से होने से प्रथा नहीं बन जाती। स्पष्ट बात तो यह है कि यहां का जो बहुमत है उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। अगर वह स्वीकार करने की आवश्यकता समझते तो वह प्रथा भी हो जाती और वह प्रथा एक आवश्यक बात भी हो जाती। सरकार ने ऐसी प्रथा को स्वीकार नहीं किया है यह माननीय नेता सदन के भाषण से मालूम होता है। ऐसी अवस्था में यह इस समय प्रथा नहीं है यह मान कर हमें चलना होगा। यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके पर अमल होता रहा है कि सदन के प्रोरोग होने के बाद वर्षारम्भ में राज्यपाल महोदय का सम्बोधन होता था लेकिन यह प्रथा की हैसियत में उन्होंने स्वीकार नहीं की। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाय। उन्होंने इस बात को व्यक्त किया है। इसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। जब तक मुझे इस आदरणीय सदन की पूरी राय मालूम न हो जाय तब तक मैं इसको प्रथा में शामिल करने के लिये तैयार नहीं हूं।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी की बलपूर्वक वसूली के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री गेदासिंह का है। वह कहते हैं कि—

"प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में, राष्ट्रपति जी के दौरे के समय सरकार द्वारा रोजी देने और मालगुजारी की वसूली में ज्यादती न होने देने के आश्वासन के बावजूद रोजी के धन्धे नहीं खोले गये, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु भूख से हुई है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देवरिया जिले के तरया-सुजान ग्राम में एक महिला की २५ जनवरी, १९५८ की मृत्यु है। मालगुजारी वसूली में अभाव-ग्रसित लोगों के ऊपर गैरकानूनी तरीके पर कुर्की, गिरफ्तारी और मारपीट व्यापक रूप से हो रही है। घोर असन्तोष और निराशा का वातावरण फैला हुआ है जिससे सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था को खतरा है।

अतः सदन इस महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये आज का कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।

इस प्रस्ताव में एक विषय नहीं है। कई विषय इसमें शामिल कर दिये गये हैं। प्रस्ताव का साधारण नियम यह है कि कोई विषय निश्चित होना चाहिये, जिस विषय पर माननीय सदस्य विवाद करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा न होने के कारण और अनिश्चित होने के कारण मैं इसको अवैधानिक करार देता हूं।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त बोर्ड से परामर्श के बिना गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री ब्रजनारायण तिवारी जी का है जो इस प्रकार है—

"प्रदेश के लगभग ३० करोड़ मन गन्ने के मूल्य, केन्द्र द्वारा निर्धारित करने में राज्य सरकार ने कानून द्वारा बनाये हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त बोर्ड के बिना सलाह लिये मत व्यक्त कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप गन्ने का दाम पुनः १ रु० ७ आ०

[श्री अध्यक्ष]

और १ रु० ५ आ० निर्धारित हो गया है। इस प्रकार प्रदेश के २० लाख गन्ना उत्पादकों को करोड़ों रुपयों की क्षति हो रही है। सारे प्रदेश में इस प्रश्न को लेकर घोर असन्तोष व्याप्त है। गन्ना उत्पादक बेबस होकर मिलों को गन्ना न देने का निश्चय कर सकते हैं जिससे देश के चीनी उत्पादन को गहरा धक्का लगने की आशंका बढ़ गई है।

अतः सदन इस महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

इसमें यह बतलाया गया है कि "उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त बोर्ड की बिना सलाह लिये सरकार ने मत व्यक्त कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप गन्ने का दाम पुनः १ रु० ७ आ० और १ रु० ५ आ० निर्धारित हो गया है।" यह किसने निर्धारित किया है, कुछ स्पष्ट नहीं है। माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी इसको बतालावें कि बात क्या है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---गन्ने के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि सरकार की तरफ से आखिर जो निश्चय किया गया है, जो बोर्ड बनाया गया है .....

श्री अध्यक्ष---प्रादेशिक सरकार ने किया है या केन्द्रीय सरकार ने किया है ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी---यह केन्द्रीय सरकार का है।

श्री अध्यक्ष---तो यह प्रदेशीय सरकार से सम्बन्धित तो है नहीं। इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव को गैरसम्बन्धित समझता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---तो इस पर बहस करने का एक मौका मिल जाय क्योंकि यह एक अहम और सारे प्रदेश से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---बजट के वक्त अपको मौका मिलेगा। उस वक्त आपको जो कुछ कहना होगा, कह लेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं। गन्ने की कीमत जब केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है तो प्रदेश की सरकार से भी सलाह लेती है और हमने इस सदन में एक कानून बनाया है, उस कानून के अनुसार बिहार और यू० पी० दोनों सरकारों का मिल कर एक ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड बना है और उस ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड का काम यह है कि जब केन्द्रीय सरकार गन्ने का दाम निर्धारित करे तो उस वक्त वह ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड से सलाह ले, जिसके कि सभापति मुख्य मंत्री दोनों सूबों के हुआ करते हैं, जब उसकी बैठक हुआ करती है और इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी उसके एक्स आफिशियो सेक्रेटरी हैं, हैसियत तो उसकी ऐडवाइजरी ही है, लेकिन कीमत निर्धारित करने में उसकी सलाह लेना जरूरी है। इस बार केन्द्रीय सरकार नें १ रु० ७ आ० और १ रु० ५ आ० गन्ने की कीमत निर्धारित की है और मुझे यह भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ सलाह दी। बिहार की विधान सभा ने तो एक मत से १ रु० १२ आ० मन की मांग की; लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, विधान सभा और ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड की रुचि का ध्यान न रखकर, एक गैरकानूनी काम किया है कि उसने अपनी राय केन्द्रीय सरकार को दे दी। तो प्रश्न यहां सब से बड़ा यही है कि राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये था। यों तो यह बात सही है कि पिछले ३, ४, ५ वर्षों से यह झगड़ा चल रहा है कि गन्ने का दाम कम है और इसको बढ़ाया जाना चाहिये। जैसी कि अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकरी होगी कि स्वतः पंत जी की मध्यस्थता में यह बात हुई थी कि कोई पंचायत होगी जो गन्ने की कीमत को तय करेगी।

श्री अध्यक्ष---आप अन्य बातें न कहें, मोशन पर ही आ जायं।

श्री गेंदासिंह---मोशन के सम्बन्ध में ही मैं बतलाता हूं कि राज्य सरकार की यह गलती है कि उसने बगैर ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड की सलाह लिये हुए अपना मत व्यक्त कर दिया। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वह एक कमेटी बुलावे और उसकी सलाह ले। लेकिन बिना सलाह लिये हुए उसने अपना मत व्यक्त किया है, यह उसने गलती की है और मैं समझता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है जिस पर विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय वित्त मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मैं आपकी इजाजत से श्री गेंदासिंह साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि यू० पी० की सरकार ने इस मामले में कब मशविरा दिया ? जिस मशविरा देने की उनको शिकायत है वह मशविरा इस सरकार ने ने कब दिया। उससे आप यह नतीजा निकाल लेंगे कि यह कोई रीसेंट आकरेंस नहीं है, पिछली मीटिंग खत्म हो गयी, उसी वक्त तमाम गन्ना मिलें चल पड़ी थीं, पहले ही गन्ने के विषय में एडजर्नमेंट मोशन आ चुके, यह कीमत जो किसानों को मिल रही है वह तो पहले से ही मिल रही है, आज तो वह मुकर्रर नहीं की गयी है कि जिसके ऊपर कोई नया एडजर्नमेंट मोशन आ सके।

श्री अध्यक्ष---उनका मतलब यह है कि अगले साल के लिये फिर मुकर्रर हुई है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसीलिये मैंने उनसे पूछा कि उसके मुताल्लिक इस सरकार से कब मशविरा मांगा गया है। जब उन्होंने अपने आर्गूमेंट पेश करते वक्त कहा है तो वह बतायें कि वह मशविरा कब हुआ है ?

श्री गेंदासिंह---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी सीधी सी बात है कि केन्द्रीय सरकार का फैसला जब होता है तो वह राज्य सरकार के जिम्मेदार लोगों की जानकारी में भी होगा। मुझे मालूम है कि पिछले ५-४ दिन में केन्द्रीय सरकार की एक विज्ञप्ति निकली थी जिसमें उन्होंने अगले साल के लिये गन्ने की कीमत मुकर्रर कर दी है। गन्ना बेचने और खरीदने का जो कानून है उसके मुताबिक केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड की सलाह से राज्य सरकार की सम्मति ले। मैं जानना चाहता हूं कि अगर सलाह मांगी गयी तो उन्होंने क्या सलाह दी, इसको स्वयं मंत्री जी स्पष्ट करें.....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं। इससे मालूम हो गया कि आप को कोई निश्चित मालूमात नहीं है कि क्या घटना हुई और जब निश्चित चीज नहीं मालूम है तो आप प्रश्न कुछ पूछ सकते हैं, उसके लिये आधा घंटे का समय निश्चित हो सकता है।

डाक्टर लोहिया का अंगूठे का निशान जबरदस्ती लगवाने वाले मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री रामस्वरूप वर्मा का भी एक कामरोको प्रस्ताव है कि डाक्टर लोहिया का जो ३० नवम्बर को जबरदस्ती अंगूठे का निशान लगवाया गया और मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इस सम्बन्ध में है। मैं समझता हूं यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता किसी मैजिस्ट्रेट के ऐक्शन पर। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये थी। यह राय जान कर अब उस पर मैजिस्ट्रेट को सरकार को सजा देना चाहिये या कोई अन्य काम करना चाहिये यह कहना और अगर सरकार ऐसा न करे तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

उस विषय को कामरोको प्रस्ताव का विषय बनाया जाय, ऐसी बात उचित नहीं है। मैजिस्ट्रेट तो अपना जुडीशियल माइन्ड एप्लाई करते हैं, उसमें गलती भी हो सकती है। उनके फैसले अपील में हाईकोर्ट में जाते हैं वहां से फिर फैसले होते हैं। ऐसी चीजों पर अपील का फैसला होने पर मातहत अदालत के विरुद्ध ऐक्शन लेना चाहिये यह कहना उचित नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, यदि दो मिनट के लिये आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब नहीं।

बाबा राघवदास के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मेरा एक कामरोको प्रस्ताव ७ नम्बर पर लगा हुआ था....

श्री अध्यक्ष---वह बाबा राघवदास जी के बारे में था। इसको इसलिये नहीं लिया गया क्योंकि अव्वल तो उसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दिया था और मैं समझता हूं राम स्वरूप जी ने भी उसका यहां थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया। इसके अलावा किसी मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इस प्रकार का विषय लाया जाय, यह उचित नहीं मालूम होता और यह विषय कामरोको प्रस्ताव का हो भी नहीं सकता। इसलिये मैं पढ़ कर नहीं सुनाया।

कार्यक्रम की सूचना न दिये जाने पर आपत्ति

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब की यह जो सत्र प्रारम्भ हुआ है इसके पहले हमारे पास सदैव नोटिस जाया करता था कि क्या कार्यवाही होने को है। अबकी बार यह तो सूचना दी गयी कि तीन तारीख से सदन बैठ रहा है लेकिन सदन का क्या कार्यक्रम होगा, इसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी। श्रीमन्, चूंकि आज की कार्यवाही पहुंची नहीं है, जिस पर विचार कर सकें, लिहाजा किसी रूप में कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जब कार्यवाही शुरू हो उस वक्त आप का ऐतराज उपस्थित हो सकता है। इस वक्त मैं घोषणा कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १८ दिसम्बर, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २० दिसम्बर, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३१ दिसम्बर, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १९ दिसम्बर, १९५७,

की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २३ दिसम्बर, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३१ दिसम्बर, १९५७, को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ दिसम्बर, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २० दिसम्बर, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १९ जनवरी, १९५८, को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ दिसम्बर, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १९ दिसम्बर, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २० जनवरी, १९५८, को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ दिसम्बर, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ८ जनवरी, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २० जनवरी, १९५८, को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ दिसम्बर, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ७ जनवरी, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २० जनवरी, १९५८, को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का छठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० दिसम्बर, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २४ दिसम्बर, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २६ जनवरी, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेंडर्स (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफ़ेंडर्स (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १७ सितम्बर, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० दिसम्बर, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २६ जनवरी, १९५८, को प्राप्त हो गयी और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का ८ वां अधिनियम बन गया।

आय-व्ययक पर विवाद के लिये अधिक समय देने के सम्बन्ध में निश्चय

श्री अध्यक्ष---एक चीज मैं और आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि बजट में बहस के लिये नियम के अनुसार ३ रोज रखे जाते हैं और २० दिन रखे जाते हैं, अधिक से अधिक नियम के अनुसार मतदान के लिये। अब की दफा, शायद माननीय नेता विरोधी दल से भी बातचीत हुई हो, एक रोज अधिक आम बहस के लिये और एक दिन अधिक मतदान के लिये नेता सदन दे देना उचित समझते हैं। यानी आम बहस ४ रोज होगी और मतदान २१ दिन होगा। इसमें अगर किसी को आक्षेप न हो तो यह स्वीकार किया जाय, नहीं वैसे ही रहेगा, जैसा नियम में है।

(किसी ने आपत्ति नहीं की।)

तो सदन इसको स्वीकार करता है। मतलब यह हुआ कि यह नियम निलम्बित होगा और मतदान के लिये बजाय २० की जगह २१ रोज हो जायेंगे और आम बहस के लिये ४ रोज हो जायेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां सख्या एम० (बी०) आर० (ए०) एम० (२)-१०३१-३-टी० एम०। ३०---४८१७(टी)-५७, दिनांक १४ अक्तूबर, १९५७, संख्या एम० (बी०) आर० (ए०) (एम०) (५)-२२४३-३-टी० एम०। ३०---४८४३-टी०-५७, दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ तथा संख्या एम० (बी०) आर० (ए०) एम० (६)-३७४८ टी० एम०। ३०---४८०३-टी०-५६, दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

एक सदस्य---लेकिन यह सदन की मेज पर है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---सदन की मेज पर तो रखे हैं। वितरण के लिये अब यह व्यवस्था हो गई है कि आपके लिए पीजन होल्स नोटिस आफिस में बनाये गये हैं, वहां साहित्य रख दिया जाता है।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---तो यह कहने के बजाय कि सदन की मेज पर रखता हूं यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि पीजन होल्स में रख दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, सदन की मेज तो सचिव, विधान-सभा की मेज है और उस पर नियमों में संशोधनों की प्रतिलिपि वहां पर मौजूद है। पिजन-होल्स तो केवल साहित्य वितरण के लिये हैं।

इलाहाबाद माघ मेला रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं, इलाहाबाद माघ मेला रूल्स, १९४० में नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० १३४-ए (११)---ख-६७-एम०-५६, दिनांक २६ नवम्बर, १९५७ के अधीन प्रख्यापित सशोधनों को यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १९३८ की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६१—सी० एच०/१—अ—४७२—५७, दिनांक ३ दिसम्बर, १९५७ के अधीन प्रख्यापित सशोधनों को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं, उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर नियमावली, १९५७ में राजस्व (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७५४० (७)/१—स—४०५ (स)—५७ दिनांक ७ जनवरी, १९५८ ई० के अधीन प्रख्यापित सशोधनों को उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ के अधीन संगठित प्रशासकीय बोर्ड के लिये तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अधीन संगठित होने वाले प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के मद (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का, जिनमें एक महिला होगी, निर्वाचन करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अधीन संगठित होने वाले प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के मद (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का, जिनमें एक महिला होगी, निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब इसके बारे में कार्य-क्रम निश्चित करके बाद में सदन को इसकी सूचना दे दी जायगी।

कार्य-क्रम की सूचना न दिये जाने पर आपत्ति

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। अमूमन अभी तक यह प्रथा रही है कि जब कभी सत्र प्रारम्भ होता था तो उसकी सूचना जाती थी और उसके साथ सत्र में क्या क्या कार्यवाही होगी इसकी सूचना उसके साथ जाया करती थी।

श्री उपाध्यक्ष—अभी वह अवसर आया नहीं। नये प्रस्ताव आगे की कार्यवाही के बारे में सरकार रखने जा रही है.....

श्री रामस्वरूप वर्मा—पुरःस्थापन का सवाल तो खत्म हो चुका है। अब तो प्रस्ताव रक्खे जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जो दो, तीन प्रस्ताव आ रहे हैं आगे क्या होगा उनके बारे में वे हैं। कोई चाहे तो उनका विरोध कर सकता है। कोई विशेष कार्य-क्रम आये, तब आप यह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

---

† छापे नहीं गये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं तो इस संबध में आपकी व्यवस्था चाहता था कि आगे का कार्य-क्रम क्या होगा इसकी कोई सूचना हमको नहीं दी गयी। किसी प्रकार तैयार होकर हम आये नहीं। जब कार्य-क्रम की हमको सूचना नहीं दी गई तो हम कैसे इन बातों पर विचार करें ?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपको बताया कि ये जो दो तीन प्रस्ताव आये हैं ये आगे की कार्यवाही के लिये हैं कि अमुक गैर सरकारी दिन ले लिया जाय या शनिवार ले लिया जाय। ऐसे प्रस्तावों को पहले से बाटने की जरूरत नहीं होती।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मौलिक प्रश्न यह है कि सदन की बैठक जब बुलायी जाय तो जैसा कि लोक सभा में, अन्य प्रदेशों में और अब तक अपने प्रदेश में भी प्रथा रही है, इसकी सूचना जाती रही है कि कौन-कौन से बिल किस दिन पुरःस्थापित किये जायंगे और क्या कार्यवाही किस दिन होगी। लेकिन इस मर्तबा यह नहीं भेजी गई। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह कार्यवाही न चलायी जाय जब तक कि पूरी सूचना न मिल जाय और जब तक तमाम फार्मेलिटीज को पूरा न कर लिया जाय।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र का जो प्रस्ताव है उसके मुताल्लिक मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो दोनों प्रस्ताव हैं उनको आज न लिया जाय, कल या परसों ले लिये जायं, अगर इन दोनों के बारे में उनको इतनी आपत्ति है। वैसे तो जैसा आप फर्मा रहे थे इन प्रस्तावों में ऐसी कोई बात नहीं है जिनके लिये तैयारी करने की जरूरत होती, लेकिन गवर्नमेंट का विचार ऐसा है कि आपसे यह दरख्वास्त की जाय कि आज ये न लिये जायं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मेरा विरोध केवल इन प्रस्तावों से नहीं है, बल्कि जो पूरी कार्यवाही होने जा रही है .....

श्री उपाध्यक्ष—जो विषय सामने है उसको आप देखिये। आपने आपत्ति उठायी तो दो प्रस्ताव सरकार आज पेश करना नहीं चाहती। उनके लिये अब आपको वाजिब नोटिस मिल रहा है। १७ नम्बर पर जो प्रस्ताव है, उनको जब माननीय मंत्री जी पेश कर दें, तब आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—लेकिन व्यवस्था का प्रश्न तो मेरा पूरी कार्यवाही के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष—पहले जरा सब्र कीजिये। आपकी आपत्ति पर दो प्रस्ताव गवर्नमेंट ने पेश नहीं किये। १७ नम्बर पर जो आइटम है पहले वह पेश हो जाय तब आपको जो कुछ कहना हो कह लीजियेगा।

१५ और १६ नम्बर के प्रस्ताव अब बाद में लिये जायंगे। माननीय माल मंत्री अब १७ नम्बर पर जो प्रस्ताव है, उसे पेश कर दें।

कुमायूं जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ निर्दिष्ट किया गया था कि वह ४ महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। कुछ कारणवश इस समिति की बैठक अभी तक नहीं हो सकी है। अतः समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि ४ महीने और बढ़ा दी जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं कि यह जो कार्यवाही हो रही है, इसकी सूचना हमें पहले से प्राप्त नहीं है और सदन के पहले दिन कोई सूचना न होने पर यकायक अगर हम विचार करें तो यह असंभव सा प्रतीत होता है और प्रथा के विरुद्ध है। सभी संसदीय प्रथाओं के अनुसार उनकी सूचना हमें पहले प्राप्त हो जानी चाहिये थी, जो कि प्राप्त नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—आइटम नं० १७ पर कोई ऐसा ऐजेंडा नहीं है जिसके ऊपर पहले से तैयारी की जरूरत हो। माननीय मन्त्री जी ४ महीने की अवधि बढ़ाना चाहते हैं। आगे कोई ऐसा अवसर आयेगा या असाधारण परिस्थिति होगी तो आपको आपत्ति करने का मौका होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—तो भाषण कीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—आपकी व्यवस्था मान्य है। आपने हमें अवसर दिया कि हम इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें।

मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि यह विधेयक ४ महीने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था कि वह रिपोर्ट दे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मंत्री जी ने ४ महीने के अन्दर एक बैठक अब तक नहीं की। इतना आवश्यक विधेयक था और इसके ऊपर उन्होंने सदन में बड़े-बड़े आश्वासन दिये थे और यह कहा था कि वे क्रान्ति करने जा रहे हैं। यदि बहुत आवश्यक था तो ऐसे आवश्यक विषय पर ४ महीने में एक भी बैठक नहीं हुई। क्या इसमें मैं यह समझूं कि अगले चार महीने इसके लिए अपर्याप्त होंगे या सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही है कि मुख्य विधेयक तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन कार्य रूप में लाने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, दूसरी बात यह कि जब सदन के सामने यह प्रस्ताव आया और यह तय हुआ कि ४ महीने के अन्दर यह कार्य हो तो मंत्री महोदय ने एक बार भी बैठक न बुला कर सदन का अपमान भी किया है। ४ महीने के अन्दर बैठक बुलाते और इतना काम अधिक हो जाता है कि काम पूरा नहीं हो सकता तो एक मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता था। तो यह सदन के अपमान का भी प्रश्न है और समयानुसार इसका नोटिस भी दिये देता हूं कि यह प्रिविलेज का सवाल है कि सदन की आज्ञा और निश्चय के बावजूद सदन की इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं बुलाई गयी।

इसलिए यह ४ महीने का समय जो मांग रहे हैं उचित नहीं हैं क्योंकि जब बैठक नहीं बुलायी तो यह समय किस आधार पर मांगा जा रहा है, उसको भी स्पष्ट किया जाय। अगर इधर बैठक हुई होती तो उनको अन्दाजा पड़ता कि कितना काम बाकी रह गया है और उसका विवरण लेने के बाद अगर समय मांगते तो हम विचार करते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, तो इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सदन के अपमान की बात है, मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि सदन से ४ महीने के अन्दर रिपोर्ट पेश करने की इजाजत ली गयी थी। अगर नहीं पेश की जा सकी तो उसी सदन से फिर दरख्वास्त है कि मियाद की तौसीअ की जाय। तो इसलिए अपमान का प्रश्न नहीं उठ सकता।

अब यह बात जरूर है कि सदन यह जानना चाहे कि क्यों ४ महीने के अन्दर मीटिंग नहीं की गयी? तो उसके मुताल्लिक मेरा निवेदन यह है कि वहां सेटिलमेंट आपरेशंस कुमायूं में हो रहे हैं और इस दौरान में जो तजुर्बा अफसरान को हो रहा है वह, क्योंकि किसी भी एक तहसील में पूरे आपरेशंस नहीं हुए हैं, तो उस तजुर्बे से जो सेलेक्ट कमेटी को फायदा होना चाहिये

[श्री चरणसिंह]

था, अभी इस स्टेज पर नहीं हो सका। मेरा खयाल यह था कि हर जिले की एक एक तहसील में सेटिलमेंट आपरेशंस दिसम्बर के आखिर तक जरूर कम्पलीट हो जायंगे, लेकिन अभी तक कम्पलीट नहीं हुए, तो सेलेक्ट कमेटी के सामने, जब आपरेशन्स कम्पलीट हो जायं, तो हमारे अफसरान को जो फील्ड में काम करने से नयी मालूमात हो रही है, वह सब आ जायं और उस तरह का आवश्यक संशोधन सेलेक्ट कमेटी कर सके, इसलिए वह मीटिंग नहीं बुलायी गयी।

दूसरी बात यह कि बिल के अन्दर ही—जब वह ऐक्ट हो जायगा—तो एक प्राविजन यह है कि यह ऐक्ट सारे इलाके में लागू नहीं होगा बल्कि जिले के एक पर्टीकुलर एरिया में हम उसे नाफिज कर देंगे। जब तक आपरेशन्स कम्पलीट नहीं हो जाते हैं तब तक इसको नाफिज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपरेशन्स के कम्पलीट होने पर इस ऐक्ट का निफाज निर्भर है और इस सिलसिले में मेरे माइंड में अर्जेन्सी भी नहीं थी कि इससे पब्लिक इंटेरेस्ट को नुकसान हो रहा है क्योंकि बेदखली बन्द की जा चुकी है और आगे के लिये उनके राइट्स डिटरमिन करना है। तो जब तक यह आपरेशन्स कम्पलीट नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिये चार महीने की ही नहीं बल्कि आठ महीने की भी देरी हो जाय उस समय तक जब तक कि आपरेशन्स कम्पलीट न हो जायं, जनहित को हानि नहीं हो सकती है। इसलिये मैंने मीटिंग नहीं बुलायी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, आपकी इजाजत से, क्योंकि यह बिल कुमायूं से ताल्लुक रखता है, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आप इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप भाषण भी दे सकते हैं क्योंकि मंत्री जी को दो बार बोलने का अधिकार है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया, अभी-तक एक तहसील की भी जांच पूरी हो सकी है। यह सही है क्योंकि मैं स्वयं मौके पर गया हूं और मैंने देखा है और जो सब डिवीजन आपने लिया है, वह सब से छोटा नहीं तो दूसरे नम्बर पर है और अभी तो बहुत बड़े-बड़े हिस्से बाकी बचे हुये हैं। मैं मंत्री जी की इस बात से भी इत्तफाक करता हूं कि इस बिल की कोई अर्जेन्सी नहीं है और यह पोस्टपोन किया जा सकता है।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को सूचित कर दूं कि इस बिल के बारे में सारे कुमायूं की जनता का तीन चौथाई हिस्सा खिलाफ है और बहुत विरोध भी हुआ है। जितने स्थानीय पत्र और संस्थायें हैं, मैं समझता हूं कि मंत्री जी के पास गढ़वाल और अल्मोड़ा वगैरह से लोगों की रायें आयीं हैं, अधिकांश में वह इसके विरोध में हैं। अभी मंत्री जी के सामने पूरा डेटा भी नहीं है। अभी तो एक तहसील भी नहीं हो पायी है और तीन तहसीलें बाकी हैं। यह तहसील तो नाम मात्र की है। बाकी तहसीलें तिगुनी नहीं बल्कि छः गुनी से अठगुनी तक बड़ी हैं, जो बाकी रह गयी है तो क्यों न इसको, जब तक पूरा नक्शा जिले का सामने न आ जाय, तब तक ड्राप कर दिया जाय। इसके बाद जो मुनासिब समझें वह करें, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं। एक गुजारिश यह करनी थी कि हमारे यहां हिस्सेदार, काबिजदार वगैरह का एक ही कालम रखा गया है जिसकी वजह से बड़ी गड़बड़ी है। जैसे पुरानी मुंतखिब बनती है जिसमें खायकर, हिस्सेदार, सिरतान और कब्जेदार के अलग-अलग कालम हैं, उसी तरह से कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान रूल्स आफ प्रोसीजर के नियम १०० की ओर आकर्षित करता हूं। मेरे पास अंग्रेजी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कापी है, इसलिये अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहता हूं। यह सेलेक्ट कमेटी के प्रोसीजर के बारे में है कि—

"(1) The Chairman of the Committee, shall be appointed by the Speaker from amongst the members of the Committee :

Provided that where the Deputy Speaker is a member of the Committee, he shall be appointed Chairman of the Committee."

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन, जिसकी अवधि बढ़ाई जा रही है, विभाग के मंत्री रहे हैं यद्यपि नियम में कहा गया है कि ऐसी कमेटी के चेयरमैन या तो स्पीकर द्वारा मुकर्रर हुये हों या डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। अथवा

"(2) If the Chairman is for any reason unable to act, the Speaker may similarly appoint another Chairman in his place."

मैं इसके सिलसिले में आपका ध्यान नियम ११० पर दिलाऊंगा जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के बारे में है। वह इस प्रकार है कि—

"The procedure before the Joint Select Committee will be the same as before a Select Committee and all rules relating to Select Committee with regard to the election of members and the appointment of Chairman of the Committee and presentation and consideration of its report shall *mutatis mutandis* apply to a Joint Selcet Committee."

इस रूप में जो सेलेक्ट कमेटी पहले बनी थी उसके चेयरमैन एक विभागीय मंत्री रहे। वह स्वयं भी अनियमित था और अब जो चार महीने की अवधि और मांगी जा रही है उसी कमेटी के लिये वह भी अनियमित हो जायगी, क्योंकि उसके भी चेयरमैन विभागीय मंत्री होंगे। मैं चाहूंगा कि इस प्रोसीजर के मुताबिक इसके चेयरमैन नियमबद्ध रूप में हों और जो अनियमितता अब तक रही है वह अब न हो सके।

जहां तक चार महीने की अवधि बढ़ाने का सवाल है, तो नियम १७३ इस प्रकार है—

"The following motions may be made, if the Speaker permits, without notice."

और उसके नवें में दिया है :—

"(ix) Motion to extend duration of a meeting."

तो यह तो नियम के अन्तर्गत है और इस मीटिंग की अवधि बढ़ायी जा सकती है किन्तु जिस अनियमितता की ओर मैंने ध्यान दिलाया है वह दूर होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपने दो बातें कहीं। दूसरी बात का तो इससे संबंध ही नहीं है। सवाल यह है कि इस प्रवर समिति के सभापति कौन हों। तो जैसा कि आपने नियम १०० की तरफ ध्यान दिलाया, उसमें यह लिखा है कि माननीय अध्यक्ष जिसकी नामजदगी करें वह चेयरमैन होगा और अगर डिप्टी स्पीकर उस सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं तो वे चेयरमैन होंगे। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण अवश्य है। मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं और समझता हूं कि सारा सदन इस पर विचार करेगा, लेकिन जिस समय यह कमेटी बनी थी उस समय माननीय अध्यक्ष ने ही माननीय मंत्री जी को इसका सभापति नियुक्त किया था और उनको पूरा अधिकार है कि जिसको चाहें मेम्बरों में से सभापति नियुक्त करें।

दूसरी बात जो आपने कही, जिस प्रस्ताव पर बहस हो रही है वह ऐसा नहीं है जिसमें बिना नोटिस के विरोधी दल को कठिनायी पड़े। वे चार महीने की अवधि बढ़ाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि न बढ़ायी जाय और ऐसा आपकी तरफ से विरोध हुआ भी। इसलिये मैंने इजाजत दे दी। अगर कोई अहम मसला होता तो उस पर विचार किया जाता।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्दसिंह जी ने, जमींदारी ऐबालिशन वहां हो या न हो, इसकी मेरिट्स की बहस उठायी या इस बिल की मेरिट्स की बहस उठायी। वह तो बिल्कुल इर्रेलीवेंट बात है। इसका यहां कोई सवाल नहीं है। मैं तो यह दरख्वास्त लेकर आया हूं कि जो चार महीने की मियाद रिपोर्ट देने की थी वह चार महीने आगे बढ़ा दी जाय। इसलिये कि वहां के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं यह बिल उठा लिया जाय, यह सवाल इस वक्त नहीं उठता है। विरोध कुछ लोग इसलिये कर रहे हैं कि जिन बेचारों का फायदा होने वाला है वे गरीब हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अवधि रिपोर्ट पेश करने की थी क्या वह समाप्त हो गयी है?

श्री चरणसिंह—मेरे खयाल से वह तो शायद २० जनवरी को समाप्त हो गयी, लेकिन मैं तारीख के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कुमायूं जमींदारी -विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ निर्दिष्ट किया गया था कि वह ४ महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। कुछ कारणवश इस समिति की बैठक अभी तक नहीं हो सकी है। अतः समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि ४ महीने और बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

स्वशासन मन्त्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. District Boards (Amendment) Bill, 1958] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४७४–४९३ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। अब मैं आपका ध्यान नियम ९५ की तरफ आकर्षित करता हूं जिसमें है कि—

"When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in charge of the Bill may make one of the following motions in regard to his bill, namely :

(*a*) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified; or

(*b*) that it be referred to a Select Committee or to a Joint Select Committee ; or

(*c*) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon ;

Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that 6 . ..

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो वह पेश कर रहे हैं। यह जो आप कह रहे हैं यह तो बाद की बात है।

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८

वित्त मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ [U. P. Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1958] पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९४–४९५ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. Storage Requisition (Continuance of Powers) (Amendment) Bill, 1958]. पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४९६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—सेल्स टैक्स बिल के संबंध में मुझे यह सूचना मिली है कि यह सदन के सामने अभी उपस्थित नहीं हुआ है। तो यह जब बंट जायगा तब उपस्थित करने की इजाजत दी जायगी।

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ †

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं आइटम नं० २२ के संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यह विधेयक सरकार की असावधानी से पिछले सत्र के आखिरी दिन पास नहीं हो सका, जबकि बिजनेस कमेटी ने यह तय कर दिया था कि प्रश्न उसी दिन समाप्त होना चाहिये और सदन ने भी इसको स्वीकार किया था। उसके बाद गवर्नमेंट की असावधानी से यह उस दिन पास नहीं हो सका। तो यह आइटम लैप्स हो जाता है और इस पर मतदान आज नहीं हो सकता। अब इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार हो सकता है। यह जो मतदान के लिये रखा गया है, यह गलत है और इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप किन आधारों पर यह चाहते हैं, यह भी तो बतायें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह तो साधारण सी बात है। यह बात बिजनेस कमेटी ने तय कर दी थी और सदन ने उसके प्रस्ताव को मान लिया था। चूंकि यह उस दिन पास नहीं हुआ इसलिये यह अपने आप लैप्स हो गया।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, आपकी उपस्थिति में ही उस रोज यह सब हुआ था। आपने एक प्रकार से यह कह दिया था कि, "हां की संख्या अधिक है", फिर उसके बाद डिवीजन की मांग हुई। उसके बाद ही पांच बज गये, तो आपने कहा कि यह दूसरी बार लिया जायगा, क्योंकि वोटिंग होनी बाकी थी। मैं नहीं समझता कि किस कायदे और कानून से यह कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं हुई और यह सब बेकार हो गया और यह प्रश्न लैप्स हो गया। मैं तो प्रस्ताव करता हूं कि इस पर मतदान हो जाय और इसको संयुक्त प्रवर समिति को रेफर कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उस के संबंध में मेरा निर्णय यह है कि चूंकि सदन का वही सत्र चल रहा है और सत्रावसान बीच में हुआ नहीं, इसलिये चूंकि

† ९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा।

[श्री उपाध्यक्ष]

कार्यवाही इस स्थान पर रुक गई थी वहीं से वह चलती रहेगी यह प्रस्ताव समाप्त नहीं समझा जायगा। इस पर मतदान की कार्यवाही बाकी है, इसलिये मैं इस पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Intermediate Education (Amendment) Bill, 1957] उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७†

समाज-सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ [The Prisons (U. P. Amendment) Bill, 1957] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि जिस समय सेशन के आरम्भ होने की हमको सूचना दी गयी उस समय हम लोगों के सामने यह प्रोग्राम नहीं था कि कौन कौन सा विधेयक विचार के लिये यहां पर प्रस्तुत होगा। इस कारण कोई सदस्य इसके लिये तैयार होकर नहीं आया है। इसलिये अब यहां पर जो इस क्रम से बिल पेश हो रहा है उसके लिये हम लोग तैयार होकर नहीं आये हैं। उस पक्ष की ओर से इसके लिये यह कहा जा सकता है कि यह पिछले सेशन में यहां पर पेश हुआ था तो इस पर गौर हो चुका है लेकिन हमारी आपत्ति यह है कि इस समय हम यह सोचकर नहीं आये हैं कि हम इस बिल पर विचार करेंगे। पिछले सत्र में तो कई बिल विचारार्थ प्रस्तुत थे फिर पूर्वापर का क्रम कैसे तय किया जा सकता था। इसलिये हम इस पर अब विचार के लिये तैयार नहीं हैं। जब तक इस पर ३ दिन का समय न मिल जाय तब तक इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री मुजफ्फरहसन—मुझे यह अर्ज करना है कि पिछले सेशन में यह चीज एजेंडे पर आ चुकी थी और इस पर तरमीम भी आ चुकी थी। इसको उसी वक्त पास होना था लेकिन किसी खास वजह से नहीं हो सका। इसलिये इसके लिये तैयारी का सवाल नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस अवसर पर सरकार से यह जानना चाहता हूं क्योंकि इस बार विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। हमारे कार्यालय को भी बहुत देर से, ३० जनवरी को सरकार की तरफ से यह सूचना आयी कि सदन की अगली कार्यवाही क्या होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विलम्ब का क्या कारण है? यह प्रश्न उठाया गया कि यह बिल सदन के सामने था लेकिन इस तरह के बहुत से बिल हैं और समय से पहले यह क्रम किसी को मालूम नहीं था। माननीय सदस्यों को इस पर अड़चन हो सकती है कि कौन सा बिल पहले लिया जायगा। इसलिये सरकार अगर कोई कारण बतलावे, इतने विलम्ब से हमारे कार्यालय में भी कार्यसूची भेजी गई तो मुझे इस प्रश्न पर निर्णय देने में सुविधा होगी।

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, जो पद्धति है वह सिर्फ इतनी है कि कोई बिल सरकार अगर लाती है तो उस पर पूरा विचार करने के लिये १,२ दिन का समय देना पड़ता है। वह थोड़ा अलग-अलग है। वह समय सदन को मिल चुका है और यह सदन की बैठक जो शुरू हुई है वह सिर्फ स्थगित सदन की बैठक है जो कि साईने डाई स्थगित की गयी थी। सदस्यों से यह आशा की जाती है कि जो विषय आ गया उस पर उन्होंने तैयारी कर ली होगी। अगर यह पुरःस्थापन की बात होती तो इस पर प्रश्न उठ सकता था लेकिन इस पर विचार हो चुका है, लोगों ने स्टडी कर ली है और संशोधन भी आ चुके हैं। उसके बारे में अब एतराज करना एतराज करने के लिए है उसके अन्दर कोई सार नहीं मालूम होता है। इसलिये इस पर विचार होना चाहिये।

---

† विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २४ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं समझता था कि सरकार, आपने स्वयं जिस बात का निर्देश किया है, उस विषय की गम्भीरता को समझेगी और उसकी जो गलती है उसको महसूस करेगी। लेकिन ऐसा न करके स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से भ्रामक दलील दी गयी। मुझे खेद है कि मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जो कठिनाई है वह यह है कि पहले जब यह बिल सदन में आया था तो उस समय जो क्रम एजेंडे में दिया गया था उस क्रम में भी यह इसके बाद नहीं था। तब भी यह इस इन्टरमीडियेड बिल के बाद नहीं था। इसलिये हम लोगों को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं थी जिससे हम इस विधेयक के लिये तैयार हों। सरकार के पास बहुत से साधन हैं वह तो हर विषय पर तैयार रह सकती है। लेकिन आपोजीशन के पास यह सब साधन नहीं हैं कि वह हर बिल के लिये तैयार रहे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को इसका नोटिस नहीं था और हम को वक्त नहीं मिला है। इसलिये इस पर विचार स्थगित रखा जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि यह पहले प्रस्तुत हो चुका था और दूसरे भी विधेयक थे। इससे खासकर हम नये सदस्यों को कठिनाई होती है कि किस बिल पर किस दिन विचार किया जायगा क्योंकि यह पहले से नहीं मालूम होता है। हम सही मानों में प्रदेश की जनता और अपने साथ न्याय नहीं कर सकते। मुझे यह भी सूचना है, मालूम नहीं कहां तक ठीक है, कि आपके कार्यालय को भी सरकार की ओर से जनवरी के अन्त में सूचना दी गयी। यह सरकार की ओर से ढिलाई होती है। यदि आज इस पर कुछ फैसला होकर सरकार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता तो हमारा कत्ले-आम होगा और हम कुछ कर नहीं पावेंगे।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---क्या व्यवस्था के प्रश्न पर बहस की आज्ञा आप देंगे, मैं यह जानना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष---यह बहस नहीं है, मैं केवल जानकारी हासिल कर रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, प्रायः देखा गया है कि जो टाइम टेबिल छपता भी है तो उसके अनुसार कार्य नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि आगे के बिल पीछे और पीछे के पहले ले लिये जाते हैं। डिस आर्डर इज़ दी आर्डर आफ़ दी हाउस यहां कुछ ऐसा हो रहा है। आखिर कोई मखौल तो है नहीं, हम लोग बिलों पर तैय्यारी भी नहीं कर पाते हैं। कानून का एक एक अक्षर पूरी ताकत रखता है। हमको उचित समय न मिलना ही कारण है कि इतने संशोधन आते हैं जैसे सेल्स टैक्स में चौथा संशोधन आ रहा है।

यह भी बात है कि एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा कंट्रोल इस सदन की कार्यवाही पर, लेजिस्लेचर पर, बढ़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---यह आपत्तिजनक बात है यह न कहें। एग्जीक्यूटिव की ऐसी इच्छा हो सकती है लेकिन हम सबका कर्त्तव्य है कि उसे सफल न होने दें। यदि यह मान लिया जाय कि एग्जीक्यूटिव हावी हो रही है तो सदन का अपमान हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं आपकी आज्ञा से संसदीय पद्धति के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट है जिसमें देहली स्टेट के माननीय स्पीकर महोदय ने कहा है कि---

"For circumstances mentioned earlier the executive, civil service and political parties have risen to a new peak of power and the cabinet has become

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

pre-eminent but it does not imply that the legislatures and the courts are non-entities and no longer perform a useful function. Nor does it mean that because of stable majorities in legislature, Parliament has become merely a rubber stamp registering the decrees of the executive. If courts are guardians of personal freedom, it is the legislature that safeguards political freedom."

आगे इसमें है कि—

"The civil srevices can run the administration perhaps without the help of the judiciary and the legislature, but under those circumstances, it would be no liberty or democracy that would be governing the country."

इससे आगे है:—

"The functions of the legislature, broadly speaking, are legislative, deliberative, financial, control over the executive and judicial."

सारांश यह है कि इस माननीय सदन का कंट्रोल इस सदन के हाथ में होना चाहिये। हमारा प्रोग्राम सदन की राय से बनना चाहिये। सत्रावसान के बारे में किताब में और दूसरी किताबों में भी दिया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मैं कहना चाहता हूं जिसका हम अनुसरण करते हैं। हमारी पार्लियामेंट में भी है कि जब सत्रावसान होता है तो पहले बता दिया जाता है कि फलां तारीख से सेशन होगा।

हमको मालूम नहीं था कि यह संशोधन विधेयक आज आवेगा। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से पहला संशोधन मेरा ही है। मैंने अपने आपसे सावधानी बरती कि प्रोग्राम की एक कापी हासिल कर लूं। ३० जनवरी को सेक्रेटरी महोदय से भी मैंने पूछा। मैं यहां लखनऊ में मौजूद था। पता लगा कि प्रोग्राम प्रेस को जाना तो दूर रहा उसका किसी को पता ही नहीं था कि वह है क्या। तो यह असेम्बली की प्रतिष्ठा पर एक धक्का है। हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है। हमको रबर स्टाम्पिन्ग बनाया जाता है। उनके पीछे हाथ ज्यादा हैं, उन्हें भरोसा है कि चाहे जो करा लेंगे। इसलिये चाहे जैसा प्रोग्राम बना दिया जाता है। इससे सारे प्रदेश की हानि होती है। एक कामा भी गलत होने से बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज सदन को पोस्टपोन किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरे नाम से भी संशोधन है और मैं चाहता था कि उसमें कुछ तैयारी कर पाता। लेकिन आज साढ़े नौ बजे यह कार्यक्रम मिला। यह संशोधन सन् १८९४ के ऐक्ट से लिया है। जब तक मूल ऐक्ट नहीं पढ़ा जायगा तब तक इस पर विवाद नहीं कर सकते।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यदि इस बिल पर एतराज है तो दूसरे बिल हैं वे ले लिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष—विरोधी पक्ष की ओर से जो आपत्ति उठायी गयी है वह उचित है। सचमुच एक असाधारण परिस्थिति सामने है। माननीय अध्यक्ष के कार्यालय में भी सरकार की ओर से यह नहीं बताया जा सका कि आर्डर आफ बिजिनेस क्या होगा। हमारे कार्यालय में भी ३० जनवरी को डेढ़ बजे नोटिस आया कि यह कार्यक्रम लिया जाने वाला है। आज सुबह के पहले हम माननीय सदस्यों को यह सूचना नहीं दे सके कि किस आर्डर से बिजिनेस होगा। यह बात सही है कि यह बिल पहले से सदन के सामने था, लेकिन २६ दिसम्बर का कार्यक्रम देखने से मालूम होता है कि दूसरा विधेयक इससे पहले था और यह विधेयक दूसरे नम्बर पर था। ऐसी अवस्था में सरकार का कर्तव्य था कि वह पहले लिये जाने वाले विधेयक

की सूचना देती। सभी विरोधी पक्ष के लोग इस पर एतराज करते हैं। भविष्य के लिये मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सचमुच सरकार सदन का समुचित आदर करे और कार्यक्रम किस प्रकार से होगा, यह समय से बता दिया करे। चूंकि विरोधी दल वालों को आपत्ति है, मैं इस विधेयक पर कार्यवाही करने की इजाजत नहीं दूंगा। इस समय मैं असेम्बली ऐडर्जन करता हूं। हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३ फरवरी, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर)

सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में १९५६-५७ में ऊंचे किये गये गांवों के नाम

१—गुलौर
२—लारो
३—बलिया कल्यानपुर
४—तेंदवा
५—परसोतिमपुर
६—मरौली
७—जमुआहरी राम
८—वरमां
९—उलमानपुर
१०—रशीदाबाद
११—सानेरूपुर
१२—आदर्श ग्राम
१३—हरनई
१४—पयागपुर
१५—सिकरोरा
१६—जामिन सिकरोरा
१७—चकमौना
१८—फैजुलाई जैरुलहा
१९—पन्सवादा
२०—तिरीपरारपुर खालसा
२१—आठा नगर
२२—नौवरार हरखपुर
२३—गुन्हा
२४—गुठहां
२५—बीबीपुर
२६—छोरा कटघरा
२७—इन्द्रा जाठ
२८—नोरेबरार दिवारा जदीद किला २
२९—अराजी अमानी
३०—छेरा जीवधारी
३१—जजमन जोथ
३२—काजी अमनि अहमद जोथ
३३—खोकहारपुर शेखनादिर जोथ
३४—अराजी निवास सिंग
३५—दिवारा जदीद
३६—इबराहीमपुर
३७—बदिया चाक
३८—किशनपुर
३९—करीमगंज
४०—मोहम्मदपुर
४१—खिर्री जोथ
४२—खोखरपुर गोविन्द लाल
४३—अराजी पर गास
४४—खलागा
४५—गंगापुर
४६—गुलाब रसूल
४७—वरदीहा
४८—रसूलपुर वार्डया
४९—गनीचक
५०—दीवारा गरचि दूबे
५१—सिसवा
५२—गुलारैया
५३—करखइया किता १
५४— ,, २
५५— ,, ३
५६—मुखलिश पट्टी
५७—अराजी अनगरा मगरिब
५८—मानिकपुर
५९—जमवारी
६०—मसूरियापुर
६१—दीवारा राम सरन दूबे
६२—दीवारा महोला
६३—अजगरा
६४—डाम महोला
६५—शबादीया
६६—बदौरा खास
६७—बहादौरा ककरन्ध
६८—बरामदपुर
६९—तिरीपरारपुर थामा
७०—शंकरपुर
७१—महोहारी दीवारा जदीद
७२—नीवरार दीवारा जदीद किता १
७३—कोराही
७४—बसन्तपुर
७५—शिवपुर
७६—मथाईयागढ़
७७—मौरीहावा
७८—तिवारीपुर
७९—पुरैनिया
८०—दिवारा अचल सिंह

८१—रघुनाथ तिवारी
८२—रुदलपुर
८३—अवाहन पट्टी
८४—दिवारा इसमाइलपुर
८५—अराजी अजरदा मसरकी
८६—रोशनगंज
८७—उरदीहा
८८—सोनवारा
८९—बौफा
९०—बुरहन पट्टी
९१—सुरौली
९२—माला पोलवा
९३—अजगरा मगरबी
९४—दीवारा राजा खास
९५—अराजी दीवारा साबितपुर
९६—बुरहन पट्टी
९७—दीवारा जय गोपाल नायक
९८—दीवारा करतरम
९९—हाजीपुर
१००—चाकी हाजीपुर
१०१—मर्थापा
१०२—पिपरहेवा

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर)

२३ गांवों की सूची जो कि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में ऊंचे किये जायंगे

१—पाली किरावली
२—कराही
३—नगला कराही
४—सोहापुर
५—नगला बाले
६—नगला सराही
७—नगला मान सिंह
८—नगला लोधा
९—नगला बंजारा
१०—नगला देवीका
११—बसारी काजी
१२—मई बुजुरग
१३—मई बुजुरग का नगला
१४—नगला बंजारा
१५—नगला जरुआ
१६—सुमेरा
१७—मुहम्मदपुर
१८—सुपेरा
१९—पुंची
२०—नगला थिरावली
२१—नगला जग्गो
२२—नगला चामर
२३—नगला देव

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्रम सं०	वर्ष	जिले का नाम	उद्योगपतियों के नाम व सं०	नये प्रकार के उद्योग के नाम	वितरण किये गये ऋण की रकम (रु० में)	अभियुक्तियाँ
१	२	३	४	५	६	७
१	१९५१–५२	अलीगढ़	गिफ्ट्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड	कैमरा मैनुफैक्चरिंग	रु० ५,०००	ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत
२	,,	वाराणसी	श्री सुखबीर सिंह	लेस मैनुफैक्चरिंग ..	२,०००	,,
३	,,	लखनऊ	श्री सर्वानन श्रीवास्तव	मैनुफैक्चरिंग आफ बायलाजिकल माडेल चार्ट्स ऐन्ड स्केचेज	१,०००	,,
४	१९५२–५३	कानपुर	श्री शिवबालक राम शुक्ल	कृषि संबंधी औजार बनाने के लिये	५,०००	,,
५	,,	कानपुर	श्री ओम प्रकाश	,, ,,	४,०००	,,
६	,,	कानपुर	श्री राज बहादुर श्रीवास्तव	,, ,,	५,०००	,,
७	,,	लखनऊ	श्री ए० के० विश्वालर	मैनुफैक्चरिंग आफ रेडियो सेट्स ऐन्ड माइक्रोफोन्स	२,०००	,,
८	,,	लखनऊ	श्री जगदीश नारायन सिंह	मैनुफैक्चरिंग आफ साइंटिफिक अपरेट्स	५,०००	,,
९	१९५३–५४	इलाहाबाद	श्री चंद्रकरन खन्ना	मैनुफैक्चरिंग आफ रेडियो एरियल ऐंड इलेक्ट्रिकल वायर	२,०००	,,
१०	,,	बाराबंकी	श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव	इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री ..	२,०००	,,
११	१९५४–५५	आगरा	श्री महिमा बिहारी लाल	मैनुफैक्चरिंग बायोलाजिकल चार्ट्स माडेल स्लाइड्स	२,०००	,,

क्रम सं०	वर्ष	जिले का नाम	उद्योगपतियों के नाम व सं०	नये प्रकार के उद्योग के नाम	वितरण किये गये ऋण की रकम (रु० में)	अभियुक्तियां
१	२	३	४	५	६	७
१२	१९५४–५५	आगरा	श्री शांति स्वरूप अग्रवाल	मैनुफैक्चरिंग आफ माइक्रोफोंस ट्रांसफार्मर्स ..	३,०००	ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत
१३	"	अल्मोड़ा	श्री रमेश चन्द्र जोशी	मैनुफैक्चरिंग आफ फिल्म आम काटेज इंडस्ट्री ..	३,०००	
१४	"	लखनऊ	श्री ब्रजेन्द्रनाथ श्रीवास्तव	इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिये ..	२,०००	"
१५	"	"	श्री शशि भूषन ..	कृषि संबंधी औजार बनाने के लिये ..	३,०००	"
१६	"	मेरठ	मेसर्स बागपत इस्टेट ऐग्रीकल्चरल इंडस्ट्री	" "	५,०००	"
१७	१९५५–५६	बलिया	श्री विश्वेश्वर नाथ प्रसाद	रेडियो इंजीनियरिंग ..	२,०००	"
						"
						"
१८	"	नैनीताल	श्री तुलाराम अग्रवाल	कृषि संबंधी औजार बनाने के लिये ..	५,०००	"
१९	"	सहारनपुर	श्री एस० दिलीप सिंह	आटोमोबाइल व पुर्जे बनाने के लिये ..	१०,०००	"
२०	"	कानपुर	मेसर्स लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स	टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स मैनुफैक्चरिंग के लिये	५०,००,०००	बड़े उद्योग (हैवी इंडस्ट्रीज) के अन्तर्गत

२१	१९५५-५६	..	कानपुर	..	मेसर्स जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बाम्बे।	रेयन फिलामेन्ट यार्न फैक्टरी कानपुर के स्थापित करने के लिये ..	९०,००,००० बड़े उद्योग (हैवी इंडस्ट्रीज) के अन्तर्गत।
२२	,,	..	लखनऊ	..	मेसर्स मास प्रोडक्ट्स(इंडिया) लिमिटेड	लैण्टर्न इंडस्ट्री के लिये ..	१,०५,००० ,,
२३	,,	..	वाराणसी	..	मेसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी, कलकत्ता	सोडा ऐश कम अमोनियम क्लोराइड इंडस्ट्री का वाराणसी में कारखाना खोलने के लिये ..	१,४५,००,००० ,,
२४	१९५६-५७	..	कानपुर	..	श्रीराधा चरन निगम	टेक्सटाइल मशीनरी व पुर्जे बनाने के लिये	५,००० ऋण तथा अनुदान के अन्तर्गत।
२५	,,	..	इलाहाबाद	..	श्री मुहम्मद हनीफ	कृषि संबंधी औजारों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिये	३,००० ,,
२६	,,	..	अलीगढ़	..	श्री रामचन्द्र सहाय	कृषि संबंधी औजार बनाने का कारखाना	१०,००० ,,
२७	,,	..	आगरा	..	श्री जंगबहादुर झा	लिक्विड गोल्ड इन्डस्ट्री ..	१०,००० ,,
२८	,,	..	कानपुर	..	श्री एल० एस० विनोद	एलक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट इंडस्ट्री ..	१०,००० ,,
२९	,,	..	कानपुर	..	सोलोटेप वर्क्स	सियालोटेप ..	३०,००० लिबलाइज्ड लोन स्कीम के अन्तर्गत।
३०	,,	..	कानपुर	..	मेसर्स के० एफ० पी० भार्गव	टेक्सटाइल आक्जीलियरीज मैनुफैक्चरिंग के लिये ..	२५,००० ,,
३१	,,	..	नैनीताल	..	मेसर्स विश्त इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन	कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी स्थापित करने के लिये	२०,००,००० बड़े उद्योग (हैवी इंडस्ट्रीज) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४६२ पर)

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

यूनाइटेड प्राविंसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में कुछ संशोधन करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि कुछ प्रयोजनों के लिये यूनाइटेड प्राविंसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ को संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नौवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३ का संशोधन।

२—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में—

(१) खंड (५-ए) के उपखंड (i), में शब्द "or rules" तथा "made thereunder" के बीच में शब्द "or order" बढ़ा दिये जायं ;

(२) खंड (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(10) 'Rural area' means the area of a district excluding every municipality and every notified area as defined in the U. P. Municipalities Act, 1916, every Town Area as defined in the U. P. Town Areas Act, 1914 and every Cantonment as defined in the Cantonments Act, 1924."

(३) खंड (१२) में शब्द "any rule" तथा "lawfully made" के बीच में शब्द "or order" बढ़ा दिये जायं ; तथा

(४) अन्त में निम्नलिखित नयें खंड (१३) से (१८) के रूप में बढ़ा दिये जायं :—

(13) "Assembly Rolls" means the electoral rolls prepared for the Assembly Constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1950 ;

(14) "Constituency" means a Constituency provided by Delimitation Order under section 5 ;

(15) "Election" in Chapter II means an election to fill a seat on a board ;

(16) "Elector" in relation to a constituency means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that constituency;

(17) "Order" means an order made under the Act and published in the official *Gazette* or in the manner prescribed, and

(18) "Scheduled Castes" means the castes specified as Scheduled Castes in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, with reference to Uttar Pradesh.

३---मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (२) तथा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ४ का संशोधन।

"(2) The board shall consist of—

(*a*) a President,

(*b*) such number of elected members, not less than 30 nor more than 80 as the State Government may by notification in the official *Gazette* fix.

४---मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराओं ४-ए तथा ४-बी के रूप में बढ़ा दिया जाय:---

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ में नयी धाराओं ४-ए तथा ४-बी का बढ़ाया जाना।

"4-A (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each board.

Reservation of seats for Scheduled Castes.

(2) The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the rural area of the district board bears to the total population of such area as determined at the last census held under the Indian Census Act, 1950."

"4-B. (1) Except as provided in section 169 the term of every board shall be four years :

"Term of Board.

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any of the boards.

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 46 that the board has been constituted".

५---मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ५ का प्रतिस्थापन (substitution)।

"5 (1) For purposes of election to a board there shall be constituencies provided by Order under this section.

Delimitation of constituencies.

(2) The Director of Elections (Local Bodies) shall, by Order determine—

(*a*) the constituencies in which the rural area of each district shall be divided for purposes of election of members to the board ;

(*b*) the extent of each constituency ;

(*c*) the number of seat or seats allotted to each constituency ;

(*d*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes and the constituencies in which they shall be reserved.

(3) In allotting seats to constituencies regard will be had to the population of the areas of the constituency.

(4) The Director of Elections (Local Bodies) shall publish for objections and suggestions the draft of the Order proposed to be made under sub-section (2) for a period of not less than seven days by causing to be affixed a copy of the same at the notice board of the office of the District Magistrate and of the Tahsildar of each Tahsil and of the Board.

(5) The Director of Elections (Local Bodies) shall consider any objections filed under sub-section (4) and after making such amendments, alterations or modifications as he may find necessary, publish the Order in the official *Gazette* and thereupon the Order as so published shall become final.

(6) The Director of Elections (Local Bodies) may at any time in the same manner amend the Delimitation Order or make a new Delimitation Order."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ६ का निकाला जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा ६ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ८ से ११ का प्रतिस्थापन।

७—मूल अधिनियम की धारा ८ से ११ तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Director of Elections (Local Bodies) to Supervise conduct of elections.

"8. (1) The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise and direct the conduct of all elections to a board under this Act including the election of President :

Provided that the Director of Elections (Local Bodies) may delegate all or any of his functions under this Act or rules or orders made thereunder to any other officer or officers, and such officer or each of such officers may subject to the control of the Director of Elections (Local Bodies) perform the function or functions so delegated as if he were the Director of Elections (Local Bodies).

Election on the basis of adult sufferage.

9. The election of members of every board shall be on the basis of adult sufferage.

Electoral roll for every constituency.

10. There shall be an electoral roll for every constituency which shall be prepared by the Electoral Registration Officer in accordance with the provisions of this Act under the superintendence, direction and control of the Director of Elections (Local Bodies).

Form and language of the rolls.

11. The electoral roll of a constituency shall be prepared in Hindi in the form adopted from time to time for the preparation of the Assembly Rolls.

11-A. (1) There shall be an Electoral Registration Officer for each constituency who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the District Magistrate may designate or nominate in this behalf.

Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers.

(2) The District Magistrate may appoint one or more persons as Assistant Electoral Registration Officers to assist any Electoral Registration Officer in the performance of his functions.

(3) Every Assistant Electoral Registration Officer shall, subject to the control of the Electoral Registration Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Electoral Registration Officer.

11-B. (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he is disqualified for registration in the Assembly Rolls.

Disqualifications for registration in an Electoral Roll.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the constituency in which it is included:

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a constituency by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorizing such removal.

11-C. (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency of the same board.

Registration to be in one constituency and in one place.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once.

11-D. Subject to the provisions of sections 11-B and 11-C, every person who is qualified to be registered in the Assembly Electoral Roll relatable to the area comprised in the constituency or whose name is entered therein shall be entitled in the manner provided by or under this Act to be registered in the electoral roll of the constituency.

Conditions for registration in an Electoral Roll.

11-E. (1) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of electoral roll for the constituency, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said constituency and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made, under or in accordance with this Act, be the electoral roll for the constituency prepared in accordance with the provisions of this Act.

Preparation and Revision of Electoral Rolls.

(2) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the rules framed thereunder, in the Assembly rolls relatable to the area of the constituency, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the constituency.

(3) The electoral roll prepared as aforesaid or under section 11-J, shall thereafter be revised in every subsequent year in the prescribed manner :

Provided that if for any reason the electoral roll has not been revised in any year, the validity or continued operation of the roll shall not thereby be affected.

Special revision of Electoral Rolls.

11-F. Notwithstanding anything contained in section 11-E, the Director of Elections (Local Bodies) may at any time for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a consitutency in such manner as he may think fit :

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the constituency as in force at the time of the issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.

Correction of entries in Electoral Rolls.

11-G. (1) The Electoral Registration Officer, for a constituency, on application made to him for the correction of an existing entry in the electoral roll of the constituency, shall, if he is satisfied after such enquiry as he thinks fit, that the entry relates to the applicant and is erroneous or defective in any particular, amend the entry accordingly.

(2) Any person whose name is entered in the electoral roll of a constituency may apply to the Electoral Registration Officer for transposing the entry to another, place in the same electoral roll and if the Electoral Registration Officer, after making such enquiry as he thinks fit, is satisfied that the applicant is entitled to have his name shown in that other place, he shall amend the electoral roll accordingly.

(3) The Electoral Registration Officer, may at any time order the correction of any clerical or printing error and removal of duplicate entries in the electoral roll and such correction or removal shall be made accordingly.

Inclusion of names in the electoral rolls.

11-H. (1) Any person whose name is not included in the electoral roll of a constituency may apply in the manner prescribed to the Electoral Registration Officer of that constituency for the inclusion of his name in that roll.

(2) The Electoral Registration Officer, shall, if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the electoral roll, direct his name to be included therein :

Provided that if the applicant is registered in the electoral roll of another constituency in that district, the Electoral Registration Officer, shall inform the Electoral Registration Officer, of that constituency and that officer shall on receipt of the information strike off the applicant's name from that electoral roll.

(3) Where an application made under this section is rejected an appeal shall lie within such time and in such manner as may be prescribed to the District Magistrate whose decision shall be final.

(4) Every application and appeal under this section shall be accompanied by the prescribed fee which shall in no case be refunded.

Order regarding electoral rolls.

11-I. The State Government may, by Order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely—

(*a*) the manner in which the Assembly rolls shall be adopted for the preparation of electoral rolls under this Act ;

(*b*) the publication of electoral rolls ;

(*c*) the date on which the electoral rolls prepared under this Act shall come into force and their period of operation ;

(*d*) the correction of entries in the electoral rolls ;

(*e*) the inclusion of names in the electoral rolls ;

(*f*) annual and special revision of the electoral rolls ;

(*g*) custody and preservation of the electoral rolls; and

(*h*) deletion or reinstatement of names under sub-section (2) of section 11-B and amendments under sub-section (2) of section 11-E.

(*i*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

Special provisions with regard to Electoral Rolls first prepared under the Act.

11-J. (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 11-E but subject to the other foregoing provisions of this Act the first electoral rolls under this Act as amended by the U. P. District Boards (Amendment) Act, 1958, shall be prepared as provided in this section.

(2) For the purpose of preparation of electoral rolls under sub-section (1) the District Magistrate shall appoint Electoral Registration Officers and Assistant

Electoral Registration Officers for such areas (referred to hereinafter as electoral units) as he may think fit.

(3) The Electoral Registration Officer shall first take the portion of the Assembly rolls, including the portions of lists of additions and deletions, relatable to the area comprised in the electoral unit and add in such portion of the list of additions the names of such persons as appear to him to have been eligible for registration in such Assembly rolls but whose names were left out from being registered and in the portion of the list of deletions the names of such electors as are dead. He shall then publish the portion of the rolls including the portions of lists of additions and deletions as so amended as the draft electoral roll for the unit on such date, in such manner and for such period as may be specified by the Director of Elections (Local Bodies) for the purpose of inviting claims for inclusion of names and objections to the inclusion of names added by the Electoral Registration Officer as aforesaid in the roll of such electoral unit.

(4) Every claim or objection referred to in sub-section (3) shall be preferred within a period of seven days from the date of publication of the roll under sub-section (2) and shall be presented in such form and manner as may be specified by the Director of Elections (Local Bodies).

(5) Any claim or objection which is not lodged within the period or in the manner specified by the Director of Elections (Local Bodies) shall be rejected forthwith by the Electoral Registration Officer.

(6) Where a claim or objection is not rejected under sub-section (5) the Electoral Registration Officer shall fix a date for hearing of the claim or objection and inform the claimant or objector, as the case may be, or his agent, at the time the claim or objection is presented, of the date so fixed and also affix on his notice board a notice of the claim or objection and the date fixed for its hearing in such form as the Director of Elections (Local Bodies) may specify :

Provided that it shall not be necessary to afix any such notice in respect of a claim where the Electoral Registration Officer on being satisfied as to the validity to the claim, decides to allow it without further enquiry.

(7) In the case of an objection the Electoral Registration Officer shall further give notice of the objcetion and of the date fixed for its hearing to the person affected thereby by causing to be served on him personally or by affixation at his residence according to the address as recorded in the entry relating

to him a notice in such form as the Director may specify along with a copy of the objection.

(8) The Electoral Registration Officer shall on the date fixed for hearing hold a summary enquiry in respect of every claim or objection aforesaid and any objection which may be pressed before him against the cla m or objection and shall record his decision thereon. The decison of the Electoral Registration Officer shall be final.

(9) After all the claims and objections have been disposed of the Electoral Registration Officer shall amend the list of additions and deletions accordingly to carry out the decisions under sub-sections (6) and (7) and the electoral roll as published under sub-sections (3) with the list of additions and deletions as so amended shall be the electoral roll for the electoral unit.

(10) After the constituencies for the board have been determined under this Act and after the electoral rolls for all the electoral units and parts of electoral units comprised in a constituency so determined have been prepared under the foregoing sub-sections, the eletoral rolls for all such electoral units and parts of electoral units shall be grouped together and published in the manner specified by the Director of Elections (Local Bodies) as the electoral roll for such constituency and shall on such publication, be deemed for all purposes to be the electoral roll for that constituency within the meaning of sub-section (7) of section 11-E.

Expenditure to be borned by the board.

11-K All expenditure incurred in connection with the preparation and revision of electoral rolls including the first electoral rolls and all expenditure incurred in connection with the conduct of elections to the board shall, except as otherwise directed by the State Government, be charged to and be realizable from the board to the extent and in the manner laid down by the State Government.

८—मूल अधिनियम की धारा १२ तथा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १२ तथा १३ का प्रतिस्थापन ।

Qualifications for mem ership in the board.

"12. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any constituency in the district;

(*b*) in the case of any other seat, he is an elector for any constituency in the district.

Disqualifications for membership.

13. A person notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as and for being, a member of a board if he—

(*a*) is a dismissed servant of a local anthority, the State or Central Government and is debarred from re-employment therein ; or

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority ; or

(*c*) holds any place of profit in the gift or disposal of the board ; or

(*d*) is disqualified under section 23 section 25 or section 32 ; or

(*e*) is in the service of the State or the Central Government or any local authority, or is a District Government counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magis rate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector ; or

(*f*) is in arrears in the payment of any sum in excess of one year's demand to which section 133 applies ; cr

(*g*) is suffering from leprosy ; or

(*h*) is an undischarged insolvent ; or

(*i*) holds directly or indirectly, or by a partner, any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the board ; or

(*f*) has been convicted by a court in India of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years unless a period of five years or such less period as the State Government may allow in any particular case has elapsed since his release;

Provided that in case (*a*) and (*b*) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf:

Provided further that in case (*f*) the disqualification shall cease as soon as the arrears are paid.

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १४ का प्रतिस्थापन ।

९—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Right to vote.

"14. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in that constituency.

(2) No person shall vote at an election in any constituency if he is subject to any of the disqualification referred to in section 11-B.

(3) No person shall vote at a general election in more than one constituency and if a person votes in more than one such constituency, his votes in all such constituencies shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same constituency more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.

Method of voting.

14-A. (1) In plural member constituencies every elector shall have as many votes as there are members to be elected, but no elector shall give more than one vote to any one candidate.

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1) then at the time of counting of votes not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

Order regarding conduct of elections.

14-B. The State Government may, by order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say—

(*a*) issue of notifications for elections;

(*b*) the appointment, powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers and Polling Officers and clerks ;

(*c*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling ;

(*d*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature ;

(*e*) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents ;

(*f*) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, special procedure at elections in constituencies where seats are reserved for Scheduled Castes ;

(*g*) identification of voters;

(*h*) hours of polling ;

(*i*) adjournment of poll and fresh poll ;

(*j*) manner of voting at elections;

(*k*) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results ;

(*l*) the notification of the names of the members elected for the various constituencies of a District and the due constitution of the board ;

(*m*) return or forfeiture of deposits ;

(*n*) manner in which votes are to be given by the Presiding Officers, polling agents or any other person who being an elector for a constituency is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(*o*) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector ;

(*p*) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers; and

(*q*) generally on all matters relating to conduct of elections.

Bye elctions.

14-C. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 7 when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official *Gazette* call upon the constituency concern to elect a person for the purposes or filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made thereunder, shall apply as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in seat reserved in such constituency for the Scheduled Castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes.

14-D. (1) The provisions of sections 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951, shall have effect as if—

Electoral offences.

(*a*) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act ;

(*b*) in section 130 *for* the words "100 yards" the words "25 yards" had been substituted ; and

(*c*) in section 133 *for* "clause (5) of section 123" "clause (1) of section 24 of the U. P. District Boards Act, 1922" had been substituted ;

(*d*) in sections 134 and 136 *for* the words "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)", the words "by or under the U. P. District Boards Act, 1922" had been substituted.

(2) If the Director of Elections (Local Bodies) has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, he may cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence, punishable under section 129 or under section 134 or under clause (*a*) sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the Director of Elections (Local Bodies).

14—E. (1) No Civil Court shall have Jurisdiction—

Jurisdiction of Civil Courts.

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll of a constituency; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer or of any decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll ; or

(*c*) to question the legality of any action taken or any decision given by the Returning Officer or by any other officer appointed under this Act in connexion with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provision of this Act."

Draft

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १५ का संशोधन ।

१०—मूल अधिनियम की धारा १५ में—

(१) उपधारा (१) के खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*c*) that such person was disqualified for election under the provisions of section 13 ; or"

(२) उपधारा (२) के खंड (बी) में शब्द "any rule" के स्थान पर "any rule or order" रख दिये जायं, तथा शब्द "any rule" के स्थान पर "any rules or orders" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १६ का संशोधन ।

११—मूल अधिनियम की धारा १६ में शब्द "fifteen" के स्थान पर "thirty" रख दिया जाय, तथा शब्द "announced" के स्थान पर "declared under the Act" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १८ का प्रतिस्थापन ।

१२—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"18. (1) An election petition shall be presented to the District Judge within whose jurisdiction the constituency concerned is situated and may with the permission of the District Judge, be withdrawn by the petitioner before it has been referred for decision to a Tribunal under sub-section (2).

(2) An election petition shall be heard by a Tribunal consisting of one or more civil judicial officers appointed by the State Government in this behalf and at a place in the district within which the constituency is situated."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १९ का संशोधन ।

१३—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) में शब्द "rule" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द "rule or order" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २३ का संशोधन ।

१४—मूल अधिनियम की धारा २३ में प्रतिबंधात्मक खंड के अंत में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय तथा निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबंधात्माक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"Provided further that no such declaration shall be made about any candidate who was not a party to the election petition."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २५ का संशोधन ।

१५—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "From voting at any board election and" निकाल दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १० १९२२ की धारा २६ का निकाला जाना ।

१६—मूल अधिनियम की धारा २६ निकाल दी जाय ।

१७—मूल अधिनियम की धारा २६–ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २६–ए का प्रतिस्थापन ।

"26-A. (1) Except as provided in section 170 or 171 there shall be a general election to the board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 4-B on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf.

General elections.

(2) When a new board is created under section 4, the first board thereof shall, as far as may be, constituted in accordance with the provisions of this Act relating to general election to a board."

१८—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : —

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा २९ का प्रतिस्थापन ।

"29. (1) The term of office of a member of a board elected at a general election shall begin from the date of constitution of the board and unless otherwise terminated under the provisions of this Act, shall be the same as the term of the board.

(2) The term of office of a member elected to fill a casual vacancy or a vacancy remaining unfilled at the general election shall begin upon the declaration of his election under the Act and, unless otherwise terminated earlier under the provisions of this Act, shall be the remainder of the term of the board."

१९—मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (१) के खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३१ का संशोधन ।

"(*b*) after his nomination as a candidate at the election at which he was elected incurs a disqualification under section 11-B or section 13, or"

२०—मूल अधिनियम की धारा ३२ में :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३२ का संशोधन ।

(१) उपधारा (१) में शब्द "or co-option" निकाल दिये जायं, और

(२) उपधारा (२) में शब्द "he is again enrolled as an elector" के स्थान पर शब्द "the disqualification ceases." रख दिये जायं ।

२१—मूल अधिनियम की धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३५ का प्रतिस्थापन ।

"35. (1) As soon as may be after the election of members at a general election to a board is completed, the members declared elected shall elect a President for the board in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(2) For the purposes of election of President the election of members of the board shall, notwithstanding any seat remaining unfilled, be deemed to be completed if at least four-fifths of the total number of members fixed under section 4 have been declared elected.

(3) A person shall not be qualified to be chosen as President of a board unless he—

(*a*) is an elector for any constituency of the board concerned, and

(*b*) is not less than thirty years of age on the date of presenting his nomination paper as a candidate for election to the office of President under section 35-D.

(4) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a President of a board if he—

(*a*) is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in section 13 and the disqualification has not ceased or been removed under the said section, or

(*b*) is otherwise disqualified for election as President under the provisions of this Act."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३५–बी तथा ३५–सी का प्रतिस्थापन ।

२२—मूल अधिनियम की धारा ३५–बी तथा ३५–सी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"35-B. If a casual vacancy occurs in the office of President owing to death, resignation or removal, or due to the avoidance of his election, the members of the board shall elect a President in the manner, as far as may be, provided in section 35 and under section 35-D for the election of President at a general election.

35-C. (1) No election of the President shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

(2) An election petition may be presented by any member entitled to vote at the election or by a candidate who has been defeated at the election on one or more of the following grounds, that is to say—

(*a*) that the returned candidate has committed any corrupt practice within the meaning of section 24;

(*b*) that the nomination of any candidate has been wrongly rejected, or the nomination of the successful candidate or any other candidate who has not withdrawn his candidature has been wrongly included ;

(*c*) that the result of the election has been materially effected by—

(i) the improper rejection or refusal of a vote, or

(ii) any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made under this Act.

(3) An election petition shall be presented to such officer as the State Government may by notification in the official *Gazette* appoint in this behalf and different officers may be appointed in respect of petitions relating to different district boards.

(4) If an election petition has not been presented within the time allowed therefor under section 35-D or is not accompanied with the requisite court-fee or security the officer appointed under sub-section (3) shall reject the petition.

(5) An election petition not rejected under sub-section (4) shall be heard by a Tribunal consisting of one or more civil judicial officer or officers not below the rank of a District Judge to be appointed by the State Government in this behalf."

२३—मूल अधिनियम की धारा ३५—सी के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा ३५—डी के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ में एक नयी धारा ३५—डी का बढ़ाया जाना ।

"35-D. The State Government may, by order make provision with respect to the following matters concerning the conduct of and settlement of dispute regarding election of Presidents, that is to say—

Order regarding conduct of elections.

(*a*) the appointment, powers and duties of Returning Officers ;

(*b*) appointment of date for nominations, secrutiny, withdrawal and polling ;

(*c*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature;

(*d*) procedure at elections including death of candidate before poll and procedure of contested and uncontested elections ;

(*e*) hours of polling and adjournment of poll ;

(*f*) manner of voting at elections ;

(*g*) scrutiny and counting of votes including recounting of votes and procedure to be followed in case of equality of votes ;

(*h*) declaration of results and notification of the names of persons elected as Presidents ;

(*i*) return and forfeiture of security deposits ;

(*j*) form of the election petition and the court-fee payable thereon and parties thereto ;

(*k*) manner of presentation of the election petition and the time within which the petition shall be presented ;

(*l*) deposit of security with the election petition and return and forfeiture thereof ;

(*m*) relief that may be claimed by the petitioner ;

(*n*) procedure to be followed in the hearing of election petition and the place of hearing ;

(*o*) powers of the election tribunal ;

(*p*) order of the tribunal including declaration of a candidate other than the returned candidate to have been elected and grounds therefor;

(*q*) disqualification of candidates on the ground of committing corrupt practices, and

(*r*) generally on all matters relating to conduct of and disputes regarding election of Presidents."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ३७ से ३९ तथा ३९–ए. का प्रतिस्थापन ।

२४—मूल अधिनियम की धारा ३७ से ३९ तक के तथा ३९–ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"37. (1) The term of office of President elected at a general election shall begin from the date of constitution of the board and unless otherwise terminated under the provisions of this Act, shall be the same as the term of the board.

(2) The term of office of a President elected to fill a casual vacancy shall begin upon the declaration of his election under the Act, and, unless otherwise terminated under the provisions of this Act, shall be the remainder of the term of the Board.

38. (1) If a motion of non-confidence in the President has been passed by the board and communicated to the President in accordance with the provisions of section 48-A, the President shall—

(*a*) within three days of the receipt of such communication, either resign or represent to the State Government to dissolve the board, stating his reasons therefor, and

(*b*) on the expiry of three days after the date of sending of such communication, stop acting as President and shall be deemed to be incapacitated from acting as President within the meaning of section 45.

(2) In the event of failure of the President to act in accordance with clause (*a*) of sub-section (1) within the time allowed under that sub-section, the State Government shall remove him with effect from a date to be specified in the order and any person so removed shall notwithstanding anything elsewhere in this Act be not eligible for re-election to fill any casual vacancy occurring before the general election next following.

(3) If a representation has been made in accordance with sub-section (1), the State Government may after considering the same either ask the President to resign or dissolve the board including the President.

(4) If the State Government asks the President to resign under sub-section (3) he shall within three days of the receipt of the order resign the office of President.

(5) In the event of failure to resign within the time allowed in sub-section (4) the President shall be removed by the State Government and shall not be eligible for re-election at the next election of the President or to fill up any casual vacancy occurring before the next general election of the board.

(6) If the State Government dissolves the board under sub-section (3) the consequences mentioned in section 170 shall follow as if there has been a dissolution under section 169.

Removal of Prseident

39. (1) The State Government may, when there has been a habitual failure on the part of a President to perform his duty, remove him from his office :

Provided that when the State Government proposes to remove a President for habitual failure to perform his duty, it shall give him an opportunity of explaining the conduct on account of which it is proposed to remove him, and shall, in the event of taking such action, place on record the reasons therefor, and the decision of the State Government thereon shall not be questioned in any court.

(2) The State Government may also on being satisfied that a President has incurred any of the disqualifications under this Act for being chosen as or for being a President of a board, remove him from the office of President.

39-A. The President of a board, if he is not already a member, shall be *ex officio* member thereof."

२५—मूल अधिनियम की धारा ४६ में शब्द "co-option or nomination, as the case may be." तथा इन शब्दों के पूर्व तथा पश्चात् आने वाले कामा निकाल दिये जायं तथा शब्द "and" और "every" के बीच में शब्द "the constitution of the board and" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ४६ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ११४ के स्पष्टीकरण (Explanation). में :— यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा ११४ का संशोधन।

(१) खंड (ii) के अन्त में शब्द "by any municipal board or any notified area committee." बढ़ा दिये जायं।

(२) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (iv) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(iv) Income on which any tax has previously been imposed under section 14 of the United Provinces Town Areas Act, 1914", और

(३) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १७० का प्रतिस्थापन ।

२७—मूल अधिनियम की धारा १७० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"170. Where a board is dissolved under section 169 the following consequences shall follow :

(*a*) All members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such, but without prejudice to their eligibility for re-election.

(*b*) As soon as may be thereafter the election of the members, and of the President, shall be held or made, as the case may be, as though a general election were due under section 26-A.

(*c*) Such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall so long as the board is not reconstituted exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की धारा १७१ का संशोधन ।

२८—मूल अधिनियम की धारा १७१ के खंड (ए) में शब्द "or co-option" तथा खंड (डी) में शब्द "or co-option made or both, as the case may be." निकाल दिया जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ की प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

२९—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची (schedule) प्रथम प्रविष्टि को निकाल दिया जाय ।

अपवाद

३०—इस अधिनियम में कोई भी बात डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की, जैसे कि वे इस समय संगठित हैं और जब तक कि वे इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचनों द्वारा संघटित बोर्ड से अनुस्थापित न हो जायं, अविरत वैधता पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा वे सब प्रकार वैसे ही कार्य करते रहेंगे मानों यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।

उद्देश्य तथा कारण

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का अन्तिम सामान्य निर्वाचन १९४८ में हुआ था। फिर इन बोर्डों के सामान्य निर्वाचन १९५२ में होने थे लेकिन वे मुख्यतः इस कारण से नहीं हो सके, क्योंकि तब से इन स्थानिक निकायों के स्वरूप को बदलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। तथापि, क्योंकि प्रस्तावित संशोधित स्वरूप में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन अन्तर्भूत हैं तथा संशोधित योजना को कार्य रूप में लाने में कुछ समय लगेगा, इसलिये यह प्रस्ताव है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का सामान्य निर्वाचन आगामी मई में करा दिया जाय। इस उद्देश्य से यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में कुछ आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। ये संशोधन संविधान द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन-पद्धति के उन्मूलन तथा स्थानिक निकायों के निमित्त वयस्क मताधिकार के अंगीकरण के परिणाम-स्वरूप आवश्यक हो गये हैं। अतएव प्रस्ताव है कि ऐक्ट के संबद्ध उपबंध यथासंभव राज्य विधान मंडल के निर्वाचनों को नियमित करने वाली विधियों तथा नियमों के समान बनाये जायं। तदनुसार यह विधेयक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के निर्वाचनों के लिये राज्य विधान सभा की निर्वाचन नामावलियों के अंगीकरण की व्यवस्था करता है। संविधान के उपबन्धों के अनुकूल अनुसूचित जातियों के निमित्त स्थानों की सुरक्षा की अब भी व्यवस्था है। यह जन-संख्या के आधार पर है।

२—इस अवसर का उपयोग आवश्यक प्रतीत होने वाले कुछ अन्य संशोधन करने के लिये भी किया गया है, उदाहरणार्थ आमेलन (co-option) सम्बन्धी उपबन्धों को निकालना, प्रेसीडेंट के परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था तथा किसी नियत अनर्हता आदि के होने पर प्रेसीडेंट के हटाने की व्यवस्था है।

३—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

संसद सदस्य

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४६२ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८

सरकारी व्यवसाय-संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली बिजली-शक्ति के देयों की शीघ्र वसूली की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि सरकारी व्यवसाय-संस्थाओं द्वारा दी गयी बिजली के देयों की शीघ्र वसूली के लिये व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "उपभोक्ता" का अर्थ है कोई व्यक्ति जो सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था द्वारा दी गयी बिजली-शक्ति का उपभोग करता है ;

(ख) "नियत प्राधिकारी" के अन्तर्गत वह प्रत्येक व्यक्ति आता है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कार्य करने के निमित्त ऐसे क्षेत्र के लिये जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकृत किया हो;

(ग) "सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था" के अन्तर्गत कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन तथा राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा संचालित या नियंत्रित ऐसी अन्य बिजली-व्यवसाय-संस्थाएं आती हैं, जो एतदर्थ विज्ञापित की जायें ।

(घ) "राज्य सरकार" का अर्थ है उत्तर प्रदेश की सरकार ; तथा

(ङ) "बोर्ड" का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ५ के अधीन संघटित "स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड" ।

न दिये गये देयों की मांग का नोटिस ।

३—जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था को कोई धनराशि देय हो तो नियत प्राधिकारी वह धनराशि बकाया होने के दिनांक से ३० दिन के बाद किसी समय देनदार व्यक्ति के नाम मांग का एक नोटिस तामील कर अथवा करा सकता है, जिसमें उस व्यक्ति का नाम, उसके द्वारा

देय धनराशि, तथा वह व्यवसाय-संस्था जिसके संबंध में धनराशि बकाया हो, उल्लिखित होंगे ।

स्पष्टीकरण--(१) नोटिस का रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना सम्बद्ध व्यक्ति पर पर्याप्त तामील माना जायगा ।

स्पष्टीकरण--(२) बिल में देय धनराशि के भुगतान के लिये उल्लिखित दिनांक की समाप्ति पर सरकारी बिजली व्यवसाय-संस्था को देय धनराशि बकाया हुई समझी जायगी ।

देयों के देने के दायित्व संबंधी आपत्ति के वाद ।

४--(१) जब धारा ३ के अधीन किसी उपभोक्ता पर अथवा उसके अधिकृत अभिकर्ता पर कोई मांग का नोटिस तामील हो जाय और यदि वह बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश के दायित्व से इन्कार करता हो तो वह नियत प्राधिकारी के पास लिखित विरोध सहित वह धनराशि जमा करने के पश्चात्, इस प्रकार जमा की हुई बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश की वापसी के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट वाद नियत प्राधिकारी के पास धनराशि जमा कर लेने के दिनांक से छः महीने के भीतर साधिक्षेत्र न्यायालय म प्रस्तुत किया जा सकता है । किन्तु बाद के परिणाम के अधीन रहते हुये, मांग का नोटिस उसमें उल्लिखित देयों के सम्बन्ध में निश्चायक प्रमाण होगा ।

देयों की वसूली, अन्य विधि तथा अनुबंध की प्रवृत्ति।

५--बकाया धनराशियां जिनके निमित्त मांग का नोटिस तामील हो गया हो, यदि तामील के दिनांक के तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर जिसकी नियत प्राधिकारी अनुज्ञा दे न जमा की जाय तो वे वसूली के उस व्यय सहित जो नियत किया जाय मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेंगी, भले ही किसी विधि या करण या अनुबंध में कोई विरोधी बात हो,

नियम बनाने का अधिकार ।

६--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है ।

(२) विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती उपबंधों की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, इन नियमों में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:--

(क) नोटिस का रूप तथा रीति जिससे वह तामील किया जाय,

(ख) मांग के नोटिस के व्यय तथा वसूली के व्यय,

(ग) अन्य कोई विषय जो नियत करना हो अथवा किया जाय ।

उद्देश्य और कारण

सरकारी बिजली व्यवसाय-संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई बिजली शक्ति के मूल्य के संबंध में बाकी धनराशियां इकट्ठी हो जाने से तथा उनकी वसूली में देरी होने से सार्वजनिक धन अवरुद्ध हो जाता है । ऐसी धनराशियों की शीघ्र वसूली के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार दी गई बिजली शक्ति के मूल्य की, मालगुजारी की बकाया की भांति, वसूली के लिये विधायन द्वारा व्यवस्था की जाय ।

इसी लक्ष्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
विद्युत्-मंत्री ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४६३ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८

उ० प्र० अधिनियम संख्या २१, १९५५। उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को बनाये रखने की व्यवस्था करने का

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या २१, १९५५। उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५, ३० जून, १९५८ को समाप्त हो जायगा;

और यह इष्टकर है कि उक्त अधिनियम को बनाये रखा जाय; अतएव, भारतीय गणतंत्र के नौवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त, शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २१, १९५५ को बनाये रखना। २—उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५८" के स्थान पर संख्या "१९६१" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ (उ० प्र० अधिनियम, संख्या २१, १९५५) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (उ० प्र० अधिनियम, संख्या २३, १९५६) द्वारा जारी रखा गया था और जो राज्य सरकार को खाद्यान्नों तथा खाद्य पदार्थों के लिये भांडारिक आवासों के अधिग्रहण का अधिकार देता है, ३० जून, १९५८ को समाप्त हो जायगा।

खाद्य स्थिति अभी तक कुल मिलाकर इतनी दृढ़ नहीं हो सकी है, जिससे कि कोई चिन्ता न रहे। बाढ़, सूखा तथा अन्य दैवी प्रकोपों के फलस्वरूप उत्पन्न अभाव की परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक है कि सरकारी तौर पर खाद्यान्नों का भांडार संबंधी प्रबंध जारी रक्खा जाय तथा उन्हें उचित मूल्य पर बिक्री करने वाली दूकानों द्वारा वितरित किया जाय।

ऐसी अनिश्चित परिस्थिति में तथा भांडारिक आवासों के यथावश्यक अधिग्रहण करने के वर्तमान अधिकारों को बनाये रखने के उद्देश्य से उपर्युक्त अधिनियम की अवधि तीन वर्ष के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी०एस० यू० पी० ए० पी०—२७३ एल० ए०—१९५८—८१०।